खण्ड-460, अंक-2
मंगलवार, 31 श्रावण, शक संवत् 1928
(22 अगस्त, 2006 ई0)

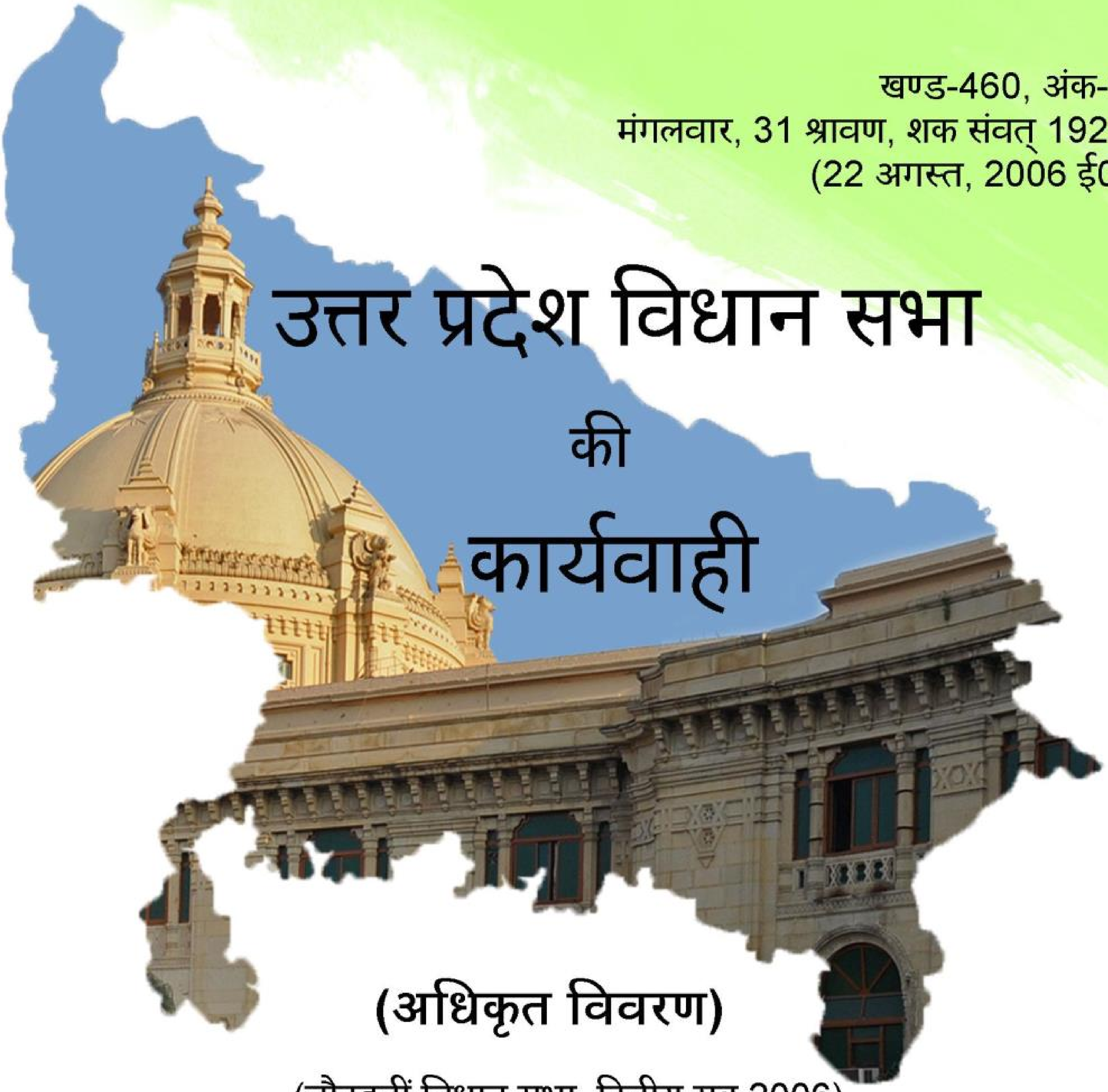

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2006)

खण्ड 460 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2006

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	..	च-ट
-- प्रदेश में बढ़ते आतंकवाद एवं सिमी सम्बन्धी नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को सर्वप्रथम लिए जाने की मांग	..	1-3
-- प्रश्नोत्तर	..	3-26
-- प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	..	26-28
-- विधान सभा के पूर्व सदस्य सर्वश्री राजाराम, बसीर अहमद हकीम, अनन्त स्वरूप सिंह, चित्तर सिंह निरंजन, सुरेश प्रकाश सिंह, बलभद्र प्रकाश शुक्ल, सेवाराम, अब्दुल रऊफ खां, कृष्ण चन्द्र वर्मा, श्रीपत सहाय, लक्ष्मण स्वरूप, श्रीमती सरस्वती तिवारी, श्री पुत्तू लाल, श्री ओम प्रकाश, श्री जंगबहादुर वर्मा, श्री रमाकान्त मिश्र, श्री उपेन्द्र नाथ दीक्षित, श्री राम कृष्ण वर्मा तथा श्री रामदेव मिश्र के निधन पर शोकोद्गार	..	28-32
-- पूर्व राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, श्री सूरजभान एवं पूर्व राज्यपाल कर्नाटक तथा पूर्व सदस्य विधान सभा श्री भानुप्रताप सिंह के निधन पर शोकोद्गार	..	32-38
-- पूर्व सदस्यों के श्रद्धांजलि अर्पण में देरी के प्रति सदन का ध्यानाकर्षण	..	38-40
-- प्रदेश में आतंकवाद के सम्बन्ध में नियम 56 के अन्तर्गत दो घंटे की चर्चा स्वीकार किये जाने का अनुरोध	..	40-41
-- नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	..	42-43
-- जनपद जौनपुर में टाउन एरिया केराकत के अन्तर्गत अवैध निर्माण हटवाने तथा जिला पंचायत की जमीन सुरक्षित रखने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	43
-- जनपद बलरामपुर में गैसड़ी धोबहा मार्ग पर भांभर नाले के पुल के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	43
-- जनपद महाराजगंज में भयंकर सूखे की स्थिति से निपटने हेतु किसानों को राहत पहुंचाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	44
-- जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी, आसपुर देवसरा, मंगरौरा में पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश से स्वीकृत निर्माण कार्यों हेतु अपेक्षित धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	44
-- जनपद जालौन की कालपी तहसील में पी0 ए0 सी0 केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	45

विषय	पृष्ठ-संख्या
-- जनपद पीलीभीत के पूरनपुर में मुहल्ला कायस्थान निवासी श्री छेदालाल की हत्या के फलस्वरूप हत्यारों की गिरफ्तारी न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	45
-- जनपद अम्बेडकरनगर में अकबरपुर इल्तिफात गंज मार्ग के तिलहरा घाट पर निरुआ नाले पर बन रहे पुल के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	45-46
-- जनपद आजमगढ़ के लालगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रामपुर बढ़ोना एवं खेसा में अधूरे बने पुल को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	46
-- जनपद आजमगढ़ में मेंहनगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा मिनहापुर में विगत वर्ष स्वीकृत स्टेडियम निर्माण हेतु धन स्वीकृत करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	46
-- जनपद मऊ के नत्थूपुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय गांवों को घाघरा की कटान से बचाने हेतु बन्डाल व ठोकर की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	46-47
-- आजमगढ़ के 33 के0 वी0 ए0 विद्युत सब स्टेशनों पर लखनऊ कन्ट्रोल रूम से समान रूप से बिजली सप्लाई न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	47
-- जनपद हरदोई के कस्बा बिलग्राम व सांडी में मानक के अनुरूप विद्युत आपूर्ति करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	47
-- आजमगढ़ सदर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय विद्युत सब स्टेशनों पर विद्युत आपूर्ति ठीक न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	47-48
-- जनपद लखनऊ के विकास खण्ड मलिहाबाद एवं माल में उपभोक्ताओं को 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	48
-- नगर पूर्व बस्ती क्षेत्रान्तर्गत लगड़ी पम्प केनाल में स्वतंत्र फीडर निर्माण के लिए धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	48
-- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर द्वारा विधायकों से एक प्रपत्र के माध्यम से गनर शेड्डो हेतु शस्त्र लाइसेंस एवं आपराधिक मामलों की सूचना मांगे जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	49-50
-- इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश की कार पर पथराव के संबंध में औचित्य का प्रश्न ..	50-51
-- प्रदेश में दहेज मुकदमों में दोषी व्यक्ति के साथ उसके परिवार की महिलाओं और बच्चों को जेल में बन्द किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	51-52
-- प्रदेश में स्थानीय निकायों एवं पंचायतों के चुनाव कराये जाने में हो रहे विलम्ब के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	52-53

विषय	पृष्ठ-संख्या
-- जनपद बरेली में ग्राम सभा हरदासपुर में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के आवंटन में जनप्रतिनिधियों के प्रति प्रोटोकाल का पालन न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	53
-- उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अध्यादेश, 2006 (सदन के पटल पर रखा गया।) ..	53
-- उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अध्यादेश, 2006 (सदन के पटल पर रखा गया।) ..	54
-- उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (सदन के पटल पर रखा गया।) ..	54
-- उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2006(सदन के पटल पर रखा गया।) ..	54
-- डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान उत्तर प्रदेश (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (सदन के पटल पर रखा गया।) ..	54
-- उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (सदन के पटल पर रखा गया।) ..	54
-- उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अध्यादेश, 2006 (सदन के पटल पर रखा गया।) ..	54
-- उत्तर प्रदेश किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना।) ..	54
-- उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना।) ..	55
-- उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना।) ..	55
-- उत्तर प्रदेश विनियोग (2006-2007 का अनुपूरक) विधेयक, 2006 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना।) ..	55
-- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना।) ..	55
-- उत्तर प्रदेश किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना।) ..	55
-- उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना।) ..	56

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या
-- उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2006 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना।) ..	56
-- उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना।) ..	56
-- मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना।) ..	56-57
-- विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	57-58
-- उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 (पुर:स्थापित) ..	58
-- उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक, 2006 (पुर:स्थापित) ..	58
-- नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं ..	59-79
-- "इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में खेती की पैदावार को आधुनिकतम तकनीक से बढ़ाने हेतु कारगर एवं नई प्रोत्साहन नीतियाँ अपनाई जाय तथा कृषकों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्रदान कराया जाय" के संबंध में डा0 अजय कुमार द्वारा दिनांक 22 नवम्बर, 2005 को प्रस्तुत किये गए संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन ..	79
-- "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में नौजवान शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने हेतु ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जाय" के संबंध में श्री कौशल किशोर द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी) ..	79-80
-- "इस सदन का सुविचारित मत है कि वाराणसी में प्रहलाद घाट तिराहे पर जल निगम द्वारा अधिष्ठापित बड़े नलकूप को जनहित में अविलम्ब चालू किया जाय" के सम्बन्ध में श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी) ..	80
-- "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में नौजवान शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने हेतु ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जाय" के संबंध में श्री कौशल किशोर द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा ..	80-90
-- "इस सदन का सुविचारित मत है कि वाराणसी में प्रहलाद घाट तिराहे पर जल निगम द्वारा अधिष्ठापित बड़े नलकूप को जनहित में अविलम्ब चालू किया जाय" के संबंध में श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा ..	90-97
-- जनपद झाँसी के गरौठा क्षेत्र में जल स्तर नीचे चले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महाराज) द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य ..	98

विषय	पृष्ठ-संख्या
-- जनपद देवरिया में दुग्धेश्वरनाथ मन्दिर और पोखरा पर न्यायालय के निर्णय के बाद भी भू-माफियाओं द्वारा कब्जा करने के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री के वक्तव्य का स्थगन ..	99
-- जनपद आजमगढ़ की सगड़ी तहसील में घाघरा नदी के कटान से नष्ट हुए गांवों का पुनर्वास कराने के सम्बन्ध में श्री रामनरेश यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य ..	99
-- श्री तरीकत अली, थाना गढ़मुक्तेश्वर, जनपद गाजियाबाद की हत्या के सम्बन्ध में श्री रिजवान अहमद खां नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य ..	100-101
-- जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड राजगढ़ में हुई भूख से मृत्यु के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार मौर्य नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य ..	101-102
-- जनपद बागपत की छपरौली में आये भीषण चक्रवाती तूफान के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 अजय कुमार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य ..	102-103
-- जनपद कन्नौज में दलितों पर हो रहे कथित अत्याचार के सम्बन्ध में श्री राम प्रकाश त्रिपाठी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य ..	103-104
-- जनपद संतकबीर नगर स्थित कालिका प्रसाद महर्षि विद्या मन्दिर के भवन निर्माण हेतु विधायक निधि से स्वीकृत धनराशि के बाद भी निर्माण कार्य न कराये जाने के विषय में श्री जय प्रताप सिंह नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य ..	104-105
-- जनपद आजमगढ़ की तहसील बूढ़नपुर में किसानों का सूखा राहत का धन वितरण न करने के सम्बन्ध में श्रीमती विद्या चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य ..	105
-- वित्तीय वर्ष 2006-2007 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण (विवरण प्रस्तुत किया गया) ..	105
-- लोकतांत्रिक बहुजन दल के कतिपय विधान सभा सदस्यों द्वारा दल बदल किये जाने तथा समाजवादी पार्टी के कतिपय माननीय विधान सभा सदस्यों द्वारा की गई क्रास वोटिंग के प्रकरण पर मा0 अध्यक्ष विधान सभा द्वारा निरर्हित घोषित किये जाने की सूचना ..	106
-- नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	107-108

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 22 अगस्त, 2006

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य - 337

अकीलुर्रहमान, श्री	मुरादाबाद
अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर
अजय कुमार, डा0	बागपत
अजय राय, श्री	वाराणसी
अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद
अताउल रहमान, श्री	बरेली
अनवर महमूद, श्री	बलरामपुर
अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री	सीतापुर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री	देवरिया
अन्सार अहमद, श्री	इलाहाबाद
अब्दुल कलाम, श्री	सन्त कबीर नगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियां, श्री	बाराबंकी
अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री	फतेहपुर
अमर सिंह परमार, श्री	आगरा
अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री	हाथरस
अमीता सिंह, श्रीमती	सुल्तानपुर
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0	जालौन
अरुण कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अलका राय, श्रीमती	गाजीपुर
अलगू प्रसाद चौहान, श्री	सन्त कबीर नगर
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अशोक वाजपेयी, डा0	हरदोई
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आदित्य विक्रम सिंह (बांकू सिंह), श्री	सिद्धार्थनगर
आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
आर0 एस0 कुशवाहा, श्री	खीरी
आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आर0 के0 सिंह पटेल, श्री	चित्रकूट
आलम बदी, श्री	आजमगढ़
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आशा किशोर, श्रीमती	रायबरेली
आशीष यादव, श्री	बदायूं
आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं

इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इन्द्रदेव सिंह, डा0	बिजनौर
उज्जवल रमण सिंह, श्री	इलाहाबाद
उदय भान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
उदयराज यादव, श्री	उन्नाव
उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
उमा शंकर कुशवाहा, श्री	गाजीपुर
ओइमवेश, स्वामी	बिजनौर
ओमकार सिंह यादव, श्री	बदायूं
ओम प्रकाश, श्री	सीतापुर
ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
कपिलदेव यादव, श्री	मऊ
कमलेश कुमार, श्री	गोरखपुर
कमाल यूसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब	रामपुर
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
किरण पाल कश्यप, श्री	मुजफ्फरनगर
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा
कुतुबुद्दीन अन्सारी, श्री	बिजनौर
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
कैलाश, श्री	गाजीपुर
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कोविद कुमार, श्री	शाहजहांपुर
कौकब हमीद खां, श्री	बागपत
कौशल किशोर, श्री	खीरी
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
खालिद अजीम उर्फ अशरफ, श्री	इलाहाबाद
गंगा बक्श सिंह, डा0	उन्नाव
गीता सिंह, श्रीमती	बलरामपुर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
घूरा राम, श्री	बलिया
चन्द्र किशोर , श्री	महराजगंज
चन्द्रदेव राम यादव, श्री	आजमगढ़
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	श्रावस्ती
चितरंजन स्वरूप, श्री	मुजफ्फरनगर
छेदीराम, श्री	गाजीपुर
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जंग बहादुर सिंह, श्री	सुल्तानपुर
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जगदीश नारायण (राय), श्री	जौनपुर
जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जमालुदीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
जय प्रकाश यादव, श्री	गोरखपुर
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जयराम विमल, श्री	अम्बेडकरनगर
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, श्री	गोरखपुर
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया

उत्तर प्रदेश विधान सभा

ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री	महराजगंज
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दिनेश सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ भाष्कर, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवकी नन्दन, श्री	हाथरस
देव नारायण उर्फ जी0 एम0 सिंह, श्री	गोरखपुर
देवेन्द्र नागपाल, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
देवेन्द्र प्रताप, श्री	एटा
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	रायबरेली
द्वारिका प्रसाद, श्री	सन्त कबीर नगर
धनंजय सिंह, श्री	जौनपुर
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धू राम लोधी, चौधरी	हमीरपुर
नत्थू सिंह, श्री	उन्नाव
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेन्द्र कुमार, श्री	गौतमबुद्ध नगर
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री	सीतापुर
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नवाब सिंह नागर, श्री	गौतमबुद्ध नगर
नारद राय, श्री	बलिया
परमजीत, श्री	मुजफ्फरनगर
परमेश्वर दयाल, श्री	सोनभद्र
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पीटर फैन्थम, श्री	नाम-निर्देशित
पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
प्रताप चौधरी, श्री	हाथरस
प्रदीप जैन आदित्य, श्री	झांसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रभु दयाल, श्री	मेरठ
प्रभु नारायण, श्री	चन्दौली
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री	अलीगढ़
प्रागी लाल अहिरवार, श्री	झांसी
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
फागू, श्री	मऊ
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बाबूराम, एम0काम, श्री	जालौन
बाबू लाल, श्री	गोण्डा
बाबू लाल कुशवाहा, श्री	बांदा
बिजय सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
बीजू पटनाय्रक, श्री	गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती	रामपुर
बैजनाथ पासवान, श्री	मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
भगवत शरन गंगवार, श्री	बरेली
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भरत सिंह, श्री	बलिया

उत्तर प्रदेश विधान सभा

भारतेन्द्र सिंह, कुंवर	बिजनौर
भूपेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	कौशाम्बी
मदन गोपल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन सिंह उर्फ सन्तोष कुमार, श्री	इटावा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
मलिक मसूद, श्री	आजमगढ़
मशहूद खां, श्री	बलरामपुर
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह, चौधरी	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश त्रिवेदी, श्री	कानपुर देहात
महेश नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
माया प्रसाद, श्रीमती	खीरी
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहांपुर
मुकुट बिहारी वर्मा, श्री	बहराइच
मुकुल उपाध्याय, श्री	अलीगढ़
मुलायम सिंह यादव, श्री	बदायूं
मुंशी लाल गौतम, श्री	बुलन्दशहर
मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर	बिजनौर
मोहन देव शंखवार, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इरशाद खां, श्री	लखनऊ
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद शफीर, श्री	फतेहपुर
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
याकूब, हाजी	मेरठ
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री	गोण्डा
रंगनाथ मिश्र, श्री	संत रविदास नगर, भदोही
रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया, श्री	प्रतापगढ़
रणवीर राणा, श्री	मेरठ
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रवीन्द्र पुण्डीर, प्रो0	मेरठ
राकेश कुमार वर्मा, श्री	बाराबंकी
राकेश पाण्डेय, श्री	अम्बेडकरनगर
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राज किशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह सैनी, श्री	मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजा राम, श्री	प्रतापगढ़
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राजेश कुमार, श्री — खीरी
राधेश्याम जायसवाल, श्री — सीतापुर
राधेश्याम सिंह, श्री — कुशीनगर
राबिया कलाम, श्रीमती — वाराणसी
राम अचल राजभर, श्री — अम्बेडकर नगर
राम इकबाल सिंह, श्री — बलिया
राम करन आर्य, श्री — बस्ती
राम किशुन, श्री — चन्दौली
राम कृपाल, श्री — इलाहाबाद
राम गोविन्द चौधरी, श्री — बलिया
राम चन्द्र यादव, श्री — फैजाबाद
रामपाल यादव, श्री — सीतापुर
राम पाल वर्मा, श्री — हरदोई
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री — कन्नौज
राम प्रताप सिंह, श्री — गोण्डा
राम बिशुन आजाद, श्री — गोण्डा
राम भुआल निषाद, श्री — गोरखपुर
राम मगन, श्री — बाराबंकी
राम लाल अकेला, श्री — रायबरेली
रामवीर उपाध्याय, श्री — हाथरस
रामवीर सिंह, श्री — फिरोजाबाद
राम सेवक, श्री — सुल्तानपुर
रामस्वरूप सिंह, श्री — कानपुर देहात
रामहेत भारती, श्री — सीतापुर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री — एटा
रिजवान अहमद खां, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
रियाज अहमद, श्री — पीलीभीत
लक्ष्मीकान्त वाजपेयी, डा0 — मेरठ
लल्लू सिंह, श्री — फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री — लखनऊ
लालजी वर्मा, श्री — अम्बेडकर नगर
लाल बहादुर यादव, श्री — जौनपुर
लुईस खुर्शीद, श्रीमती — फर्रुखाबाद
वकार अहमद शाह, डा0 — बहराईच
वसीम अहमद, श्री — आजमगढ़
विजमा यादव, श्रीमती — इलाहाबाद
विजय कुमार मिश्रा, श्री — सन्त रविदास नगर, भदोही
विजय बहादुर पाल, श्री — कन्नौज
विजय सिंह, श्री — सोनभद्र
विद्या चौधरी, श्रीमती — आजमगढ़
विद्या सागर गुप्ता, श्री — लखनऊ
विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री — इटावा
विनोद कुमार सिंह, श्री — जौनपुर
विनोद तिवारी, डा0 — पीलीभीत
विमला राकेश, श्रीमती — सहारनपुर
विवेक बंसल, श्री — अलीगढ़
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री — बांदा
विश्राम सिंह यादव, श्री — हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना, श्री — शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री — बरेली
वीरेश्वर, श्री — अलीगढ़
वेदराम भाटी, श्री — बुलन्दशहर
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री — सन्त रविदास नगर, भदोही
शब्बीर, श्री — बहराइच
शरदवीर सिंह, श्री — शाहजहांपुर
शहजिल इस्लाम, श्री — बरेली
शाकिर अली, श्री — देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती — गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री — बलिया
शारदा प्रसाद, श्री — चन्दौली
शाहिद मंजूर, श्री — मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री — कानपुर देहात

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शिव तपस्या पासवान, श्री	चन्दौली
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव प्रताप यादव, डा0	बलरामपुर
शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर	प्रतापगढ़
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
शैलेन्द्र यादव ललई, श्री	जौनपुर
श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा
श्यामदेव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
श्याम नारायन, श्री	महराजगंज
श्याम प्रकाश, श्री	हरदोई
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रद्धा यादव, श्रीमती	जौनपुर
श्रीराम भारती, श्री	मिर्जापुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्तो देवी, श्रीमती	सहारनपुर
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) , श्री	मेरठ
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सन्ध्या कठेरिया, कु0	मैनपुरी
समरपाल सिंह, श्री	बागपत
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा
सियाराम सागर, डा0	बरेली
सिताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, श्री	गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सुशील चौधरी, डा0	सहारनपुर
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर
सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
हरि ओम यादव, श्री	फिरोजाबाद
हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री	वाराणसी
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर

नोट :—श्री ख्वाजा हलीम, औद्योगिक विकास मंत्री, श्री बनवारी सिंह, प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन एवं राज्य सम्पत्ति मंत्री एवं श्री राम आसरे विश्वकर्मा, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रदेश में बढ़ते आतंकवाद एवं सिमी सम्बन्धी नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 311 में हम लोगों की एक सूचना प्रदेश में बढ़ते आतंकवाद और सिमी के बारे में है, हमारा आग्रह है कि नियम 311 में नियमों को निलम्बित करते हुए हमारे विषय पर चर्चा कराने की कृपा करें।

(इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्य सदन के वेल में आकर अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे और बहुजन समाज पार्टी के सदस्य भी अपने स्थानों से अपनी बात कहने का प्रयास करते रहे, जिससे घोर व्यवधान हो गया)

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता प्रतिपक्ष, जब नियम 56 आये तो अपनी बात कहें। आप नियम 311 के बारे में जानते हैं। नियम 311 में नियम शिथिल होने पर अपनी बात कहने का प्राविधान है। लेकिन जब मैं आपको नियम 56 में पूरी बात कहने का अवसर देने को तैयार हूँ तो फिर नियम शिथिल करने का क्या औचित्य है ? इसलिये जब नियम 56 आये तो आप अपनी पूरी बात कहें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

जब तक नियमावली में नियम 311 है, तब तक हमें आपसे प्रार्थना करने और निवेदन करने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष--

आज निधन के निर्देश भी होने है और पूर्व सदस्य 19 हैं। मैं आप लोगों को नियम 56 में पूरी बात कहने का अवसर दूँगा। आप चाहेंगे तो इस पर पूरी चर्चा भी करा दूँगा।

(भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता विरोधी दल, हमने पूरी चर्चा को गंभीरता से लिया है, नियम 56 के समय आपको पूरी बात कहने का अवसर मिलेगा। माननीय मौर्य जी की तरफ से भी कानून व्यवस्था सम्बन्धी नोटिस आई है, माननीय प्रमोद कुमार जी को भी आई है, यह सब नियम 56 में सुनी जायेगी। चर्चा भी करा दी जायेगी। इसलिये मेरा आपसे आग्रह है कि पहले प्रश्न हो जाने दीजिये। नियम 56 में अपनी बात कह लीजियेगा और चर्चा भी हो जायेगी और सरकार की तरफ से जवाब भी आ जायेगा। इसके अलावा निधन के निर्देश भी होने हैं।

(भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

पहले प्रश्न हो जायें, निधन के निर्देश हो जायें, फिर आपकी बात सुन लूँगा और अगर आवश्यकता समझी जायेगी तो चर्चा भी कराई जायेगी। बाजपेयी जी आप अपनी पूरी बात नियम

56 में कहिये, आवश्यकता होगी तो उस पर चर्चा भी करा दी जायेगी, इसके लिये मैं सदन में आपकी बात मानने को तैयार हूँ तो फिर इस तरह अपनी बात रखने की क्या जरूरत है ? आप लोग अपने स्थानों पर चलें और निधन के निर्देश हो जाने दें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

निधन के निर्देश के बाद चर्चा आप तत्काल स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूँ। आप अपने स्थान पर चलिये, अपनी बात कहिये, सरकार जवाब देगी। निधन का निर्देश हो जाने दें। मौर्य जी, आपको भी अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा, पाल साहब आपको भी मिलेगा।

(भारतीय जनता पार्टी के वेल में आये हुए सदस्यगण अपने स्थानों पर वापस चले गये)

श्री जगदम्बिका पाल--

अध्यक्ष महोदय, हम व्यवस्था चाहते हैं, अगर कोई दल किसी विषय को महत्वपूर्ण समझता है, जनहित के विषय को उठाता है और आप कृपापूर्वक उसे नियम नियम 56 में परिवर्तित कर देते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अपनी सीट पर खड़े हो गये।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, यह सदन किसी की बपौती नहीं है, हम भी सदन के सदस्य हैं, सदन हमारा भी है।

श्री अध्यक्ष--

पाल साहब, आप प्रश्न आने दीजिए, प्रश्न काल में कोई व्यवस्था नहीं होती है। आप कृपया बैठ जाएं, आज निधन के निर्देश भी होने हैं।

(नेता प्रतिपक्ष के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता प्रतिपक्ष आपकी बात सुनी जाएगी। कृपया आप बैठ जाएं। पाल साहब, आपसे भी मेरा आग्रह है कि कृपया बैठ जाएं, पहले प्रश्न हो जाने दें।

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)--

अध्यक्ष महोदय, मेरी मंशा यह नहीं है कि सदन में किसी अनियमितता के लिए किसी का पक्ष लिया जाए। पाल साहब भी अपना पक्ष अपने स्थान से रख रहे थे। वेल में आये हुए सदस्यों ने भी अपना पक्ष रखा और आपको उन्हें छः मिनट तक समझाना पड़ा। मान्यवर, अपना पक्ष रखने का तो सभी को अधिकार है और आपको जवाब देने का अधिकार ही नहीं बल्कि आपका ही निर्णय चलेगा। पाल साहब तो अपनी बात कह रहे थे, अपनी सीट से कह रहे थे और जिस तरह से नेता विरोधी दल की पार्टी के सदस्य सदन के वेल में आकर अपनी बात कह रहे थे, तो मान्यवर, दोनों बातों में कुछ तो फर्क होगा। मान्यवर, एक दल लोकतन्त्र का हनन करते हुए अपनी बात कहे और दूसरा पक्ष मर्यादित ढंग से अपनी बात कहे, दोनों में फर्क है।

*श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष अपने आसन पर खड़े होकर अपनी बात कह रहे थे।

श्री अध्यक्ष--

पाल साहब, अभी प्रश्नकाल चल रहा है, इस समय व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जाता, आप बाद में अपनी बात कह लीजिएगा।

II प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में सरकारी बेसिक एवं जूनियर स्कूलों में प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की शासन की नीति

* 1--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेगें कि प्रदेश में सरकारी बेसिक एवं जूनियर स्कूलों में प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों के कितने पद रिक्त है तथा इनके भरने हेतु शासन ने क्या कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शिक्षकों की कमी के कारण विद्यालयों में पठन-पाठन प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो शासन द्वारा कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरन पाल सिंह)--

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक तथा सहायक अध्यापक के 75,163 एवं जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक तथा सहायक अध्यापक के 12,037 पद रिक्त हैं। प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रोन्नति के पद हैं। प्रोन्नति के माध्यम से पद भरे जा रहे हैं। सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के रिक्त पदों के प्रति विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2004 के माध्यम से 35,000 सहायक अध्यापक के पद भरे जा चुके हैं। बी0टी0सी0 (सामान्य) तथा बी0टी0सी0 (उर्दू) के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों के चयन द्वारा रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही गतिमान है। इनमें से 6000 उर्दू अध्यापकों का प्रशिक्षण हेतु चयन किया जा चुका है, जो सम्प्रति प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 50,000 सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अनुमति हेतु दिनांक 22 जून, 2006 को प्रस्ताव भेजा गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक विद्यालयों में दो-दो शिक्षा मित्र प्रति विद्यालय स्वीकृत किए गये हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रोन्नति की कार्यवाही की जा रही है। परिषदीय विद्यालयों में रिक्त पदों के प्रति उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली, 1981 के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित

अर्हताधारी अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर नियुक्ति की जायेगी। यह अनवरत चलने वाली एक सामान्य प्रक्रिया है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

अध्यक्ष महोदय, बेसिक शिक्षा के बारे में यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि हमारी शिक्षा की नीव बेसिक शिक्षा है। माननीय मंत्री जी ने अभी अवगत कराया कि प्रदेश के अन्दर परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक तथा सहायक अध्यापकों के 75 हजार 163 एवं जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक तथा सहायक अध्यापकों के 12 हजार 37 पद रिक्त हैं। इस प्रकार से मान्यवर लगभग 87 हजार शिक्षकों के पद रिक्त हैं। मान्यवर, अगर शिक्षकों के पद रिक्त रहेंगे तो स्कूलों में पठन-पाठन अवश्य ही प्रभावित होगा। माननीय मंत्री जी ने शिक्षकों की भर्ती के बारे में भी जानकारी दी है, मेरा पहला प्रश्न यह है कि जो रिक्त पद बताये गये हैं, यह कब से रिक्त है और उनके भरने के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी गयी है ?

और इसके साथ ही एक अनुपूरक और करना चाहूंगा कि इस सरकार के द्वारा...

श्री अध्यक्ष--

पहले एक का उत्तर आने दीजिए।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर छोटा सा प्रश्न है। सरकार ने शिक्षकों के पदों को भरने के लिए विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण योजना, 2004 के अन्तर्गत शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए एक योजना बनायी थी जिसमें 46 हजार 189 पदों को भरने के लिए विज्ञापन निकाला था। मान्यवर, सरकार ने 41,150 पदों की पहली सूची जारी की, फिर दूसरी सूची जारी की। मेरी जानकारी में है कि अभी भी सूची में से नियुक्ति की जा सकती है। माननीय मंत्री जी ने 2 दिसम्बर, 2005 को घोषणा की थी कि तीसरी सूची जारी करेंगे, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि 13 हजार वाली सूची में से नियुक्ति के लिए तीसरी सूची कब जारी करेंगे ? दूसरे ये पद कब से रिक्त हैं ?

श्री किरन पाल सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, ये पद कब से रिक्त है, ये तो गौर साहब को भलीभाँति जानकारी होगी। हम तो पदों को भरते जा रहे हैं, तेज गति से भर रहे हैं, पद तो पुराने जमाने से रिक्त हैं, आपके भी कार्यकाल से रिक्ति चली आ रही है। जहाँ तक 75,163 पद भरने की बात है, जूनियर हाईस्कूल में ये पद प्रोन्नति से भरे जाते हैं। भर्ती की सीधी प्रक्रिया प्राइमरी पाठशाला में लागू होती है। 50 हजार विशिष्ट बी0टी0सी0 से सहायक अध्यापक के पदों की भर्ती के संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को प्रस्ताव भेजा गया है, दो महीने हो गये हैं। बीच में मैं दिल्ली गया था, मा0 अर्जुन सिंह जी से भी निवेदन किया गया है, जल्दी अनुमति मिल जाए तो 50 हजार विशिष्ट बी0टी0सी0 के पदों को और भर दें। जहाँ तक यह सवाल है कि 46,189 पद विज्ञापित हुये थे, सही है 46,189 पद विज्ञापित हुये थे इसके बाद अर्हता के आधार पर अवरोही क्रम में 41,450 अभ्यर्थियों के चयन के लिए सूची तैयार की गयी थी और मण्डलीय जाँच समिति द्वारा 39 हजार

357 अभ्यर्थी प्रशिक्षण हेतु चयनित किये गये। अध्यक्ष जी, अब उसमें एक तो साइन्स साइड के बेकवर्ड और शिड्यूल कास्ट की लड़कियाँ नहीं मिली लगभग 1000, उसके बाद जांच की गयी तो कुछ लोगों ने फर्जी सर्टीफिकेट लगा रखे थे, उसकी जाँच लम्बी चली और जाँच के बाद बहुत से लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गयी, कुछ लोग कोर्ट में गये। यह जानकर आपको ताज्जुब होगा कि 86 हजार रिट इस बारे में कोर्ट में थी, लेकिन यह बड़ी खुशी की बात है कि कोर्ट ने एक भी केस में सरकार के ऊपर कोई नुक्ताचीनी नहीं की है, उनको मेरिट के आधार पर तय किया जा रहा है। जो 46,189 पद में शेष रह गये हैं, उनकी यह लिस्ट निकालने की कोई बात नहीं है ये सारे पद भरे जायेंगे इसकी प्रक्रिया गतिमान है। तीसरी सूची निकालने की कोई बात नहीं है। जो साइंस साइड की लड़कियाँ नहीं मिली है बेकवर्ड और शिड्यूल कास्ट की, उसके बारे में विचार किया जा रहा है कि क्या विकल्प है, पुन: विज्ञापित करें या और किसी वर्ग कला या कामर्स वर्ग से लिया जाय। इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री प्रमोद कुमार--

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी से जुड़ा हुआ सीधा प्रश्न है मेरा। मान्यवर, शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से हो, जो स्थान गौर साहब रिक्त कर गये थे, पद भरे नहीं जा रहे थे आपने उसे भरना प्रारम्भ किया है, यह अच्छा काम है। आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो शिक्षा मित्र चयनित किय गये हैं इनकी अगर सच्ची सेवा लेना चाहते हैं तो प्रत्येक वर्ष अनुबंध और ठेकेदारी प्रथा है उसे खत्म किया जाना चाहिए जिनकी अर्हता पूरी हो हर तरह से कसौटी बना ली जाए, मिनिमम क्वालीफिकेशन बना ली जाए उस पर खरा उतरे तो उन्हें हर साल संबंधित प्रधानों या शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की मर्जी पर न छोड़े, उससे शिक्षा के स्तर में सुधार होगा। आपके माध्यम से सीधा प्रश्न मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या शिक्षा मित्रों को नियमित करके और उनके वेतनमान में संशोधन करके उनसे शिक्षा का कार्य लिया जायेगा, इसका आश्वासन सदन को देंगे ? मान्यवर, इसी के साथ मेरा यह प्रश्न है कि जो 3600 अन एडेड विद्यालय हैं उनको एडेड करने के लिये कोई योजना है ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। शिक्षा मित्रों के जो खाली स्थान है उनको कैसे भरें ? आपका सुझाव है कि क्या शिक्षा मित्रों को नियमित अध्यापकों की जगह करके इन जगहों को पूरा करेंगे ? यह सवाल होना चाहिए।

श्री प्रमोद कुमार--

जैसा आपने मान्यवर, पूछा है उसी उत्तर का दे दें।

श्री किरन पाल सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा तिवारी जी ने कहा है, शिक्षा मित्रों की चयन की प्रक्रिया दोषपूर्ण मानी जाती थी और उनका शोषण भी होता था। मान्यवर, हमने सब चीजों को सरल कर दिया है ताकि शिक्षा मित्रों का शोषण न हो। शिक्षा मित्रों के चयन में शिक्षा समिति जो प्रधान की अध्यक्षता वाली होती है वह नाम भेजती थी उन्हीं नामों पर विचार होता था, 3 नामों पर मेरिट के हिसाब से

चुना जाता था। हमने यह नियम बना दिया है शिक्षा समिति जो प्रस्ताव भेजेगी उसके अलावा 10 दिन का समय दिया जायेगा कि जो बच्चे, लड़के, लड़कियाँ प्रधान के खिलाफ पार्टी की हैं, जिनके नाम वह प्रस्ताव में नहीं भेजेगा तो सीधे ब्लाक पर, एस0डी0एम0 और डी0एम0 के दफ्तर में दर्खास्त दे सकते हैं कि हमारा नाम द्वेष भावना में छोड़ दिया गया है, तो हमने उनके नाम जुड़वाये और अगर वह मेरिट में तो प्रधान की मर्जी के खिलाफ भी लिया गया है। जहाँ तक यह शिकायत थी कि उनको पूरा पैसा नहीं मिलता है तो हमने यह कर दिया है कि चेक सीधे उनके खाते में जायेगा। उनका खाता खुलेगा और चेक से पैसे सीधे उनके खाते में जायेंगे जिससे उनका पैसा कोई बीच में न रोक सकें। जहाँ तक उनके नवीनीकरण का सवाल है उसमें समस्या थी, प्रधान की शिकायत करते थे कि हमारा नवीनीकरण नहीं कर रहे हैं। हमने यह नियम बना दिया है और जी0ओ0 भी जारी कर दिया है कि जिस शिक्षा मित्र का नवीनीकरण नहीं होगा उसकी शिकायत डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तक जायेगी। प्रधान के अलावा हेड मास्टर या शिक्षा समिति के अन्य सदस्य उसका अनुमोदन कर दें और यदि वह अनुमोदन नही करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तक यह जायेगा और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपने आधार पर उसको न्याय दिलाने के लिये अपने आफिस में उसका निर्णय कर देंगे तो सारी प्रक्रिया हमने सरल कर दी है नवीनीकरण के लिये।

श्री जगदम्बिका पाल--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रमोद कुमार जी ने शिक्षा मित्रों के सम्बन्ध में कहा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस सरकार की नीति समान कार्य के लिये समान वेतन देने की है। शिक्षा मित्र भी वही कार्य संपादित कर रहे हैं जो नियमित शिक्षक कर रहे हैं। तमाम विद्यालय शिक्षा मित्र के सहारे चल रहे हैं। आपने भी अभी कहा है कि हमने हर विद्यालय में दो अध्यापकों के लिये निर्देश कर दिये हैं। सभी जनपदों में जो विद्यालय हैं वहां एक नियमित शिक्षक है और एक शिक्षामित्र उन्हीं दोनों अध्यापकों से अगर वह विद्यालय चल रहा है तो समान कार्य को देखते हुए समान वेतन देने के सम्बन्ध में जो बात पूछी गयी है क्या सरकार उस पर फैसला लेने पर विचार करेगी ? दूसरी बात पिछले सत्र में हम लागों ने कहा था तमाम ऐसे विद्यालय है जो कहीं-कहीं तो एकल शिक्षक के द्वारा चल रहे है और कहीं पर विद्यालय में कोई शिक्षक नहीं है। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि ऐसे कोई विद्यालय नहीं हैं। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि आज भी प्रदेश में तमाम प्राथमिक विद्यालयों में कुछ ऐसे विद्यालय है जहां पर कोई शिक्षक नहीं हैं। तो जो 2 शिक्षकों की व्यवस्था की बात आपने कही है क्या वहां उनकी नियुक्ति करेंगें ? मान्यवर, यह मैं स्पष्ट जानना चाहूँगा।

श्री अध्यक्ष--

अब आपका प्रश्न हो गया।

श्री जगदम्बिका पाल--

जो नियमित अध्यापक की क्वालीफिकेशन रखते हैं उनके सम्बन्ध में समान कार्य को देखते हुए समान वेतन देने पर विचार करेंगे ?

श्री किरन पाल सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा मित्रों को जो समान कार्य के लिये समान वेतन देने की बात जो पाल साहब कर रहे हैं तो यह शिक्षा मित्र संविदा पर हैं, कांट्रेक्ट पर हैं। कांट्रेक्ट और जो नियमित कर्मचारी हैं उनकी सेवा शर्तें अलग हैं, सर्विस रूल्स अलग हैं। जो कांट्रेक्ट की संविदा की शर्तें हैं उनको सरकार पूरा कर रही है।। पिछले समय शिक्षा मित्रों ने प्रदर्शन किया था उस समय हमने उनको बुलाकर उनसे वार्ता की थी। उनके जो शिक्षक नेता थे उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों का डी0ए0 बढ़ा उसी अनुपात में मानदेय बढ़ना चाहिए हमने इस बात से सहमत होकर 6 फीसदी डी0ए0 बढ़ाया था उस हिसाब से उनका मानदेय 2380 बैठता था हमने उससे भी बढ़ाकर 2400 रुपए मानदेय कर दिया था जो उनके हक में सरकार कर सकती है वह कर रहे है। गाजीपुर और चंदौली जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है मैंने वहां का दौरा किया था। वहाँ के जन प्रतिनिधियों ने मांग की कि बाहर के गांव से शिक्षक आने में दिक्कत महसूस करते है इसलिए गांव से ही शिक्षामित्रों को बनाया जाय हमने उनकी राय से सहमति व्यक्त करते हुए यह जी0 ओ0 जारी कर दिया कि जो नक्सलवाद प्रभावित गांव है वह गाँव की सुविधा के लिए वहां पर 3 शिक्षा मित्र रख सकते हैं। जहां तक एकल शिक्षक और शिक्षक विहीन विद्यालयों की बात है शिक्षक विहीन विद्यालय की कोई सूचना नहीं है। आप यदि शिक्षा मित्रों को शिक्षक नहीं मानते है तो यह दुर्भाग्य की बात है वह शिक्षक है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

अभी मंत्री जी ने बताया कि शिक्षामित्रों की नियुक्तियों के नवीनीकरण के लिए सिस्टम बनाया है। इस समय हजारों शिक्षा मित्र यहां पर आए हुए हैं वह भविष्य के लिए चिन्तित हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चहूंगा कि उनकी सर्विस कंडीशन को व्यवस्थित करने के लिए सरकार विचार करेगी ? शिक्षा मित्रों के निजी बैंक में एकाउण्ट खुलवाकर, उनकी सेवा पुस्तिका बनाकर उनको वेतन दिया जायेगा ? अभी पाल साहब के प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने कहा कि वह रेगुलर टीचर नहीं है मानदेय टीचर है तो मैं स्पष्ट सवाल पूछना चाहता हूँ कि उनके मानदेय को 2400 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 5000 रुपए प्रति माह करने पर विचार किया जायेगा ? इसके साथ ही साथ शिक्षा मित्रों को भी आकस्मिक चिकित्सा अवकाश एवं महिला शिक्षा मित्रों को प्रसूति अवकाश प्रदान करने पर सरकार विचार करेगी ? इसके साथ ही साथ मैं मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूँ कि अभी 21 अगस्त को आदेश जारी किया गया है कि बेसिक स्कूलों में स्कूल का समय 9 बजे से 3 बजे तक रहेगा। इस समय गर्मी है मै आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अप्रैल से अक्टूबर तक 7 बजे से 12 बजे तक और नवम्बर से 9 बजे से 3 बजे तक जैसा पहले होता था, का समय करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह सब मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। केवल मानदेय 5 हजार करने के बारे में बता दें।

श्री किरन पाल सिंह--

हमें यह जानकारी है कि कुछ शिक्षा मित्र बाहर बैठे हैं। कल हमने उनके प्रतिनिधियों को बुलाया था तो उन्होंने कहा कि हमारे शिक्षक नेता बाहर हैं जब वह आ जाएंगे तो उनको लेकर बात करेंगे। सरकार शिक्षा मित्रों की समस्याओं के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है जो भी उनकी समस्याएं है उन पर समस-समय पर विचार करेगी और उनका निवारण करती रहेगी।

श्री सुखदेव राजभर--

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने बताया कि 33 हजार पदों को भरा है तो यह जो 50 हजार रिक्तियाँ है उनमें से यह 33 हजार पद सम्मिलित है या वह अलग से हैं। दूसरी बात मैं संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि शिक्षा मित्रों के मानदेय साल भर से बैंको में खातों में पड़े हैं, प्रधान निकाल नहीं रहे हैं। मैं मंत्री जो से उम्मीद करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में निर्देश जारी करेंगी ? प्रधान प्रीज्यूडिस होकर नहीं निकाल रहें। अगर कहीं कोई ऐसा मानदेय बैंकों में लम्बित पड़ा है तो तत्काल उसे बैंक से निकालकर शिक्षा मित्रों को देने की व्यवस्था की जाय। इसके अतिरिक्त मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूँ कि यह जो इन्होंने रिक्त पद बतायें है 50 हजार वह 33 हजार जो पद भरे गये है उनको निकालने के बाद हैं या उनको मिलाकर।

श्री किरन पाल सिंह--

पहले तो माननीय सदस्य यह जान लें कि कुल 75 हजार 163 पद खाली हैं। जहाँ तक मानदेय का सवाल है, हम इसको दिखवा लेंगे। हमारी सरकार की तरफ से शिक्षा मित्रों के लिये मानदेय की राशि दी जा चुकी है। जहाँ नहीं मिला है वहां हम इसको दिखवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न समाप्त हुए। अब निधन के निर्देश लिये जायेंगे।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश के एल0टी0 महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों के पेंशन का भुगतान

1--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि के0पी0एल0टी0 प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद के सेवानिवृत्त शिक्षक श्री नवंदा प्रसाद, श्रीमती लक्ष्मी शाह, श्री प्रेमकान्त, श्री राज मोहन, श्रीमती पदमा रानी, श्री सतीश कुमार एवं सुश्री कमला श्रीवास्तव को नवम्बर, 2003 से 31 अक्टूबर, 2005 तक पेंशन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि प्रदेश के एल0टी0 महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों को क्या ट्रेजरी (कोषागार)/बैंक द्वारा पेंशन का भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार सेवानिवृत्त शिक्षकों को पेंशन का भुगतान कोषागार/बैंक से कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि न नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह--

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

जी नहीं।

एल0 टी0 प्रशिक्षण महाविद्यालयों को समाप्त किया जा चुका है। उनके सेवानिवृत्त शिक्षकों को वर्तमान निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्धतंत्र के माध्यम से पेंशन का भुगतान किया जाता है।

नरहेजी इण्टर कालेज, नरही, बलिया में कतिपय वैध पदधारकों को वेतनमान के अनुसार भुगतान की मांग

2--श्री घूरा राम--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19-9-96 के निर्देश पर गठित शासन की उच्च स्तरीय जांच समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 8-7-97 में नरहेजी इण्टर कालेज, नरही, बलिया में 30 सृजित पदों को वैध माना है और उसमें सर्वश्री रविशंकर पाण्डेय, मंगला सिंह एवं श्री सुरेन्द्र सिंह की नियुक्तियों को पद के सापेक्ष माना है ? यदि हां, तो क्या उक्त नियुक्त पदधारकों को वेतनमान के अनुसार भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री नरहेजी इण्टर कालेज, रसड़ा, बलिया में नियमानुकूल नियुक्त शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के अवरूद्ध वेतन को अवमुक्त कराये जाने की मांग

3--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री नरहेजी इंटर कालेज नरही, रसड़ा, बलिया के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्तियों की जांच सी0बी0सी0आई0डी0, उ0प्र0 लखनऊ से कराई गई थी ? यदि हां, तो क्या जांच आख्या में की गयी संस्तुतियों के आधार पर संस्था में नियमानुकूल पाये गये शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के अवरुद्ध वेतन को अवमुक्त कराने के निर्देश शासनादेश संख्या 161/15-12-05-1600 (912)/2003 शिक्षा अनुभाग-12 दिनांक 30, मार्च, 05 द्वारा शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) को दिये गये है ? यदि हां, तो शिक्षकों का वेतन कब तक दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है।

आर्दश जनता इण्टर कालेज टाण्डा जनपद अम्बेदकर नगर में कार्यरत श्री अवधेश नारायण त्रिपाठी को पुनरीक्षित पेंशन का भुगतान

4--डा0 सुशील चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक फैजाबाद के पत्र संख्या सा0 2/पेंशन-1/4225-28/3-04, दिनांक 11-12-03 द्वारा श्री अवधेश नारायण त्रिपाठी, आर्दश जनता इ0 का0, टाण्डा, जनपद -अम्बेदकर नगर को पेंशन दिये जाने विषयक पत्र जो कोषाधिकारी, अम्बेदकर नगर को भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या श्री त्रिपाठी की वर्ष 1963 से वर्ष 1976 तक की सेवाओं को सम्मिलित करते हुए पेंशन पुनरीक्षित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

जी नहीं।

सम्बन्धित अवधि वर्ष 1963 से 1976 तक का सेवाओं से सम्बन्धित सेवा अभिलेखों की अनुपलब्धता।

प्रदेश में वर्ष 2005 में माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं में नकल कराने वाले परीक्षा केन्द्रो के विरुद्ध कार्यवाही

5--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2005 में माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ0 प्र0 की परीक्षायें प्रदेश में कितने परीक्षा केन्द्रों पर सम्पन्न हुई तथा कितने केन्द्रों पर नकल के मामले पकड़े गये ? प्रदेश में कितने परीक्षा केन्द्रों के परीक्षा सुपरिन्डेन्ट तथा कक्ष निरीक्षकों को नकल कराने में संलिप्त पाया गया तथा इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या कुछ जनपदों में सामूहिक नकल की भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो ऐसे परीक्षा केन्द्रों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बुलन्दशहर में विधान सभा क्षेत्र शिकारपुर में राजवाहों एवं माइनरों की सफाई

6--श्री मुंशी लाल गौतम--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र शिकारपुर में किन-किन राजवाहों एवं माइनरों की सफाई का कार्य टेल तक वर्ष 2006 में 30 जून, 2006 तक पूर्ण कराया गया है ? उक्त राजवाहों एवं माइनरों की सफाई पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी है ?

सिंचाई मंत्री (डा0 मेराज उद्दीन अहमद)--

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र के शिकारपुर में 30 जून, 2006 तक बजट की उपलब्धता के आधार पर 06 राजवाहों में 30 किमी0 में तथा 18 माइनरों में 41.50 किमी0 में सिल्ट सफाई/स्क्रेपिंग का कार्य कराया गया और इस पर कुल रु0 4.265 लाख की धनराशि व्यय की गयी। जिन राजवाहों एवं माइनरों में सिल्ट सफाई/स्क्रेपिंग का कार्य कराया गया। उनकी सूची निम्नवत् है :--

राजवाहे--

क्रमांक	राजवाहे का नाम
1	शिकारपुर राजवाहा
2	उटरावली राजवाहा
3	सुरजावली राजवाहा
4	वालका राजवाहा
5	डिबाई राजवाहा
6	सरावा रजवाहा

माइनर--

क्रमांक	माइनरों का नाम
1	अडोली माइनर
2	पोन्डरी माइनर
3	धतूरी माइनर
4	जटपुरा माइनर
5	सलेमपुर माइनर
6	आंचरु माइनर
7	मुकेहरा माइनर
8	हवेली माइनर
9	दरगाहपुर माइनर
10	सीकरी माइनर
11	जोठ माइनर
12	मुरसाना माइनर
13	धनोरा माइनर
14	चाकला माइनर
15	खलसिया माइनर
16	तैयबपुर माइनर
17	हजरतपुर माइनर
18	सुरखुरु माइनर

उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग इलाहाबाद द्वारा जनपद हरदोई के श्री राम रतन वर्मा का प्रवक्ता (कृषि) के पद पर चयन तथा नियुक्ति का प्रकरण

7--श्रीमती राजरानी रावत--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि राम रतन वर्मा पुत्र श्री राम विलास, निवासी ग्राम-पाल्हराई, तहसील सण्डीला, जनपद हरदोई का चयन, प्रवक्ता (कृषि) के पद पर उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, इलाहाबाद द्वारा नवम्बर, 2005 में किया गया था ? क्या यह सही है कि उसकी नियुक्ति राष्ट्रीय किसान इण्टर कालेज, शामली, जनपद मुजफ्फरनगर में की गयी थी परन्तु उक्त विद्यालय के प्रबन्धतन्त्र द्वारा उनको कार्यभार न ग्रहण कराये जाने पर मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर रिट याचिका संख्या 20875/06 पर मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा 18-5-06 को उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, इलाहाबाद को यह आदेशित किया गया है कि चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति एक माह के भीतर अन्यत्र किसी कालेज में की जाए ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेशों का अनुपालन चयन आयोग द्वारा कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त आदेशों का अनुपालन कब तक सुनिश्चित कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रदेश में कन्या विद्याधन योजना के लिए निर्धारित नीति

8--श्री राम इकबाल सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कन्या विद्याधन योजना के लिए कोई नीति निर्धारित की गयी है ? यदि हा, तो वह क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

कन्या विद्याधन योजना वर्ष 2004-05 से प्रारम्भ की गयी, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली बालिकाओं को जाति/धर्म के भेदभाव के बिना इण्टर परीक्षा उत्तीर्ण करने पर रु0 20,000/- की प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जाती है।

संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों को त्रिस्तरीय वेतन देने संबंधित पत्र पर कार्यावाही

9--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री देव प्रकाश आर्य, संगठन मंत्री, माध्यमिक संस्कृत शिक्षक कल्याण समिति, उ0 प्र0 का दिनांक 9-5-2006 का पंजीकृत पत्र जो संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों को दिनांक 01-01-1996 से त्रिस्तरीय वेतन देने के सम्बन्ध में है उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता है।

तदैव

प्रदेश में अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयों को अनुदानित श्रेणी में लेने की मांग

10--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने अशासकीय महाविद्यालय हैं तथा इनमें से कितने अनुदानित, अनानुदानित तथा स्ववित्त पोषित है ? क्या सरकार अनानुदानित महाविद्यालयों को अनुदानित श्रेणी में लेने पर विचार करेगी ? यदि हां, कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

कुल अशासकीय महाविद्यालयों की संख्या-1508

जिनमें 335 अनुदानित महाविद्यालय हैं एवं 1173 अनानुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय संसाधनों के अभाव के कारण।

प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों को उर्दू विद्यालयों के शिक्षकों के समान वेतनमान व प्रोन्नति देने की मांग

11--डॉ नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों को उर्दू विद्यालयों के शिक्षकों के समान वेतनमान तथा प्रोन्नति सम्बन्धी लाभ देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

ऐसी कोई योजना नहीं है।

जनपद गोण्डा के कैम्पियरगंज में स्थित "वीर बहादुर सिंह राजकीय महाविद्यालय" में स्नातकोत्तर कक्षाएँ प्रारम्भ किया जाना

12--श्री फतेह बहादुर सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड कैम्पियरगंज में स्थित "वीर बहादुर सिंह राजकीय महाविद्यालय" में स्नातकोत्तर कक्षाएँ प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचारधीन है ? यदि हां, तो इस महाविद्यालय को स्नातकोत्तर कक्षाओं की मान्यता कब तक प्रदान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

औचित्य नहीं पाया गया।

13--श्री कल्यान सिंह दोहरे--

(सदस्यता से निरर्हित के कारण हटाया गया)

14--डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

[प्रथम सोम0 के अता0 प्र0 सं0 88 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद प्रतापगढ़ को ग्राम सभा सलाहपुर में अतिरिक्त कक्षों के निर्माण में अनियमितता की जांच

15--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-2/998742, दिनांक 26-04-06 जो ब्लाक पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ की ग्राम सभा सलाहपुर में स्वीकृत 4 एकल अतिरिक्त कक्षों के निर्माण में की गयी अनियमितता एवं एकल खाता संचालन के आदेश के विरुद्ध संयुक्त टीम बनाकर जांच कराने के सम्बन्ध में था, सचिव बेसिक शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह--

जी हां, अपितु उक्त पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ को प्राप्त हुआ था।

जांच हेतु ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रतापगढ़ को निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, बुलन्दशहर में मिड-डे मील योजना की व्यवस्था से संबंधित जानकारी

16--डॉ रविन्द्र पुण्डीर--

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि जनपद मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, बुलन्दशहर में मिड-डे मील योजना के अन्तर्गत 1 जुलाई, 2006 से 15 जुलाई, 2006 तक प्राथमिक विद्यालयों में भोजन की व्यवस्था नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह--

जी नहीं,

जनपद मेरठ व लखनऊ में मिड-डे मील योजना के अन्तर्गत 01 जुलाई, 2006 से 15 जुलाई, 2006 तक प्राथमिक विद्यालयों में भोजन व्यवस्था की गयी। जनपद बुलन्दशहर के अधिकांश विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन का वितरण समय पर किया गया। नगर के क्षेत्रों में स्वयंसेवी संस्था के द्वारा बाद में मध्यान्ह भोजन वितरण प्रारम्भ किया गया। जनपद सहारनपुर के 47 विद्यालयों में उक्त अवधि में भोजन वितरण में विलम्ब हुआ है जिनमें दिनांक 15-07-2006 के उपरान्त संबंधित ग्राम प्रधानों से भोजन वितरण प्रारम्भ कराया गया। वर्तमान में जनपद सहारनपुर के सभी विद्यालयों में सुचारू रूप से भोजन वितरण हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, इलाहाबाद द्वारा कृषि प्रवक्ता हेतु अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का चयन

17--श्रीमती राजरानी रावत--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 7-11-2005 को लिये गये साक्षात्कार में कृषि प्रवक्ता हेतु अनुसूचित जाति के कितने अभ्यर्थियों का चयन किया गया और उनमें से कितने अभ्यर्थियों को माध्यमिक विद्यालयों में कार्य भार ग्रहण करा दिया गया तथा कितने शेष हैं ? शेष अभ्यर्थियों को कब तक कार्यभार ग्रहण करा दिया जायगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है ?

जनपद गाजियाबाद स्थित आर0 आर0 ई0 कालेज, पिलखुआ में कार्यरत सहायक अध्यापक को गलत वेतन निर्धारण कर अधिक भुगतान किया जाना

18--श्री पूर्णमासी दहाती--

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गाजियाबाद स्थित आर0 आर0 ई0 कालेज, पिलखुआ में कार्यरत श्री महेश चन्द्र शर्मा, सहायक अध्यापक को 1-1-01 से 28-2-04 तक गलत

वेतन निर्धारण कर रु0 23,492/- का अधिक भुगतान किया गया है जिसके सम्बन्ध में स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0 प्र0, इलाहाबाद द्वारा अपने सम्परीक्षा में उक्त अधिक वेतन भुगतान पर आपत्ति की तथा अधिक भुगतान की गई धनराशि रु0 23,492/- की वसूली कर पुन: वेतन निर्धारण का विवरण सेवा पुस्तिका में किये जाने की संस्तुति की गयी है ? यदि हां, तो क्या अधिक वेतन भुगतानित धनराशि की वसूली कर ली गयी है तथा सेवा पुस्तिका में सही वेतन निर्धारण विवरण अंकित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

वसूली किस्तों में प्रारम्भ कर दी गयी है, परन्तु याची की याचिका सं0 32062/91 एवं 38816/98 में पारित मा0 न्यायालय के आदेश दि0 15-5-2006 के अनुसार प्रकरण का पुन: परीक्षणोपरान्त निर्णय की कार्यवाही जिला विद्यालय निरीक्षक स्तर पर विचाराधीन है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

फर्जी बी0 एड0 प्रमाण-पत्र लगाकर धोखाधड़ी कर सरकारी धन आहरण करने वाले दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

19--श्री कौशल किशोर--

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद लखनऊ के अन्तर्गत जनता इण्टर कालेज, आलमबाग, लखनऊ में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत श्री राजेन्द्र बाबू शर्मा द्वारा सेवा में लगाये गये बी0 एड0 परीक्षा वर्ष 1991 के प्रमाण-पत्र की जांच विषयक डा0 अशोक बाजपेयी, माननीय कृषि एवं धर्मार्थ कार्य मंत्री, उ0 प्र0 के पत्र सं0 1879/मंत्री कृषि एवं धर्मार्थ मंत्री/वी0 आई0 पी0/05, दि0 22 नवम्बर, 2005 के क्रम में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के उप कुलसचिव के पत्र संख्या 7/(1) वी0 ई आर0 आई0 परीक्षा 5अ/2005, दिनांक 2 जनवरी, 2006 द्वारा फर्जी होना सत्यापित किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार फर्जी बी0 एड0 प्रमाण-पत्र लगाकर धोखाधड़ी कर सरकारी धन आहरण करने वाले दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 3449 (एस0 बी0)/2005 डा0 रामेश्वर सिंह चौहान बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में जारी नोटिस के संलग्नक-1 व 2 जो प्रश्नगत अंकित पत्रों की प्रतियां हैं, के माध्यम से ज्ञात हुआ कि राजेन्द्र बाबू शर्मा की बी0 एड0 परीक्षा-1991 के प्रमाण-पत्र को फर्जी होना सत्यापित किया गया है।

उक्त तथ्यों का संज्ञान लेते हुये प्रश्नगत विद्यालय के प्रबंधतंत्र को जांच कराकर यथोचित कार्यवाही करने के निर्देश जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ के पत्रांक-मा0-3/5426-27/06-07 दिनांक 18-8-2006 द्वारा दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी निवासी श्री उमाशंकर मिश्र द्वारा फर्जी तथ्यों पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण-पत्र हासिल करने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

20--श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'--

क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मुंशी लाल गौतम, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 24-11-2005 जो उमाशंकर मिश्र, निवासी-डी 65/155, लहरतारा, मडुवाडीह, जनपद वाराणसी द्वारा फर्जी तथ्यों पर स्वंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण-पत्र हासिल करने के विरुद्ध कार्यवाही से सम्बन्धित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजनैतिक पेंशन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री बाबू लाल)--

जी हां।

इस मामले की जांच हेतु जिलाधिकारी, गाजीपुर व वाराणसी से अनुरोध किया गया है। इनकी आख्या प्राप्त होने पर मामले में यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के ग्राम गरैंही, विकास खण्ड, कदौरा में जूनियर हाईस्कूल स्थापित किये जाने की मांग

21--डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा--

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गरैंही, विकास खण्ड कदौरा, जनपद, जालौन जो वर्ष 2005-06 में समग्र विकास ग्राम चयनित है ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्राम में जूनियर हाई स्कूल स्वीकृत किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? चयनित ग्राम में जूनियर हाई स्कूल कब तक स्वीकृत कर दिया जायेगा ?

श्री किरन पाल सिंह--

जी हां।

जी नहीं।

ग्राम गरैंही से ग्राम कुंआ खेड़ा, जिसमें जूनियर हाई स्कूल संचालित है। मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। अत: मानक के अनुसार ग्राम गरैंही ग्राम कुआं खेड़ा से सेवित है।

प्रश्न नहीं उठाता।

विद्या धर्म वर्धनी संस्कृत पाठशाला के जर्जर भवन के पुनर्निर्माण की मांग

22--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"--

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2004 के पहले मंगल के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 51 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्नगत विद्यालय भवन प्रथम बार किस वर्ष में बनवाया गया था ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त विद्यालय भवन की मजबूती की जांच किसी तकनीकी विशेषज्ञ संस्था से कराई गयी थी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी तकनीकी जांच कराने पर विचार करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है।

वर्ष 2006 में इण्टरमीडिएट के उत्तीर्ण छात्रों का स्नातक कक्षाओं में प्रवेश की व्यवस्था किये जाने की मांग

23--श्री सोवरन सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2006 में इण्टरमीडिएट के उत्तीर्ण छात्रों को स्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु कोई व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? क्या सरकार उनके प्रवेश हेतु सीटों में बढ़ोत्तरी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

शासनादेश संख्या 1678/सत्तर-2-2006-2(166)/2003, दिनांक 23-05-2006 द्वारा स्नातक कक्षाओं में प्रवेश की समस्या के निराकरण हेतु शैक्षिक सत्र 2005-06 में सीट वृद्धि एवं अन्य उपायों को यथावत् शैक्षिक सत्र 2006-07 में लागू माने जाने का निर्णय लिया गया है। उपर्युक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या 1870/सत्तर-2-2006-2 (166)/ 2003, दिनांक 07-06-2006 द्वारा इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण समस्त इच्छुक छात्र/छात्राओं के स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के सम्बन्ध में समग्र व्यवस्था किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं जिसमें विशेष परिस्थितियों में स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में कतिपय शर्तों के साथ सांध्यकालीन कक्षाओं के संचालन की अनुमति प्रदान करने के साथ ही अनुदानित एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त सेक्शन की वृद्धि की अनुमति हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति को अधिकृत किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड कैम्पियरगंज में राप्ती नदी द्वारा कटान का रख-रखाव

24--श्री फतेह बहादुर सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड कैम्पियरगंज में राप्ती नदी के पनघटिया-करमैनी बांध के कोनी कटान व बेलसर-रिगौली बांध के बंजरहा मिरिहिरिया कटान को पक्का बनाने हेतु कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्षा के पूर्व उन कटानों के रख-रखाव हेतु धन अवमुक्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मेराज उद्दीन अहमद--

जी हां।

(अ) जनपद गोरखपुर में राप्ती नदी के दायें तट पर पनघटिया करमैनी बांध के कि0 मी0 1.14 से कि0 मी0 1.34 तक अर्थात् कोनी कटान स्थल पर एक कटाव निरोधक कार्य की योजना लागत रु0 92.79 लाख स्थायी संचालन समिति की बैठक दिनांक 7-4-06 में अनुमोदित हुई है।

(ब) राप्ती नदी के बांये तट पर बेलसर रिगौली तटबन्ध के कि0 मी0 12.80 से कि0 मी0 13.20 अर्थात् ताल बंजरहा कटान स्थल पर कटाव निरोधक कार्य की योजना लागत रु0 38.15

लाख तथा कि0 मी0 13.40 से 13.800 के मध्य कटाव निरोधक कार्य की योजना लागत रु0 42.18 लाख स्थायी संचालन समिति की बैठक दिनांक 07-04-06 में अनुमोदित है।

(स) उपरोक्त के अतिरिक्त बेलसर रिगौली तटबन्ध पर कि0 मी0 22.60 स 22.90 अर्थात् मिरिहिरिया कटान स्थल पर एक कटाव निरोधक कार्य की एक परियोजना लागत रु0 63.76 लाख स्थायी संचालन समिति की दिनांक 11-05-2005 की बैठक में अनुमोदित है।

उपरोक्त परियोजनाओं में से बेलसर रिगौली बांध के कि0 मी0 22.60 से कि0 मी0 22.90 के मध्य मिहिरिया कटान स्थल तक एक कटाव निरोधक कार्य की परियोजना पर रु0 61.93 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर दी गयी है। शेष योजनाओं के सम्बन्ध में धन की उपलब्धता के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर में बांध निर्माण में किसानों की ली गयी भूमि के मुआवजे का भुगतान

25--श्री फतेह बहादुर सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील कैम्पियरगंज में रोहिन नदी के मछलीगांव-अलगटपुर व राप्ती नदी के बेलसर-रिगौली बांध में किसानों की ली गयी भूमि का मुआवजा दिये जाने हेतु शासन में कोई प्रस्ताव लम्बित है ? यदि हां, तो सरकार भूमि के मुआवजे का भुगतान कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मेराज उद्दीन अहमद--

जी हां।

भू-प्रतिकर का भुगतान मार्च, 2007 तक कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर की तहसील कैम्पियरगंज के ग्राम सभा सोनौरा बुजुर्ग में राजकीय इण्टर कालेज खोलने की घोषणा के कार्यान्वयन की मांग

26--श्री फतेह बहादुर सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील कैम्पियरगंज के ग्राम सभा-सोनौरा बुजुर्ग में राजकीय इण्टर कालेज खोलने की घोषणा तत्कालीन मुख्य मंत्री स्व0 वीर बहादुर सिंह जी ने वर्ष 1987 में की थी ? क्या उसी परिपेक्ष्य में 5 एकड़ भूमि राजकीय इण्टर कालेज के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित हो गयी है ? यदि हां, तो तत्कालीन मुख्य मंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा को पूर्ण करने हेतु शासन से कब तक स्वीकृति जारी की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

घोषणा से सम्बन्धित अभिलेख शासन स्तर/ शिक्षा निदेशालय स्तर पर प्राप्त नहीं हुए हैं।

चार एकड़ भूमि विद्यालय हेतु सुरक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर अन्तर्गत बापू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गंगानगर, बशारतपुर को मान्यता प्रदान करने का प्रकरण

27--श्री नरेन्द्र शिशौदिया--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-1-2006 जो धारा 9/4 के अन्तर्गत बापू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गंगानगर, बशारतपुर, गोरखपुर को मान्यता प्रदान करने विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रकरण में विलम्ब के क्या कारण हैं ? उक्त विद्यालय को मान्यता कब तक प्रदान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता, विद्यालय को माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 9(4) के अंतर्गत शासनादेश संख्या 2406/15-7-06-4 (622)/2006, दिनांक 14-7-2006 द्वारा हाईस्कूल सीधे 9-10 की मान्यता प्रदान कर दी गयी है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी के अन्तर्गत अधिकारियों/ कर्मचारियों के यात्रा बीजकों का भुगतान

28--श्री नरेन्द्र शिशौदिया--

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी के अन्तर्गत अधिकारियों/ कर्मचारियों के यात्रा बीजक माह अक्टूबर/नवम्बर, 2002 को प्री आडिट हेतु शासन को कब भेजा गया ? क्या इस सम्बन्ध में मा0 भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दि0 28-10-2005 जोकि मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी तथा उक्त बिलों का मार्च, 2006 तक भुगतान न करने के क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 30-3-2005 द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी के 62 अधिकारियों/कर्मचारियों के कालातीत यात्रा बीजक माह अक्टूबर/नवम्बर, 2002 एवं 02 कर्मचारियों के वर्ष 2003 के कालातीत यात्रा बीजकों को प्री आडिट हेतु शासन में भेजा गया था।

जी हां।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी के उपरोक्त 64 कालातीत यात्रा भत्ता बीजक धनराशि रु0 34,195/- की भुगतान हेतु पूर्व सम्परीक्षा की स्वीकृति शासनादेश संख्या 4350/15-2-05-28 (9)/05, दिनांक 24 जनवरी, 2006 द्वारा प्रदान की जा चुकी है, जिसके संदर्भ में सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0, इलाहाबाद द्वारा अपने पत्र दिनांक 9-3-2006

के माध्यम से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को भुगतान करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी को निर्देशित कर दिया गया है।

स्व0 संजय नागर, प्राचार्य, राजकीय जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कालेज, मुजफ्फरनगर की पत्नी को पारिवारिक पेंशन एवं एरियर का भुगतान

29--श्री बैजनाथ दुबे--

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती मीना शर्मा पत्नी स्व0 श्री संजय नागर, सेवानिवृत्त प्राचार्य, राजकीय जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कालेज, मुजफ्फरनगर को पारिवारिक पेंशन एवं एरियर के भुगतान के सम्बन्ध में वरिष्ठ कोषाधिकारी, मुजफ्फरनगर ने दिनांक 22-2-95 को निदेशक, कोषागार एवं शिक्षा निदेशक, बेसिक ने दिनांक 11-7-2002 तथा अपर शिक्षा निदेशक ने 11-4-97 को तथा शिक्षा निदेशक, बेसिक ने 26-9-01 को लिखा गया पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या श्रीमती मीना शर्मा को पारिवारिक पेंशन एवं एरियर का भुगतान हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरनपाल सिंह--

जी नहीं।

शिक्षा निदेशक (बेसिक) का पत्र दिनांक 26-9-2001 अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) का पत्र दिनांक 11-7-2002, अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) का पत्र दिनांक 11-4-1997 संबंधित कार्यालय में उपलब्ध है।

श्रीमती मीना शर्मा को नियमानुसार पारिवारिक पेंशन देय नहीं है। अत: एरियर भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता।

स्व0 श्री घनश्याम दास नागर, सेवानिवृत्त प्राचार्य, राजकीय जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कालेज, मुजफ्फरनगर के पुत्र स्व0 श्री संजय नागर थे तथा श्रीमती मीना शर्मा पत्नी (स्व0 श्री संजय नागर) स्व0 श्री घनश्याम दास नागर सेवानिवृत्त प्राचार्य की पुत्र वधू हैं।

श्रीमती मीना शर्मा द्वारा अपने पति स्व0 श्री संजय नागर के मानसिक रूप से विक्षिप्त होने का उपलब्ध कराया गया मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण-पत्र श्री संजय नागर को पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किये जाने हेतु पर्याप्त नहीं है। प्रमाण-पत्र शासनादेश संख्या-सा-3-1155/10-2-81, दिनांक 6 अगस्त, 1981 के प्राविधानों के अनुरूप नहीं है।

जनपद जालौन के वि0 ख0 महेवा के ग्राम खैरई में लघु सिंचाई विभाग द्वारा निर्माणाधीन चेकडैम मानक के अनुरूप न बनाये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

30--डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा--

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के वि0 ख0 महेवा के ग्राम खैरई में लघु सिंचाई विभाग द्वारा निर्माणाधीन चेकडैम मानक के अनुरूप न बनाये जाने के सम्बन्ध में ग्राम खैरई के तकदीर सिंह के शपथ-पत्र पर प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-क-3-201645, दिनांक 20-3-06 उन्हें प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई मंत्री (श्री शाकिर अली)--

जी हां।

जिलाधिकारी, जालौन को प्रकरण की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराकर जांच आख्या उपलब्ध कराने हेतु शासन के पत्र दिनांक 05-5-2006 द्वारा निर्देशित किया गया और इसकी सूचना पत्र दिनांक 05-5-2006 द्वारा मा0 प्रश्नकर्ता सदस्य महोदय को भी दी गई । जिलाधिकारी द्वारा इसकी जांच जिला विकास अधिकारी, उरई एवं अधिशासी अभियंता, वेतवा प्रखण्ड, उरई से कराई गई, जिसकी आख्या के अनुसार सामग्री की आपूर्ति का कार्य विभाग में पंजीकृत ठेकेदार से टेण्डर की प्रक्रिया द्वारा समुचित प्रचार-प्रसार के उपरांत कराया गया तथा निर्माण कार्य विभाग द्वारा मास्टर रोल पर कराया गया है। चेकडेम में पानी भरा होने के कारण इसके कार्य की गुणवत्ता की जांच संभव नहीं है। चेकडेम बरसात में भी सुरक्षित है, किन्तु साइड पिचिंग में कुछ स्थानों में क्षति पाई गई है तथा पिचिंग व प्रोटेक्शन वाल्व के बीच दरार पाई गई है, जिसे ठीक कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के ग्राम उकरुवा विकास खण्ड कदौरा में जूनियर हाई स्कूल का निर्माण विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

31--डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा--

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्राम उकरुवा विकास खण्ड कदौरा, जनपद जालौन में जूनियर हाई स्कूल स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त हाई स्कूल का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? जनपद जालौन के ग्राम सहादतपुर में जूनियर हाई स्कूल स्वीकृत न किये जाने का क्या कारण है ? क्या इस सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी, जालौन को सम्बंधित प्रश्नकर्ता का पत्र ख-307064, दिनांक 1-6-06 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह--

जी हां, जिसका निर्माण कार्य 75 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है तथा कार्य प्रगति पर है।

जनपद जालौन के ग्राम शहादतपुर एवं उकरुवा एक ही ग्राम सभा के ग्राम हैं। जिनकी आबादी क्रमशः 366 तथा 487 है। उकरुवा में वर्ष 2005-06 में जूनियर हाई स्कूल स्वीकृत किया जा चुका है। इस प्रकार ग्राम शहादतपुर जूनियर हाई स्कूल उकरुवा से संबित है।

जी हां।

ग्राम शहादत उकरुवा जूनियर हाई स्कूल से मानक के अनुसार संबित था। अतः कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

उपरोक्तानुसार।

जनपद महाराजगंज, पनिचरा के राजकीय इण्टर कालेज में जीव विज्ञान की मान्यता एवं प्रयोगशाला का सामान उपलब्ध किये जाने का प्रकरण

32--श्री फतेह बहादुर सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इण्टर कालेज, पनियरा, जनपद महराजगंज में जीव विज्ञान का लैब बनकर तैयार है लेकिन जीव विज्ञान की मान्यता नहीं मिल

पायी है और न ही प्रयोगशाला में कोई प्रयोग करने का सामान उपलब्ध है ? [illegible] मान्यता एवं प्रयोगशाला का सामान इस शिक्षण सत्र में शासन द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

राजकीय इण्टर कालेज पनियरा गोरखपुर अब महराजगंज की स्थापना शासनादेश संख्या 2006/15-12-86-47(12)/84, दिनांक 30-8-86 से वैज्ञानिक एवं साहित्यिक दोनों वर्गों में की गयी है। उक्त शासनादेश में विज्ञान उपकरण हेतु धनराशि भी स्वीकृत है।

विज्ञान मान्यता प्राप्त है प्रयोगशाला भवन का हस्तान्तरण मार्च, 2006 में हुआ, वर्तमान सत्र में प्रयोगशाला का सामान क्रय किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महाराजगंज के राजकीय इण्टर कालेज, पनियरा में विज्ञान/ जीव विज्ञान के अध्यापकों की तैनाती की मांग

33--श्री फतेह बहादुर सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय इण्टर कालेज, पनियरा, जनपद महराजगंज में विज्ञान वर्ग के अध्यापकों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्या राजकीय इण्टर कालेज, पनियरा में इस शिक्षण सत्र में विज्ञान/जीव विज्ञान के अध्यापकों की तैनाती की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

जी नहीं।

राजकीय इण्टर कालेज, पनियरा, महराजगंज में विज्ञान वर्ग में एल0 टी0 ग्रेड के 02 पद रिक्त हैं। एल0 टी0 ग्रेड के रिक्त पदों पर नियुक्तियां किये जाने के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तरांचल द्वारा रोक लगाई गई है। मा0 उच्च न्यायालय, उत्तरांचल से रोक समाप्त करने संबंधी आदेश प्राप्त होने पर यथा समय रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जायेगी।

प्रवक्ता संवर्ग में साहित्यिक वर्ग में 05 एवं विज्ञान वर्ग में 04 पद स्वीकृत हैं। साहित्यिक वर्ग में 05 पदों के सापेक्ष 06 प्रवक्ता तैनात हैं तथा 02 पदों पर विज्ञान वर्ग के प्रवक्ता कार्यरत हैं। इस प्रकार प्रवक्ता (रसायन) का 01 पद रिक्त है। साहित्यिक वर्ग में 01 पद स्वीकृति से अधिक भरा है, जिसे जीव विज्ञान के छात्र उपलब्ध होने पर साहित्यिक वर्ग से जीव विज्ञान के प्रवक्ता के रूप में परिवर्तित कर भरने पर विचार किया जायेगा। प्रवक्ता (रसायन) के पद को भरे जाने हेतु लोक सेवा आयोग को आवश्यकता भेजा गया है। लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी को संस्तुति प्राप्त होने पर प्रवक्ता (रसायन) के पद पर नियुक्ति की जायेगी।

जनपद गोरखपुर के तहसील मुख्यालय बांसगांव में राजकीय कन्या इण्टर कालेज में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

34--श्री फतेह बहादुर सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मुख्यालय बांसगांव, जनपद गोरखपुर के राजकीय कन्या इण्टर कालेज में अध्यापकों के पद रिक्त हैं जिससे बालिकाओं का पठन-पाठन प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या शासन द्वारा रिक्त पदों पर अध्यापकों की तैनाती वर्तमान शिक्षा सत्र में की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

जी नहीं।

राजकीय कन्या इण्टर कालेज, बांसगांव, गोरखपुर में प्रवक्ता के कुल 06 पदों के सापेक्ष 03 पद रिक्त हैं, जिन्हें यथा समय लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने पर भरा जायेगा।

एल0 टी0 ग्रेड के कुल 16 पदों के सापेक्ष 07 पद रिक्त हैं। एल0 टी0 ग्रेड के रिक्त पदों पर नियुक्तियां किये जाने के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तरांचल द्वारा रोक लगायी गई है। मा0 उच्च न्यायालय, उत्तरांचल से रोक समाप्त करने संबंधी आदेश प्राप्त होने पर यथा समय रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जायेगी।

जनपद गोरखपुर के तहसील मुख्यालय बांसगांव में स्थित राजकीय कन्या इण्टर कालेज के जर्जर भवन की मरम्मत की मांग

35--श्री फतेह बहादुर सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मुख्यालय बांसगांव, जनपद गोरखपुर में स्थित राजकीय कन्या इण्टर कालेज का भवन जर्जर है, जिससे कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है ? क्या भवन की मरम्मत का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त भवन की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है।

36--श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा--

[द्वितीय गुरु के अता0 प्र0 सं0 53 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखनऊ के ग्राम रायपुर, पोस्ट सरई गुदौली, ब्लाक गोसाईगंज में लोनी स्केप पर बने पुल की मरम्मत की मांग

37--डा0 अजय कुमार--

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि ग्राम रायपुर, पोस्ट सरई गुदौली, ब्लाक गोसाईगंज, लखनऊ में लोनी स्केप जो शारदा सहायक पोषक नहर से निकलता है, पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो

गया है ? क्या यह भी जानकारी है कि इस पुल से प्रतिदिन सैकड़ों लोगों [illegible] छोटे-बड़े वाहनों का आवागमन होता है ? क्या उक्त क्षतिग्रस्त पुल का पुनर्निर्माण [illegible] सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मसूद अहमद--

जी हां।

जी हां।

जी हां।

क्षतिग्रस्त पुल की बृहद संरचना को दृष्टिगत रखते हुये उत्तर प्रदेश सेतु निगम से पुल का निरीक्षण कराया गया। सेतु निगम ने विभाग द्वारा बनाई गयी मरम्मत की कार्य योजना के स्थान पर नये पुल के निर्माण का सुझाव दिया। तदनुरूप सेतु निगम से नये पुल के निर्माण का आकलन मांगा गया। प्राप्त आकलन के अनुसार नये पुल के निर्माण पर रु0 90.00 लाख का व्यय अनुमानित है।

उक्त पुल के निर्माण का कार्य शारदा सहायक प्रणाली की पुर्नस्थापना की परियोजना को वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त ही किया जाना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

38--श्री द्वारिका प्रसाद--

[1ले सोमवार के अता0 प्र0 सं0 87 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गोण्डा के कॉलेजों की इण्टरमीडिएट कक्षाओं को मान्यता प्रदान किया जाना

39--श्री राम प्रताप सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के कुल कितने कालेजों की इण्टरमीडिएट कक्षाओं को मान्यता प्रदान करने सम्बन्धी आवेदन-पत्र शासन में 30-6-06 तक लम्बित हैं ? सरकार द्वारा उन्हें कब तक मान्यता दे दी जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

कोई नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

विशिष्ट बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण में भारी धांधली एवं अनियमितता संबंधी प्रकरण

40--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या विशिष्ट बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण 2004 में भारी धांधली एवं अनियमिततायें पायी गयी हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा धांधली करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कितने शिक्षकों को प्रशिक्षण [illegible] चयनित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा अन्तिम रूप से कितने लोगों का [illegible]

होकर प्रशिक्षित किया गया ? क्या अभी भी कुछ स्थान अवशेष हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन स्थानों को पूर्व में प्राप्त प्रार्थना-पत्रों से मेरिट के आधार पर चयनित करने पर विचार करेगी ?

श्री किरन पाल सिंह--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में 46,189 रिक्तियों के प्रति शिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु चयनित किया जाना था तथा अर्हता के आधार पर शैक्षिक गुणांक के अवरोही क्रम में 41,450 अभ्यर्थियों की विचाराधीन सूची तैयार की गई और मंडलीय जांच समिति द्वारा जांचोपरान्त 39,357 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु चयनित किया गया तथा प्रशिक्षित किया गया। वर्तमान में रिशफलिंग के फलस्वरूप तथा मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में जारी सूची के विभिन्न आरक्षित वर्ग के 2586 अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

विज्ञान वर्ग के विभिन्न श्रेणियों में पूर्ण सूची का उपभोग हो जाने तथा अर्ह अभ्यर्थी न उपलब्ध होने के कारण स्थान रिक्त रह गये।

उन स्थानों/ वर्गों में पूर्ण सूची का उपभोग हो चुका है।

जनपद फिरोजाबाद मोहद्दीपुर गांव के प्राइमरी पाठशाला में मिड डे मील योजना के अन्तर्गत दिये गये खाने से बच्चों के बीमार हो जाने की घटना की जांच

41--डा0 सुशील चौधरी--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फिरोजाबाद मोहद्दीपुर गांव के प्राइमरी पाठशाला में मिड डे मील योजना के अन्तर्गत दिया जाने वाला खाना खाने से 80 बच्चे जनवरी, 06 के अन्तिम सप्ताह में बीमार हो गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त घटना की जांच करायी गयी ? जांच परिणाम क्या है ? सरकार इस तरह की घटनाओं को रोकने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह--

जी हां।

41 बच्चे प्रभावित हुए थे।

जी हां।

घटना की जांच सचिव स्तर की जांच समिति से करायी गयी। जांच में यह पाया गया कि उक्त ग्राम में दिनांक 28 जनवरी, 2006 को मध्यान्ह भोजन के अन्तर्गत खाना खाने के बाद लगभग 215 बच्चों में 41 बच्चे प्रभावित हुए थे जिन्हें नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उपचार के बाद सभी को उनके घर भेज दिया गया। जांच में भोजन विषाक्तता से बच्चों के बीमार होने की घटना की पुष्टि नहीं हुई है, बल्कि बच्चे पहले से ही सर्दी जुकाम से ग्रस्त थे जिसके कारण खिचड़ी खाने से कुछ बच्चों को उल्टियां हुई थीं। 6 बच्चों को आई0 वी0 फ्लूइड इंजेक्शन लगाया गया। अस्पताल के रजिस्टर में बच्चों को लाये जाने के कारण संभवत: फूड प्वाइजनिंग लिखा है।

ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए खाना बनाए जाने के स्थान को स्वच्छ रखने, बर्तनों को स्वच्छ रखने एवं बच्चों को खाना देने से पूर्व अध्यापकों एवं अभिभावकों द्वारा चखने के निर्देश हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस सदन में प्रश्न प्रहर सबसे महत्वपूर्ण होता है। आज जिस तरह से एक प्रश्न लगा है उससे पूरे प्रदेश में यही सन्देश जायेगा कि माननीय सदस्यगण विधान सभा में अपने दायित्व का ठीक तरह से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। जबकि मैंने ही 15 अल्पसूचित प्रश्न लगाये और इसी तरह से अन्य सदस्यों ने भी चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सवन प्रश्न लगाये और उनको स्वीकार भी कर लिया गया। इसके बावजूद भी केवल विभाग से उत्तर न आने के कारण उनको नहीं लगाया गया। प्रश्नकाल 12.20 तक होता है और अल्पसूचित, तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न लगते हैं। आज के एजेन्डे में केवल एक तारांकित प्रश्न लगा। एक प्रश्न राम इकबाल जी का जो कि नीतिगत प्रश्न है। सरकार ने कन्या विद्याधन योजना बनाई है तो इस पर सरकार को अपनी नीति बतानी थी। इस प्रश्न को अतारांकित कर दिया गया। इसका जवाब जो मुख्यालय पर तैयार होता। सरकार कह सकती थी कि कितना पैसा इसमें दिया गया। क्या सरकार विभाग के अधिकारियों के आधार पर कार्य करेगी कि जो जिस प्रश्न को चाहें अतारांकित करवा दें। आपके स्वीकृत करने के बाद भी एक प्रश्न लग रहा है। पिछले सत्र में जिस तरह से अधिक से अधिक प्रश्न लिये गये थे जिससे प्रदेश की जनता की समस्याओं का समाधान हुआ था। प्रश्नों के लगने से सरकार को अपनी नीतियों को कहने का अवसर मिलता है और हम लोग भी उस जवाब के द्वारा अनुपूरक प्रश्न करके अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। इस तरह से केवल एक प्रश्न ही लगने से सदन की छवि के बारे में भी यह धारणा बनेगी कि हम लोग सदन में शोर शराबा ही करते हैं अपने दायित्वों का निवर्हन नहीं करते हैं।

*श्री हुकुम सिंह--

मैं केवल यह आग्रह करना चाहता हूँ कि आपके स्तर से यह साफ हो जाये कि माननीय सदस्यों द्वारा प्रश्न दिये गये कि नहीं दिये गये। माननीय सदस्यों द्वारा यदि प्रश्न दिये गये तो उनका क्या भाग्य रहा ? केवल एक ही प्रश्न आज लगा। तारांकित, अतारांकित और अल्पसूचित तीन तरह से प्रश्न लगते हैं। आप जानकारी करा लें कि कितने प्रश्न लगाये गये और उनके उत्तर क्यों नहीं आ रहे हैं ?

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--

मान्यवर, 6 अल्पसूचित प्रश्न विधान सभा के इस सत्र के लिये आये थे और दुर्भाग्य है कि वह 6 प्रश्न मेरे थे। मेरे वह प्रश्न पॉलिथिन, ठंडा पेय, सिमी, हरित प्रदेश दादरी विद्युत परियोजना और सी0 ओ0 को गाड़ी पर लखनऊ में घुमाने के बारे में थे। यह प्रश्न 10-11 अगस्त को सरकार को भेज दिये गये और 10-11 अगस्त को सरकार को भेजे गये प्रश्नों का उत्तर अभी तक प्राप्त

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं हुआ है। इन 6 प्रश्नों में से दो प्रश्न जो कि सिमी और ठंडे पेय के बारे में थे, सरकार की तरफ से उनको नियमित करने का अनुरोध आ गया है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर प्रश्नों को नियमित करने के बारे में सरकार का आग्रह हो तो उस पर आप सख्ती से विचार करें। जरूरी नहीं है कि आप सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लें। तारांकित प्रश्न के लिये तो वार निर्धारित होते हैं। यह तो चार पांच दिन का सत्र है, ऐसे में दूसरा सोमवार, दूसरा मंगलवार और दूसरा बुधवार नहीं आयेगा। ऐसी स्थिति में वो प्रश्न विधान सभा की कार्यसूची के, विधान सभा की कार्यवाही के अंग नहीं बन पायेंगे और सन्देश यह गया कि प्रश्न ही नहीं लगे। इसीलिये मैंने आग्रह किया था कि वार के सम्बन्ध में शिथिलता कर दें और यह 6 अल्पसूचित प्रश्न जिनमें से दो के बारे में आया है कि इनको नियमित कर दें। जबकि दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न थे ठंडा पेय और सिमी के लिए प्रदेश सरकार को जिलों से सूचना मंगानी थी शेष चार प्रश्न के बारे में कोई उत्तर नहीं आया। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नों के संबंध में विधायकों को संरक्षण प्रदान करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष--

जो आप प्रश्नों के बारे में चाहते हैं इसमें नियमों में प्राविधान है सरकार जब उत्तर देने को तैयार हो जाती है तो उसको एजेन्डे में लाया जाता है अब सरकार किन परिस्थितियों में उत्तर नहीं दे सकी इस पर देखा जाएगा। इसमें हमारी राय है कि इस पर बैठकर विचार करेंगे। किस तरह समाधान निकाला जाए ? अन्यथा नियम समिति में ले जाकर नियमों में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। अब निधन के निर्देश लेते हैं।

श्री जगदम्बिका पाल--

यह तो विभाग का दायित्व है इसमें सरकार की बात नहीं है हमारा प्रश्न विभाग को जाता है उसमें अगर वह उत्तर नहीं देते हैं तो इसमें विभाग का दायित्व है। यह तो विभाग की लापरवाही है।

श्री अध्यक्ष--

इसमें पूरी बात पर संबंधित मंत्री जी से वार्ता करनी पड़ेगी। आपकी बात को संबंधित मंत्री जी स्वयं जान गए हैं जो प्रश्न महत्वपूर्ण है इस पर विचार करेंगे किन परिस्थितियों में नहीं आ पाये।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

वार के अतिरिक्त मंत्री जी को ही जवाब देना है उनका वार नहीं है तो जवाब कौन देगा ? आपको एतराज हो सकता है संबंधित मंत्री क्यों नहीं है ? कहीं ऐसा नहीं लगता है कि नियमों में कमी है, खोट है यह भी सही नहीं है सरकार को जवाब देना है। सरकार और विभाग दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। जैसा नियमानुसार है वैसा जबाव आता है उसमें कमी महसूस नहीं हो रही है।

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी--

संसदीय कार्य मंत्री जी सभी प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं इस आधार पर वार के इंतजार के कारण विधान परिषद की व्यस्तता के कारण हमारे प्रश्नों के उत्तर न आयें, तो सही नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री जी हमारे प्रश्न का उत्तर दे देंगे तो काम चल जाएगा। यह तो जैक आफ आल, मास्टर आफ नन है। वार के इंतजार में प्रश्नों की हत्या न हो।

मोहम्मद आजम खां--

परेशानी यह है कि बाजपेयी जी हमारा पाठ हमें पढ़ाने लगे। हमने ही यह सेन्टेंस इन्हें बताया था जेक आफ ऑल, मास्टर ऑफ ऑल, कुछ ऐसा कहें जो आपकी तरफ से आए, हमारा सीखा न बोलें।

विधान सभा के पूर्व सदस्य सर्वश्री राजाराम, बसीर अहमद हकीम, अनन्त स्वरूप सिंह, चित्तर सिंह निरंजन, सुरेश प्रकाश सिंह, बलभद्र प्रकाश शुक्ल, सेवाराम, अब्दुल रऊफ खां, कृष्ण चन्द्र वर्मा, श्रीपत सहाय, लक्ष्मण स्वरूप, श्रीमती सरस्वती तिवारी, श्री पुत्त लाल, श्री ओम प्रकाश, श्री जंग बहादुर वर्मा, श्री रमाकान्त मिश्र, श्री उपेन्द्र नाथ दीक्षित, श्री राम कृष्ण वर्मा तथा श्री राम देव मिश्र के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष--

पहले भूतपूर्व विधायकों को ले लेते हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राजाराम का 18 मई, 1958 को निधन हो गया। वे लगभग 52 वर्ष के थे। श्री राजाराम का जन्म मोहल्ला खत्रीपाड़ा, कस्बा अतरौली, जिला अलीगढ़ में हुआ था उन्होंने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से बी0 एस0-सी0 (आनर्स) की शिक्षा प्राप्त की थी। श्री राजाराम वर्ष 1952 में निर्वाचन क्षेत्र अतरौली (दक्षिण)-कोइल (पूर्व) जिला अलीगढ़ से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री राजाराम ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। श्री राजाराम के निधन से प्रदेश ने एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री बसीर अहमद हकीम का 23 मई, 1965 को निधन हो गया। वे लगभग 55 वर्ष के थे। श्री बसीर अहमद हकीम का जन्म वर्ष 1910 में जहांगीराबाद, जिला सीतापुर में हुआ था। इनकी शिक्षा कानपुर में हुई थी। श्री बसीर अहमद हकीम वर्ष 1949 में जिला सीतापुर से संयुक्त प्रान्त की विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुये थे। तत्पश्चात् वे वर्ष 1952 में निर्वाचन क्षेत्र सीतापुर (पूर्व) जिला सीतापुर से कांग्रेस के निकट पर पुनः विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री बसीर अहमद एक प्रसिद्ध समाजसेवी एवं राजनीतिक चिंतक थे। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था। श्री बसीर अहमद हकीम के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अनंत स्वरूप सिंह का 1 जनवरी, 1967 को निधन हो गया। श्री अनंत स्वरूप सिंह का जन्म ग्राम उकाथू, परगना एकडला, तहसील खागा, जिला फतेहपुर में हुआ था। उन्होंने एम0 ए0, एल-एल0 बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री अनंत स्वरूप सिंह वर्ष 1952 में निर्वाचन क्षेत्र फतेहपुर (दक्षिण) खागा (दक्षिण) जिला फतेहपुर से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री अनंत स्वरूप सिंह अपने क्षेत्र की समस्याओं के प्रति सदा जागरूक रहते थे उन्हें अध्ययन एवं देशाटन प्रिय था। श्री अनंत स्वरूप सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री चित्तरै सिंह निरंजन का 18 फरवरी, 1981 को निधन हो गया। वे लगभग 80 वर्ष के थे। श्री चित्तर सिंह निरंजन का जन्म 1 जनवरी, 1901

को हुआ था। उन्होंने इण्टरमीडिएट तक शिक्षा ग्रहण की थी। श्री चित्तर सिंह निरंजन वर्ष 1952 तथा 1957 में निर्वाचन क्षेत्र कोंच, जिला जालौन से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री चित्तर सिंह निरंजन सदैव अपने क्षेत्र के विकास के लिये प्रयत्नशील रहते थे। श्री चित्तर सिंह निरंजन के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सुरेश प्रकाश सिंह का 4 मई, 1982 को निधन हो गया , वे लगभग 69 वर्ष के थे। श्री सुरेश प्रकाश सिंह का जन्म वर्ष 1913 में हुआ था। इन्होंने प्रारम्भिक शिक्षा बिसवां, सीतापुर तथा उच्च शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। श्री सुरेश प्रकाश सिंह वर्ष 1952 में निर्वाचन क्षेत्र बिसवां-सिधौली (पूर्व), जिला सीतापुर से निर्दलीय सदस्य के रूप में विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। तत्पश्चात् वे वर्ष 1957 में कांग्रेस के टिकट पर पुन: विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री सुरेश प्रकाश सिंह ने वर्ष 1947 में राजनीति में प्रवेश किया था। वे वर्ष 1965 से 1969 तक जिला परिषद अध्यक्ष रहे थे। श्री सुरेश प्रकाश सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल का 25 दिसम्बर, 1983 को निधन हो गया। श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल वर्ष 1952 में निर्वाचन क्षेत्र उतरौला (उत्तर), जिला गोण्डा से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल ने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था। समाज सेवा में इनकी विशेष अभिरुचि थी। श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल के निधन से प्रदेश ने एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सेवा राम का 19 अगस्त, 1985 को निधन हो गया। श्री सेवा राम सर्वप्रथम वर्ष 1952 में निर्वाचन क्षेत्र पुरवा (उत्तर), हसनगंज, जिला उन्नाव से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। तत्पश्चात् वे वर्ष 1962 में निर्वाचन क्षेत्र बांगरमऊ, जिला उन्नाव से कांग्रेस के टिकट पर पुन: विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री सेवा राम ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था जिसके फलस्वरूप वे जेल भी गये थे। वे वर्ष 1937 से 1940 तक आनरेरी मजिस्ट्रेट रहे थे। वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, उन्नाव के सदस्य भी रहे थे। कृषि सुधार तथा जन सेवा में उनकी रुचि थी। श्री सेवा राम के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अब्दुल रऊफ खां का 16 फरवरी, 1988 को निधन हो गया। वे लगभग 76 वर्ष के थे। श्री अब्दुल रऊफ खां का जन्म 10 फरवरी, 1912 को बासलोगंज शेर खां की गली, मिर्जापुर में हुआ था। श्री अब्दुल रऊफ खां वर्ष 1950 में निर्वाचन क्षेत्र फतेहपुर, जिला बांदा से तथा वर्ष 1952 में निर्वाचन क्षेत्र फतेहपुर(पूर्व) एवं खागा (उत्तर), जिला फतेहपुर से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री अब्दुल रऊफ खां ने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था। समाज के निर्धन वर्ग के कष्टों को दूर करने के लिये वे सदैव प्रयत्नशील रहते थे। देशाटन उन्हें प्रिय था। श्री अब्दुल रऊफ खां के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा का 1 जुलाई, 1993 को निधन हो गया। वे लगभग 78 वर्ष के थे। श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा का जन्म 1915 में हुआ था। उन्होंने झांसी इण्टर कालेज, झांसी से शिक्षा प्राप्त की थी। श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा सर्वप्रथम वर्ष 1952 में

निर्वाचन क्षेत्र ललितपुर (दक्षिण), जिला झांसी से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। तत्पश्चात् वे वर्ष 1962 तथा 1969 में पुन: कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। वे संसद सदस्य भी रह चुके थे। श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा राष्ट्रीय आन्दोलनों में भाग लेने के फलस्वरूप जेल गये थे। वे जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेशीय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेशीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के उपाध्यक्ष तथा स्टेट बोर्ड आफ ऐनिमल हसबेंडरी एण्ड फिशरीज के चेयरमैन रहे थे। वे प्रदेशीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य तथा शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे थे। वे अनेक शिक्षा संस्थाओं के संस्थापक मैनेजर थे। श्री शर्मा पत्रकार थे। उन्होंने अनेक लेख तथा कहानियाँ लिखी है। श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री श्रीपत सहाय का 25 जुलाई, 1997 को निधन हो गया। वे लगभग 100 वर्ष के थे। श्री श्रीपत सहाय का जन्म 14 अगस्त, 1897 को तहसील राठ के ग्राम जराखर, जिला हमीरपुर में हुआ था। श्री श्रीपत सहाय वर्ष 1946 में जिला हमीरपुर से संयुक्त प्रांत की विधान सभा के सदस्य थे। तत्पश्चात् वे वर्ष 1952 में निर्वाचन क्षेत्र राठ, जिला हमीरपुर से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री श्रीपत सहाय ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया था। विभिन्न आंदोलनों में भाग लेने के फलस्वरूप वे कई बार जेल भी गये थे। वे एक लेखक एवं आयुर्वेद के वैद्य भी थे। श्री श्रीपत सहाय के निधन से प्रदेश ने एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया। उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री लक्ष्मण स्वरूप का 24 अप्रैल 2003 को निधन हो गया। वे लगभग 62 वर्ष के थे। श्री लक्ष्मण स्वरूप का जन्म वर्ष 1941 को हापुड़ में हुआ था। उन्होंने एस0एस0वी0 कालेज, हापुड़, से शिक्षा प्राप्त की थी। श्री लक्ष्मण स्वरूप वर्ष 1969 में निर्वाचन क्षेत्र हापुड़, जिला मेरठ से भारतीय क्रान्ति दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री लक्ष्मण स्वरूप अध्यापन कार्य करते थे। प्रगतिशील युवक संघ के सदस्य रहे थे। खेलकूद तथा अध्ययन में उनकी रुचि थी। श्री लक्ष्मण स्वरूप के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की भूतपूर्व सदस्य श्रीमती सरस्वती तिवारी का 8 मई, 2006 को निधन हो गया। वे लगभग 76 वर्ष की थीं। श्रीमती सरस्वती तिवारी का जन्म 1930 में निगलाट, जिला नैनीताल में हुआ था। उन्होंने इंटरमीडिएट तथा मध्यमा की शिक्षा ग्रहण की थी। श्रीमती सरस्वती तिवारी वर्ष 1985 तथा 1989 में निर्वाचन क्षेत्र अल्मोड़ा, जिला अल्मोड़ा से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुयी थीं। श्रीमती सरस्वती तिवारी उत्तर प्रदेश विधान सभा की कई समितियों की सदस्य रही थीं। वे जिला परिषद की दो वर्षों तक सदस्य, जिला महिला कल्याण समिति की तीन वर्षों तक अध्यक्ष, रैस्क्यू होम, अलमोड़ा की दो वर्षों तक अध्यक्ष, महिला उपभोक्ता सहकारी समिति, अलमोड़ा की 10 वर्षों तक सचिव रह चुकी थीं। वे आर्य कन्या महाविद्यालय, अल्मोड़ा की प्रबन्ध समिति, बीस सूत्रीय कार्यक्रम समिति, जिला रोजगार समिति, अलमोड़ा, खाद्य परामर्शदात्री समिति तथा राजकीय संरक्षण गृह की सलाहकार समिति की सदस्य रही थीं सामाजिक कार्य में उनकी विशेष रुचि थी तथा जनसेवा उन्हें प्रिय थी । श्रीमती सरस्वती तिवारी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी महिला को खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री पुत्तूलाल का दिनांक 28 मई, 2006 को निधन हो गया। वे लगभग 83 वर्ष के थे। श्री पुत्तूलाल का जन्म 26 अक्टूबर, 1923 को पीनम नगला, जिला फर्रुखाबाद में हुआ था। श्री पुत्तूलाल वर्ष 1952 में निर्वाचन क्षेत्र एतमादपुर-आगरा पूर्व, जिला आगरा से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री पुत्तूलाल वर्ष 1957 से 1983 तक उच्च जुडीशियल सेवा में कार्यरत रहे। वे उत्तर प्रदेश शासन के उप सचिव एवं उप विधि परामर्शी भी रह चुके थे। वे 1983 से 1986 तक मेम्बर व चेयरमेन, इल्लीगल माइग्रेंट्स डिटरमिनेशन ट्रिब्यूनल, आसाम में कार्यरत रहे। श्री पुत्तूलाल के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री ओम प्रकाश का 3 जून, 2006 को निधन हो गया। वे लगभग 78 वर्ष के थे। श्री ओम प्रकाश का जन्म 10 जुलाई, 1928 को हुआ था। उन्होंने हाईस्कूल तक शिक्षा ग्रहण की थी। श्री ओम प्रकाश वर्ष 1967 में निर्वाचन क्षेत्र आंवला, जिला बरेली से जनसंघ के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री ओम प्रकाश दलित वर्ग संघ के सदस्य रहे थे। खेल कूद में उनकी रुचि थी। श्री ओम प्रकाश के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री जंग बहादुर वर्मा 4 जून, 2006 को निधन हो गया। वे लगभग 87 वर्ष के थे। श्री जंग बहादुर वर्मा का जन्म 19 जनवरी, 1919 को ग्राम रामपुर, जिला बाराबंकी में हुआ था। उन्होंने मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की थी। श्री जंग बहादुर वर्मा वर्ष 1957 में निर्वाचन क्षेत्र हैदरगढ़, जिला बाराबंकी से सोसलिस्ट पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। तत्पश्चात् वे वर्ष 1967 तथा 1974 में क्रमशः संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी तथा भारतीय क्रांति दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री जंग बहादुर वर्मा अन्याय के प्रति विरोध करने के फलस्वरूप सोसलिस्ट पार्टी तथा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की ओर से 15 बार जेल गये तथा 3 बार जुर्माना भरा था। वे साधारण जीवन व्यतीत करने में विश्वास रखते थे। उन्हें देशाटन एवं बागवानी में रुचि थी तथा अध्ययन से उन्हें विशेष प्रेम था। श्री जंग बहादुर वर्मा के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रमाकान्त मिश्र का 8 जून, 2006 को निधन हो गया। वे लगभग 71 वर्ष के थे। श्री रमाकान्त मिश्र का जन्म 1 जुलाई, 1935 को ग्राम कोंधियारा, जिला इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने एल0एल0बी0 तथा एल0एस0जी0डी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री रमाकान्त मिश्र वर्ष 1980 तथा 1985 में निर्वाचन क्षेत्र बारा, जिला इलाहाबाद से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री रमाकान्त मिश्र श्रीमती इन्दिरा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में बन्दी रहे थे, वे इंडियन रेडक्रास सोसाइटी, जिला शाखा, इलाहाबाद के सचिव रहे थे। वे वर्ष 1974 में जिला पंचायत विकास खण्ड जसरा, इलाहाबाद के सदस्य भी रहे थे। श्री मिश्र कई शिक्षण संस्थाओं से सम्बद्ध थे। शिक्षा एवं स्वास्थ्य में उनकी विशेष रुचि थी। श्री रमाकान्त मिश्र के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री उपेन्द्र नाथ दीक्षित का 1 जुलाई, 2006 को निधन हो गया। वे लगभग 87 वर्ष के थे। श्री उपेन्द्र नाथ दीक्षित का जन्म 6 जनवरी, 1919 को

ग्राम नांगावां, पोस्ट हरचन्दखेड़ा, जिला कानपुर नगर में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बी0ए0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री उपेन्द्र नाथ दीक्षित वर्ष 1969 में निर्वाचन क्षेत्र सरसौल, जिला कानपुर से भारतीय क्रान्ति दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री उपेन्द्र नाथ दीक्षित जिला कांग्रेस कमेटी, कानपुर तथा यू0पी0सी0सी0 के सदस्य थे। वे जूनियर हाईस्कूल दारागंज तथा नेहरू बाल विद्यालय, कानपुर के संस्थापक थे तथा अन्य कई शैक्षिक संस्थाओं से भी सम्बद्ध रहे थे। वे जिला परिषद कानपुर के सदस्य भी रहे थे। उन्होंने अनेक कवितायें और लेख लिखे हैं। विज्ञान में उनकी रुचि थी। श्री उपेन्द्र नाथ दीक्षित के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम कृष्ण वर्मा का 10 अगस्त, 2006 को निधन हो गया। वे लगभग 68 वर्ष के थे। श्री राम कृष्ण वर्मा का जन्म 3 जनवरी, 1938 को मेरठ में हुआ था। वे स्नातक, एल0एल0बी0 तथा सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा धारक थे। श्री राम कृष्ण वर्मा वर्ष 1993 में निर्वाचन क्षेत्र किठौर, जिला मेरठ से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री राम कृष्ण वर्मा डिप्लोमा इंजीनियर संघ, लोक निर्माण विभाग के प्रादेशिक महामंत्री 1978 से 1980 तक, सहायक अभियंता संघ के क्षेत्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश अभियन्ता संघ के क्षेत्रीय मंत्री और भारत विकास परिषद् एवं साहित्य लोक की कार्यकारिणी के सदस्य रहे थे। समाज सेवा, राजनीति एवं अभियांत्रिकी में उनकी विशेष रुचि थी। श्री राम कृष्ण वर्मा के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रामदेव मिश्र का 17 अगस्त, 2006 को निधन हो गया। वे लगभग 72 वर्ष के थे। श्री रामदेव मिश्र का जन्म सितम्बर, 1934 में हुआ था। श्री रामदेव मिश्र वर्ष 1967 में निर्वाचन क्षेत्र कटरा बाजार, जिला गोण्डा से जनसंघ के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री रामदेव मिश्र जनसंघ के मण्डल मंत्री रहे थे। कृषि एवं बागवानी में उनकी विशेष रुचि थी। श्री रामदेव मिश्र के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

अब मा0 सदस्यों से आग्रह है कि वे कृपया दो मिनट खड़े होकर मौन धारण करें।

(दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिये सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुये।)

पूर्व राज्यपाल, उत्तर प्रदेश श्री सूरजभान एवं पूर्व राज्यपाल कर्नाटक तथा पूर्व सदस्य, विधान सभा श्री भानु प्रताप सिंह के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

माननीय अध्यक्ष जी, कल भी हम लोगों ने इस सदन के दो मा0 सदस्यों का शोक प्रस्ताव पेश किया था और साथ ही में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी का शोक प्रस्ताव पेश किया था, आज उसी कड़ी में हम प्रदेश के दो महत्वपूर्ण नेता श्री सूरजभान जी एवं भानु प्रताप सिंह जी का शोक प्रस्ताव रख रहे हैं।

श्री सूरजभान जी का जन्म ग्राम मेहलां बाली, जिला यमुना नगर (हरियाणा) में हुआ था और उनका निधन 6 अगस्त, 2006 को हो गया। हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है उनके साथ काम करने का जब हम दिल्ली की सरकार में थे तब वे लोक सभा के उपाध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष रहकर उन्होंने

बड़ी ही निष्पक्षता से और शालीनता से लोक सभा का संचालन किया। वह इससे पहले कृषि मंत्री भी रहे, थोड़े समय के लिए। उसके बाद उपाध्यक्ष और उसके बाद विभिन्न लोक सभा की महत्वपूर्ण समितियों के सभापति भी रहे। अभी जब उनका निधन हुआ है उस समय वे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष थे। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। उसके बाद हिमांचल प्रदेश के भी राज्यपाल रहे। वे चार बार लोक सभा के सदस्य रहे। चौथी, छठी, सातवीं और ग्यारहवीं लोकसभा के सदस्य रहे। उन्होंने और हमने कई बारे साथ-साथ काम किया। हरियाणा के चुनाव में भी 1989 के चुनाव में भी, वह हमेशा गरीबों के लिए लड़ते रहे और समाज के पिछड़े वर्गों के लिए उन्होंने संघर्ष किया। उनको गरीबों की हमेशा पीड़ा थी। देश के जाने-माने एक नेता आज हमारे बीच में नहीं हैं । भारतीय जनता पार्टी के वह नेता जरूर थे, हम संवेदना व्यक्त करते हैं, अपनी भावनायें आपके द्वारा उनके परिवार, उनके सम्बन्धियों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के माध्यम से भी हम अपनी भावनायें पहुंचाना चाहते हैं। आपसे प्रार्थना है कि हमारी संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें।

दूसरी कड़ी में भानु प्रताप सिंह जी, आप तो उनके बहुत निकट रहे, आपके जनपद के थे, अब तो जनपद का बंटवारा हो गया, वह बस्ती जनपद में ही उनका गांव था, उनका निधन हो गया। वह अंग्रेजी और हिन्दी के विख्यात लेखक थे। ग्रामीण अंचल और ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। हमारे उनके बीच में कई बार वार्तालाप भी हुआ, कुछ सेमीनार भी हुए उसमें शामिल होने को हमें मौका मिला, उनसे बात-चीत करने का भी मौका मिला। इस सरकार के बनने के बाद जो महत्वपूर्ण फैसले हुए, योजनायें चालू हुई किसानों और गांवों के लिए कार्य हुए उसकी उन्होंने सराहना की। यह दुर्भाग्य था कि हमसे उन्होंने मिलने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन कुछ व्यस्तता के कारण, हमें नहीं पता था कि वह हमेशा के लिए हमारे बीच से चले जायंगे, हम उनसे नहीं मिल पाये। आजादी की लड़ाई में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिक निभाई । इतने योग्य और पढ़े-लिखे होते हुए भी, वह चाहते तो सरकारी उच्च पदों पर जा सकते थे लेकिन इतना पढ़े-लिखे होने के बावजूद भी उन्होंने सरकारी नौकरी में जाने से मना किया और उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया, जेल में गये और जेल में यातनायें सहन की और उसके बाद उन्होंने लगातार स्वयं गांव में खेती की और दूसरे किसानों को भी खेती में उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। हमेशा वह गांव में खेती की बात करते रहे। आपको पता है कि चौधरी साहब के वह बहुत निकट पहुंच गये थे और वह राज्य सभा के सदस्य रहे और उस समय जब इमरजेन्सी थी उसका विरोध किया और जनता पार्टी के गठन में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज वह हमारे बीच में नहीं हैं। हम यह जरूर महसूस करते हैं कि हमारे देश के हमारे प्रदेश के किसानों ने अपना एक हमदर्द और शुभचिन्तक नेता खो दिया है। हमारी आपसे प्रार्थना है कि हमारी संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

नेता विरोधी दल (श्री लाल जी टण्डन)--

मान्यवर, माननीय सूरजभान जी से एक बहुत पुराना सम्बन्ध रहा हम लोगों का। उत्तर प्रदेश में जब वह राज्यपाल रहे तो उनके दरवाजे सब के लिए खुले रहते थे और शायद ही कभी टकराव की स्थिति आई हो ? अब मृत्यु का तो कोई समय निश्चित नहीं होता, उनकी मृत्यु के दो दिन

पहले कोई व्यक्ति मेरे पास आया था कि मेरे काम की उनके पास फाइल पड़ी है, आप कह दें तो जल्दी निपट जायेगी वरना जाने कब नम्बर आये। हमने उन्हें फोन किया तो वह आफिस में नहीं थे और यह पता लगा कि वह घर को गये ही नहीं, और दस मिनट के बाद ही उनका फोन आ गया, उनसे बात-चीत हुई और उन्होंने कहा कि सोमवार को उनको भेज दीजिएगा, शनिवार का दिन था और उसी दिन उनका निधन हो गया । सूरज भान जी राष्ट्रवादी दलित नेता थे। आज के जातिवादी नेताओं से उनकी तुलना नहीं की जा सकती है वह राष्ट्रवादी थे। दलितों के लिए उनके मन में असीम वेदना थी, संवेदना थी लेकिन किसी के प्रति नफरत नहीं थी। सम्पूर्ण राष्ट्र में उनकी समस्याओं का हल करने के लिए उन्होंने हमेशा प्रयास किया।

मैं माननीय नेता सदन की भावनाओं से अपने को सम्बद्ध करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवारजन तक हमारी भावनायें पहुंचा दी जायं।

श्री भानु प्रताप सिंह जी के बारे में हमें यह कहना है कि किसान के बारे में कहना अलग बात होती है लेकिन वास्तव में यदि एक कृषि वैज्ञानिक राजनीति में होता है तो उससे किसानों का बड़ा हित होता है । उनका कृषि का अथक ज्ञान था। उन्होंने अनेक पुस्तकें भी इस विषय में लिखी हैं। छोटी-छोटी बहुत लिखी हैं। इस तरह से वे एक कृषि वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते थे। उनके निधन से किसानों को बहुत नुकसान हुआ है और देश को एक महान कृषि वैज्ञानिक से हाथ धोना पड़ा है। उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपसे यह अनुरोध करता हूं कि उनके परिवारजन तक हमारी शोक संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

अध्यक्ष महोदय, श्री सूरज भान जी जो दलितों की पिछड़ों की एक बुलन्द आवाज थे, चार-चार बार लोक सभा के सदस्य रहे तथा लोक सभा में उपाध्यक्ष भी रहे। वे वहां की विभिन्न समितियों के सभापति भी रहे। महामहिम राज्यपाल के रूप में जो उन्होंने देश की सेवा की वह सदैव हम लोगों के मन मस्तिष्क में एक स्मृति के रूप में बनी रहेगी। आज उनके आकस्मिक निधन से हम सभी दुखी हैं । और , इस सम्बन्ध में माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो अपनी शोक संवेदनायें व्यक्त की हैं मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं। बहुजन समाज पार्टी की ओर से हम सभी लोग उनके निधन पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और आपसे अनुरोध है कि हमारी यह भावनायें, शोक संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

मान्यवर, इसी क्रम में श्री भानु प्रताप सिंह जी, जो एक महान लेखक, विद्वान, राज नेता, सामाजिक दृष्टा एवं बहु-आयामी प्रतिभा के धनी रहे हैं और जिनका एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में योगदान इस देश के लिए रहा है आज वह हमारे बीच में नहीं हैं। उनके निधन से हमने एक महान कृषि वैज्ञानिक, राज नेता और लेखक खोया है। इस सम्बन्ध में माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो शोक संवेदनायें व्यक्त की हैं उससे मैं अपने आपको सम्बद्ध करता हूं और बहुजन समाज पार्टी की ओर से संवेदना व्यक्त करते हुये आपसे यह अनुरोध करता हूं कि हमारी इस भावना को उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

महिला कल्याण, संस्कृति व अन्य राज्यमंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)--

माननीय अध्यक्ष जी, इत्तिफाक की बात है कि इस प्रदेश के एक राज्यपाल और लोकसभा में 4 बार हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने वाले दलितों के नेता माननीय श्री सूरजभान जी का निधन हुआ है। उसमें मैं माननीय नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष और नेता बहुजन समाज पार्टी के विचारों से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, सूरजभान जी हरियाणा के रहने वाले थे और यह जनपद यमुनानगर सहारनपुर से बहुत नजदीक है और हम लोगों की प्रमुख रिश्तेदारियां अम्बाला, यमुनानगर के आसपास हैं। और ऐसा भी नहीं था कि उनके क्षेत्र में बहुत अधिक दलित मतदाता रहते हों। लेकिन उनकी लोकप्रियता वहां पर इतनी अधिक थी कि लगातार हरियाणा की राजनीति में सूरजभान जी जैसे एक प्रभावशाली नेता का लोकसभा में जाना और एक राजनेता के रूप में स्थापित होना और यहां तक कि तरक्की करते हुए वह लोकसभा के उपाध्यक्ष भी रहे और उन्होंने बहुत सारे विषयों पर, बहुत सारे मुद्दों पर हरियाणा में रहकर हमेशा संघर्ष किया। मान्यवर, हरियाणा की राजनीति अलग ही तरह की है वहां पर लालों की राजनीति है। लेकिन एक छोटे परिवार से, दलित परिवार से, इतने उच्च स्तर की राजनीति करना, उसमें स्थापित होना, यह उनकी लोकप्रियता को प्रदर्शित करता है। यहां पर वह हमारे प्रदेश के महामहिम राज्यपाल भी रहे हैं, हिमांचल के राज्यपाल भी रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपनी कार्यशैली से साबित किया है कि उन्होंने निष्पक्ष और निर्विवाद रूप से उस पद की गरिमा को बनाये रखने में एक आदर्श स्थापित किया है। मैं अपनी ओर अपने साथियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। आपसे अनुरोध है कि मेरी भावनाएं उनके परिवार तक प्रेषित करने की कृपा करें।

मान्यवर, आदरणीय भानु प्रताप सिंह के बारे में पूरा प्रदेश जानता है कि वह एक चिन्तक थे, लेखक थे और कृषि आदि विषयों पर उनको काफी जानकारी थी, उनके लेख भी यदाकदा अखबारों में आते रहते थे और मुझे भी पढ़ने का सौभाग्य मिला है। लेकिन उनके निधन से न केवल प्रदेश ने एक अच्छा राजनेता खोया है, हम लोग भी मानते हैं कि ऐसे दूरदर्शी नेताओं की आज आवश्यकता थी देश को, राष्ट्र को, आज वह हमारे बीच में नहीं हैं, हम सब दुखी हैं। मैं अपने और अपने साथियों की ओर से माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष और सम्मानित सभी नेताओं के विचारों से सम्बद्ध करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी भावनाएं उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री प्रमोद कुमार--

माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल तथा कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल के निधन पर जो विचार नेता सदन, नेता विरोधी दल, नेता बहुजन समाज पार्टी, राणा साहब और सभी ने व्यक्त किया है मैं उससे अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। सूरजभान जी उस कार्यकाल में यहां पर राज्यपाल थे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में थी और देश में थी। उस समय कई अवसरों पर प्रतिनिधि मंडल के रूप में, विरोध के रूप में वहां जाने का अवसर मिला। हर वक्त उनका आचार व्यवहार कुछ ऐसा होता था जिसे वह निष्पक्षता के साथ सारी बातें सुनकर उसका निदान करना चाहते थे। अभी आयोग के अध्यक्ष के रूप में उनके 2-3 निर्णय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ऐतिहासिक है। निश्चित रूप से यदि उन्हें स्वीकार किया जाय तो उसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। उनके निधन से हरियाणा की राजनीति का एक स्तम्भ खो गया है और इसके साथ ही साथ पूर्व राज्यपाल भानु प्रताप सिंह जी, जो हमारे प्रदेश की राजनीति में रचे बसे थे, केन्द्र में हमारा प्रतिनिधित्व किया था। अमूमन वह राजनीति में जितना ज्यादा जाने पहचाने जाते थे उससे ज्यादा उनके मन में चिन्ता थी कि किस तरह से देश में उपज बढ़ाई जाय किस तरह से ऐसे बीज दिये जायं जिससे वह अपनी पैदावार बढ़ा सकें और मुझे जहां बताया गया वह अपने जीवन में एक आदर्श किसान का जीवन जीते थे उनके निधन से निश्चित रूप से एक कृषि वैज्ञानिक, एक विचारक और एक प्रखर राजनीतिज्ञ हमारे बीच से अलग हो गया है। मैं उन दोनों महान विभूतियों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे दल की भावनाओं को उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री तेजपाल सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बड़े दुःख की बात है कि स्वर्गीय सूरजभान जी, जो इस प्रदेश के राज्यपाल रहे, आज हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिये सभी अपनी-अपनी बात कह रहे हैं। माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष, नेता बहुजन समाज पार्टी, नेता कांग्रेस पार्टी सहित सभी नेताओं ने अपनी बात कही, मैं अपने को और अपने दल को उससे सम्बद्ध करते हुये कहना चाहूंगा कि श्री सूरजभान जी का जैसा नाम था, जैसा काम था, चूंकि हरियाणा मथुरा से लगा हुआ है, इसलिये हम भी उनको बहुत जानते थे। वह अत्यन्त शालीन स्वभाव के आदर योग्य व्यक्ति थे, वह हर व्यक्ति की बात सुनते थे। वह 4 बार लोकसभा के सदस्य रहे, यहां के राज्यपाल रहे, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे, लोग अक्सर जातिवाद की बात करते हैं, लेकिन उनके अन्दर हमेशा राष्ट्रवाद की भावना थी, आज वह हमारे बीच में नहीं रहे। हम आपसे चाहेंगे कि उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी और हमारे दल की शोक संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें।

दूसरे भानु प्रताप सिंह जी के बारे में जैसा माननीय नेता सदन ने बताया, हमने भी उनको बहुत नजदीक से देखा है। मुझे एक बात याद आती है, उन्होंने कृषि के सम्बन्ध में कई किताबें लिखी हैं। किसानों के सम्बन्ध में मान्यवर चौधरी चरण सिंह जी के बराबर किसी ने नहीं काम किया। चौधरी चरण सिंह जी ने ही प्रदेश में किसानों के लिये सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ने का काम किया है, वह किसानों के प्रति हमेशा चिन्तित रहते थे। नेता सदन मौजूद हैं, मुझे याद आ रहा है, ग्वालियर में एक सम्मेलन चल रहा था, चौधरी चरण सिंह जी भी उसमें मौजूद थे और भानु प्रताप सिंह जी को भी कृषि की बहुत जानकारी थी, तो हमेशा चौधरी साहब से उनका विचार-विमर्श हुआ करता था। दिल्ली में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो भानु प्रताप सिंह जी को कृषि राज्य मंत्री बनाया गया था। चौधरी साहब अक्सर उन्हें बुलाया करते थे और उस समय बहुत अच्छे-अच्छे खेती से जुड़े सेमिनार हुआ करते थे, जिसमें से कई को मुझे भी सुनने का मौका मिला। कई बार मैं उनके सेमिनार में गया। श्री भानु प्रताप सिंह ने एग्रीकल्चर को एक नई दिशा दी। उस सेमिनार में चौधरी साहब से पत्रकारों ने सवाल भी किया था, उस समय उनका भानु प्रताप सिंह से विचार-विमर्श हो रहा था, एन0टी0 रामाराव जी भी उस सेमिनार में मौजूद थे। उस समय भानु

*त्वरित से भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

प्रताप सिंह जी ने खेती का ऐसा नुस्खा पेश किया था कि चौधरी चरण सिंह जी को भी कहना पड़ा कि भानु प्रताप सिंह जी आप सही बात कह रहे हैं। बाद में भानु प्रताप जी कर्नाटक के राज्यपाल भी रहे, कर्नाटक में उनका बड़ा सम्मान है। मैं चाहूंगा कि उनके निधन पर मेरी और मेरे दल राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से दोनों महान विभूतियों के परिवारों तक शोक संवेदनायें भिजवाने की कृपा करें।

*श्री कमाल यूसूफ मलिक--

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री भानु प्रताप सिंह जी के चरणों में हम लोगों को बैठने का 40 साल तक मौका मिला। आप भी और हम भी दोनों आदमी जब क्षेत्र में निकलते थे तो उनके पास बैठा करते थे, वह किसानों के लिये बहुत चिन्तित रहते थे। आपको याद होगा कि उन्होंने टमाटर तथा अन्य सब्जियों के लिये किसानों की गोष्ठी की थी। श्री भानु प्रताप सिंह जी से मैं 20 दिन पहले मिला था तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत तारीफ की और यह कहा कि मुझे एक बार उनसे मिलवाओ, वही ऐसे व्यक्ति हैं जो किसानों के लिये कुछ कर सकते हैं। मुझे एक बार मुलायम सिंह जी से मिलवा दो, उसके बाद मैं घर आ गया, यह दुर्भाग्य था कि मैं उनकी मृत्यु के वक्त वहां नहीं पहुंच सका, उसके बाद ही मैं पहुंचा हूं। उनके निधन से हम लोगों ने एक सरपरस्त को खो दिया है । आप हमारी तरफ से भी शोक-संवेदनाएं दोनों स्वर्गीय सदस्यों के परिवारीजनों तक भेजने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष--

उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री सूरजभान का 06 अगस्त, 2006 को नई दिल्ली में निधन हो गया। वे लगभग 78 वर्ष के थे। श्री सूरजभान का जन्म 01 अक्टूबर, 1928 को ग्राम मेहलां वाली, जिला यमुना नगर (हरियाणा) में हुआ था। उन्होंने एम0ए0, एल0एल0बी0 तक शिक्षा ग्रहण की थी। श्री सूरजभान वर्ष 1960 में भारतीय जनसंघ से सम्बद्ध हो गये थे। वे चौथी, छठी, सातवीं एवं ग्यारहवीं लोकसभा के सदस्य रहे थे। वे 16 मई से 01 जून, 1996 तक केन्द्रीय कृषि मंत्री रहे। वे 12 जुलाई, 1996 से 04 दिसम्बर, 1997 तक लोकसभा के उपाध्यक्ष रहे। वे लोकसभा की याचिका समिति, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की सूची के पुनरीक्षण सम्बन्धी संयुक्त संसदीय समिति के सभापति भी रह चुके थे। उन्होंने 20 अप्रैल, 1998 से 23 नवम्बर, 2000 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पद को सुशोभित किया था। वे 23 नवम्बर, 2000, से 07 मई, 2003 तक हिमांचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। उन्हें वर्ष 2004 में अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। निधन के समय तक वे इसी पद पर थे। श्री सूरजभान ने जीवन भर जातिवाद के विरुद्ध सतत् संघर्ष तथा समाज के पिछड़े वर्ग के उत्थान और कल्याण के लिए प्रयास किया। श्री सूरजभान के निधन से देश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एव समाजसेवी खो दिया है।

दूसरे हमारे माननीय कर्नाटक के पूर्व गवर्नर, उत्तर प्रदेश विधान सभा के दो बार वर्ष 1962 से 1967 तक तथा वर्ष 1969 से 1971 तक रह चुके विधान सभा के सदस्य तथा भारत सरकार में केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री रहे श्री भानु प्रताप सिंह का निधन परसों लखनऊ में हुआ। उनका जन्म 10

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अगस्त, 1915 को हुआ था। जैसा कि सभी नेतागणों ने अपने विचारों में व्यक्त किया कि वह एक अच्छे किसान थे, वह आई0सी0एस0 की परीक्षा पास करने के लिए जब लंदन गये तो वे वहां से चले आये क्योंकि अंग्रेजों के राज में वह नौकरी नहीं करना चाहते थे। उनका गांव मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में है, वह जीवन भर खेती करते रहे। मैं उनसे प्राय: मिलता था, वर्ष 1952 में वह सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, मुझे याद है कि एक बार जब मैं छोटा था तो साइकिल के पिछले हिस्से पर बैठकर मैं उनके घर गया था, उस समय वह समाजवादी पार्टी में थे। उस समय एक नारा था अन्नदान का घटना-बढ़ना खाना पेट के अन्दर हो इस नारे के गढ़न में उनका विशेष योगदान रहा है। 1957 में फिर वह चुनाव लड़े लेकिन वह चुनाव हार गये, लेकिन जब स्वतन्त्र पार्टी का उदय हुआ तो उन्होंने स्वतन्त्र पार्टी ज्वाइन कर ली और वर्ष 1962 में जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आता हूं, वहां से वह विधायक चुनकर इस सदन में आये। वह जीवन भर खेती करते रहे, मैं उनसे पूछता था कि आप इतने पढ़े लिखे हैं, आपके ग्रैण्डफादर एग्रीकल्चर डायरेक्टर रहे हैं, बड़े पद पर रहे हैं, आपके परिजन नौकरियों में रहे हैं, आप क्यों खेती करते हैं। वह कहते थे कि खेती एक ऐसा पेशा है, जिसमें आदमी आजादी से रह सकता है, उसकी स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं आती है, हम स्वतंत्रता से काम करते हैं। मुझे याद है कि 1977 में जब खाद्यान्न योजना बन रही थी तो उसमें उनका भी बड़ा योगदान था, काम के बदले अनाज योजना में भी उनका योगदान रहा है। वह क्षेत्र में हर महीने में किसानों की गोष्ठियां किया करते थे और किसानों को बताते थे कि क्या चीज बोओ और क्या न बोओ और उसका लाभ किसानों को मिलता था । जब हम लोग उनके पास जाते थे तो उनसे हमारा आग्रह होता था कि आप खेती और राजनीति एक साथ कैसे कर सकते हैं। राजनीति में उनकी विशेष रुचि थी, वह वैचारिक रूप से किसी पार्टी से बंधे नहीं थे। शुरू में हमारा उनका बड़ा विरोध चलता रहा और हमने कई बार चुनाव में भी उनका विरोध किया लेकिन 1977 में जब जनता पार्टी बनी, हम लोग जेल गये, तब उनकी विचार धारा बदली और जनता पार्टी के बनाने में भी उनका योगदान था, वह सेक्युलर विचार के थे। हमारे यहां कभी भी कोई बात होती थी, जब कभी कोई तनाव की बात होती थी और भानु प्रताप सिंह उस स्थान पर पहुंच जाते थे तो स्थिति अपने आप सामान्य हो जाती थी। उन्हें धर्म-निरपेक्ष व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। आज वह हमारे बीच में नहीं हैं, इससे हम लोगों को, हमारे प्रदेश के कृषि विज्ञानियों को अपूरणीय क्षति हुई है। वे छोटे किसानों की ज्यादा बात करते थे, वह बताते थे कि छोटे-छोटे खेतों में बीज बो कर लाभ कमाये। हमने एक कृषि वैज्ञानिक को खो दिया है। मैं सभी माननीय नेताओं की भावनाओं को स्व0 श्री सूरज भान और स्व0 भानु प्रताप सिंह के परिवार तक पहुंचाऊंगा। आप सबसे अनुरोध है कि दो मिनट का मौन धारण करें।

(दिवंगतआत्माओं की शान्ति के लिये सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुये।)

पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पण में देरी के प्रति सदन का ध्यानाकर्षण

*नेता विरोधी दल (श्री लाल जी टण्डन)--

मान्यवर, आपसे एक अनुरोध करना था कि जो 50-50 साल बाद श्रद्धांजलि दे रहे हैं, अब उनकी तीसरी पीढ़ी भी खत्म हो गयी होगी, यह उनके लिए सम्मान नहीं है बल्कि उनके लिए

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपमान है। जिन्होंने देश की बड़ी सेवा की, इस सदन की सेवा की और अन्तिम समय में उनको यह सदन श्रद्धांजलि भी न दे सके और 35-40 साल बाद यह सदन उनको याद कर रहा है तो यह उनके प्रति कोई सम्मान की बात नहीं होगी। भविष्य में मेरा सुझाव यह है कि जहां पर इस तरह से इतने सालों बाद सूचना आये तो जैसे बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भुला दिये गये, विस्मृति के गर्त में चले गये हैं उसी तरह से उन्हें भुला दीजिए लेकिन यह अपमान न कराइये। बहुत हंसी होती है, मजाक उड़ता है कि कितनी सरकारें आयी होंगी और चली गयी। यह सदन श्रद्धांजलि भी नहीं दे पाया लेकिन आज मुझे पता नहीं कि आपको यह सूचना कहां से मिल गयी, इतने दिनों तक नहीं मिली। मान्यवर, भविष्य में इस बात का जरूर ध्यान रखा जाए।

* श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, अभी नेता विरोधी दल ने जो कहा है उससे अपने-आप को सम्बद्ध करता हूं। इसमें एक बात जरूर कहना चाहता हूं, मैं टण्डन जी के सुझाव से सहमत नहीं हूं कि अगर भूल गये हैं तो उनकी श्रद्धांजलि न करायी जाए उससे अपमान होता है। निश्चित रूप से इतने पुराने प्रकरण को प्रकाश में लाया गया है और अनुमति दी जा रही है तो इसके लिए बधाई देता हूं कि कम से कम भूले-भटके लोगों को याद किया है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अब यहां से कड़ा निर्देश जाना चाहिए कि यह वर्ष 1958 की सूचना अब दें, तो उसके लिए दोषी ठहरायें। हो सकता है कि 1958 में जो डी0एम0 रहे हों वह भी वहीं पहुंच गये होंगे। तो 1958 के डी0एम0 की जांच होना मुश्किल है। लेकिन जिलाधिकारियों को कड़े निर्देश दिये जाने चाहिए कि भूतपूर्व विधान सभा सदस्यों के निधन की सूचना 24 घण्टे के भीतर आ जाये और उनके राजकीय सम्मान की व्यवस्था होनी चाहिए और उनके निधन की तत्काल सूचना 24 घण्टे में, अगर 24 घण्टे में न हो सके तो 72 घण्टे में अवश्य आपके कार्यालय में सूचना आ जानी चाहिए । कड़ा निर्देश दिया जाए जिससे भविष्य में हमारा सिर शर्म से न झुके। फिर से दिखवा लें जो भूले-भटके बचे हों उनका कराया जाना चाहिए उनको विस्मृत नहीं किया जाना चाहिए और अपनी भूल को सुधार करना चाहिए।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)--

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि इसमें आपकी बहुत कोशिश रही है, सरकार का भी इसमें किसी हद तक सहयोग रहा है। जब यह बात सदन में आयी पहले भी इस बात पर काफी जिज्ञासा व्यक्त की गयी सरकार के प्रयासों से इतने पुराने रिकार्ड के तहत आज यहां श्रद्धांजलि दी गयी है। किस सरकार ने क्या किया इस पर जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपका और सरकार का धन्यवाद करने की जरूर आवश्यकता है कि आपने इतने पुराने रिकार्ड को निकाल कर श्रद्धांजलि दी है, धन्यवाद। अगर कहीं लोग रह गये हैं जैसे चाहा गया है उसको करवाने की जरूरत है।

(समय 12 बजकर 20 मिनट)

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता विरोधी दल यह जो निर्णय लिया गया है कि 1952 से 1957 तक के जो माननीय सदस्य रहे हैं, 14 थे, उन्हीं के संदर्भ में हमने ढूंढ़ने का प्रयास किया, हमें सूचना थी कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

केवल 14 जीवित हैं लेकिन एक हमारे और माननीय विधायक हैं जो 98 वर्ष के हो गये हैं। यह जीवित हैं उनका नाम है राजाराम शुक्ला। वह राजाराम "किसान" लिखने लगे इसलिये वह विधायक की लिस्ट से ही गायब हो गये। फिर जब हमने जिलों-जिलों में यह परीक्षण कराया तो यह पता चला कि राजाराम "किसान" ही राजाराम शुक्ला हैं। वह 98 वर्ष के हैं।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, वह मेरे क्षेत्र के हैं अभी वह जीवित हैं वह हमेशा राजाराम शुक्ला "किसान" लिखते थे।

श्री अध्यक्ष--

मैंने ढुंढवाया है और वह जीवित हैं। 25 तारीख को जैसा कि कार्यक्रम है, माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय नेता विरोधी दल सबके सामने यह जो 15 विधायक हैं इनका सम्मान किया जायगा। जब ढूढ़ा गया तो यह सब नाम मिले। पता लगाया गया कि श्रद्धांजलि हुयी है या श्रद्धांजलि नहीं हुयी है। मान लीजिये किसी ने भूलकर दी तो हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम आज उन्हें श्रद्धांजलि दें। वह माननीय सदस्य रहे हैं उनको भुलाना नहीं चाहिए क्योंकि वह हमारे पुरखे रहे हैं। इस पीढ़ी से उस पीढ़ी से हम क्रम वाइज चले हैं इसलिये मैं आपसे आग्रह करुंगा कि इस प्रकार की बातें होनी चाहिए।

श्री प्रागीलाल अहिरवार--

पूर्व सदस्य, कांग्रेस से भागीरथ चौधरी जी रहे हैं। वह खत्म हो गये हैं उनका भी नहीं आया है। उसको भी मंगवा लें।

श्री अध्यक्ष--

हम मंगवाये लेते हैं।

(नियम 301 की सूचनायें पुकारे जाने पर)

प्रदेश में आतंकवाद के सम्बन्ध में नियम 56 के अन्तर्गत दो घंटे की चर्चा स्वीकार किये जाने का अनुरोध

नेता विरोधी दल (श्री लाल जी टण्डन)--

मान्यवर, इसको ले लें, आप इस पर चर्चा स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष--

हम स्वीकार कर लेंगे इस पर चर्चा।

श्री लालजी टण्डन--

मान्यवर, 2 घंटे की चर्चा स्वीकार कर लें। आप आदेश दे दें।

श्री अध्यक्ष--

यह 301 ले लेने दीजिये। हमने आपकी बात मान ली।

जैसे ही नियम-56 आयेगा मैं आपको कह दूंगा।

श्री हुकुम सिंह--

आपने खुद कहा था कि निधन के निर्देश के बाद ले लेंगे। इसीलिये नेता विरोधी दल खड़े हुये ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता प्रतिपक्ष इसी संदर्भ में कांग्रेस ने भी दिया है कुल मिलाकर के यह कानून व्यवस्था से सम्बन्धित प्रश्न है। आपने सारे दिये हैं मैंने सब पढ़ा है। उसी प्रश्न पर माननीय प्रमोद तिवारी जी ने भी दिया है। माननीय मौर्या जी ने भी दिया है। हम इसको कल ले लेते हैं अगर आप लोग चाहेंगे तो दो-दो मिनट बोल लें तब चर्चा करायें, या पहले की चर्चा मान लें।

श्री लालजी टण्डन--

मान्यवर, जैसा आप मान लें, लेकिन इसके लिये 2 घंटे की चर्चा जरूरी है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, आपको सूचना मिल गयी होगी अगर आप चाहें तो हम इस पर चर्चा करा लें।

श्री लालजी वर्मा--

मान्यवर, सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष--

देखिये मैं आपको एक बात बता दूं। यहां चर्चा कर लेते हैं लेकिन जब एक घंटे की चर्चा निर्धारित होती है तो कोई रहता ही नहीं है। इसलिये जब नहीं बोलेंगे तो कम से कम उस समय रहेंगे। इसलिये इस पर बोलने की आवश्यकता नहीं है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री माननीय नेता विरोधी दल दो घंटा चाहते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, मेरा अनुरोध यह है कि जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें आप स्वीकार करने जा रहे हैं उन पर 2-2 मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

जब आपको अवसर मिलेगा तो आप बोलियेगा। ग्राह्यता मैंने मान ली।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)--

मान्यवर, दोनों विकल्प मौजूद हैं। अगर दो-दो मिनट सभी नेतागण बोलना चाहें तो अभी बोल लें, नेता सदन बैठे हैं, अभी जवाब मिल जायेगा। और अगर चर्चा चाहते हैं तो एक घंटे का समय दे दीजिये जरूरत होगी, आपने खुद ही फरमाया कि बोलने वाले भी नहीं होते हैं, एक घंटे की चर्चा स्वीकार कर लीजिये बाद में जरूरत होगी तो बढ़ा दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, एक घंटा मिलेगा। आवश्यकता होगी तो बढ़ा दिया जायगा।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 22 अगस्त, 2006 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 27 सूचनाएं प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गई :--

पहली सूचना श्री जगदीश नारायण राय की जनपद जौनपुर में टाउन एरिया केराकत के अन्तर्गत आराजी नं0 89/1 व 90 से अवैध निर्माण हटवाने तथा जिला पंचायत की जमीन सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में।

दूसरी सूचना डा0 शिव प्रताप यादव की जनपद बलरामपुर में गैसड़ी धांबहा मार्ग पर भॉभर नाले के पुल के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में।

तीसरी सूचना श्री चन्द्र किशोर की जनपद महाराजगंज में भयंकर सूखे की स्थिति से निपटने हेतु किसानों को राहत पहुंचाने के सम्बन्ध में।

चौथी सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी, आशपुर देवसरा, मगरौरा में पूर्वांचल निधि के राजयांश से वर्ष 1996-97 से 2002-03 तक स्वीकृत निर्माण कार्यों हेतु अपेक्षित धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

पांचवी सूचना डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा की जनपद जालौन की कालपी तहसील में पी0ए0सी0 केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में।

छठी सूचना डा0 विनोद तिवारी की जनपद पीलीभीत के पूरनपुर में मुहल्ला कायस्थान निवासी छेदालाल की हत्या के फलस्वरूप हत्यारों की अभी तक गिरफ्तारी न होने के सम्बन्ध में।

सातवीं सूचना श्री लाल जी वर्मा की जनपद अम्बेडकर नगर में अकबरपुर इल्तिफाकगंज मार्ग के तिलहरा घाट पर निरुआ नाले पर बन रहे पुल के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में।

आठवीं सूचना श्री सुखदेव राजभर की जनपद आजगढ़ के लालगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रामपुर बढ़ोना एवं ग्राम रेवसा में अधूरे बने पुल के निर्माण को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में।

(श्री आर0एस0 कुशहवाहा का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

दसवीं सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की जनपद आजमगढ़ के मेहनगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा भिनहापुर में वर्ष 2003-04 में स्वीकृत स्टेडियम निर्माण हेतु धन स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

ग्यारहवीं सूचना श्री कपिल देव यादव की जनपद मऊ के नत्थूपुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय गांवों को घाघरा के भीषण कटान से बचाने हेतु वन्डाल व ठोकर की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में।

बारहवीं सूचना श्री आलम बदी की आजमगढ़ के 33 के0वी0ए0 विद्युत सब स्टेशनों पर लखनऊ कन्ट्रोल रूम द्वारा समान रूप से बिजली की सप्लाई न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

तेरहवीं सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की हरदोई जनपद के कस्बा बिलग्राम तथा सांडी में मानक के अनुरूप विद्युत आपूर्ति करने के सम्बन्ध में।

चौदहवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की आजमगढ़ सदर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय विद्युत आपूर्ति ठीक न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

पन्द्रहवी सूचना श्री कौशल किशोर की लखनऊ जनपद के विकास खण्ड मलिहाबाद एवं माल में उपभोक्ताओं को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति करने के सम्बन्ध में।

चूंकि श्री आर0 एस0 कुशवाहा अनुपस्थित हैं इसलिए उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची से श्री राम करन आर्य की सूचना जो नगर पूर्व बस्ती क्षेत्रान्तर्गत लगरी पम्प कैनाल में स्वतंत्र फीडर निर्माण के लिए धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में है ली जाती है।

श्री मदन चौहान, श्री राम पाल वर्मा, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री बीजू पटनायक, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री बाबू लाल कुशवाहा, डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, प्रो0 रवीन्द्र पुण्डीर, श्री रंगनाथ मिश्र तथा श्री मुंशी लाल गौतम की सूचनाएं अस्वीकृत हुई।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं।)

जनपद जौनपुर में टाउन एरिया केराकत के अन्तर्गत अवैध निर्माण हटवाने तथा जिला पंचायत की जमीन सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदीश नारायण राय--

[जनपद जौनपुर में टाउन एरिया केराकत के अंतर्गत आराजी नं0 89/1 व आराजी नं0 90 राजस्व अभिलेखों में जिला परिषद जौनपुर के नाम से दर्ज हैं। उक्त जमीन में जबरदस्ती टाउन एरिया के ठेकेदार द्वारा निर्माण कराये जा रहे हैं। उपजिलाधिकारी ही प्रशासक होते हैं। जिला पंचायत के बिना प्रस्ताव या अनुमति के कोई भी कार्य अवैध होगा।

अत: इस लोक महत्व के प्रश्न पर मा0 पंचायत राज मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए अवैध निर्माण हटवाने तथा जिला पंचायत की जमीन सुरक्षित रखने की मांग करता हूं।]

जनपद बलरामपुर में गैसड़ी धोबहा मार्ग पर भांभर नाले के पुल के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 शिवप्रताप यादव--

[आपके माध्यम से शासन का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी जनपद बलरामपुर में गैसड़ी धोबहा मार्ग पर भांभर नाले के पुल के काफी दिनों से अधूर पड़े निर्माण कार्य की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं । उक्त पुल कई वर्षों पूर्व निर्माण हेतु स्वीकृत हुआ था। पुल का निर्माण कार्य पूरा न होने से गैसड़ी से जनपद सिद्धार्थनगर के लिये आवागमन अवरुद्ध हो रहा है, जिससे किसानों को अपनी कृषि उपज को मण्डी में बेचने हेतु ले जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फलस्वरूप छोटे किसान अपनी उपज मण्डी तक नहीं ले जा पाते हैं जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं आ पा रहा है।

अत: मा0 अध्यक्ष जी से पुन: अनुरोध है कि कृपया जनहित एवं कृषक हित में उक्त अधूरे पुल को शीघ्र पूर्ण कराने का शासन को आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।]

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद महराजगंज में भयंकर सूखे की स्थिति से निपटने हेतु किसानों को राहत पहुंचाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री चन्द किशोर--

[जनपद महराजगंज इस समय बरसात न होने के कारण सूखे की चपेट में है, किसानों के धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गयी है। 10% क्षेत्र जो नहर आच्छादित है वह भी पानी न आने (टेल तक) के कारण वह भी क्षेत्र सूखे की चपेट में आ गया है। इसके पूर्व में गेहूं की फसल में दाना न पड़ने के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ जिससे वे भुखमरी के कगार पर पहले ही पहुंच चुके हैं जिसके सम्बन्ध में प्रदेश सरकार को अवगत कराया गया था जिसमें सरकार द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से जाँच कराया गया था जबकि किसानों का नुकसान 80% था परन्तु जांच में नुकसान 51% ही दर्शाया गया उसका भी मुआवजा नहीं दिया गया। मैं मांग करता हूं कि किसानों को गेहूं के हुए नुकसान का मुआवजा शीघ्र दिलाया जाय जिससे किसान भुखमरी से बच सके। साथ ही किसानों द्वारा फसल बीमा योजना के तहत अपने फसल का बीमा कराया गया है उसके बाद भी बीमा कम्पनियों द्वारा गेहूं के फसल का नुकसान नहीं दिया गया। फसल का बीमा कराने वाले किसानों का बीमा कम्पनियों से फसल के नुकसान का मुआवजा दिलाया जाय।

वर्तमान समय में जनपद महराजगंज में भयंकर सूखे की स्थिति को देखते हुए किसानों का ऋण माफ करने तथा सोलह घन्टे विद्युत् उपलब्ध कराने तथा नहर के टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाये। तथा सूखे की मार झेल रहे विकास खण्ड मिठौरा, सदर, घुघली, सिंसवा को सूखा क्षेत्र घोषित करने तथा राजस्व व बैंक देय वसूली को स्थगित किया जाय।

अत: लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अविलम्ब सहायता किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी, आसपुर देवसरा, मंगरौरा में पूर्वान्चल विकास निधि के राज्यांश से स्वीकृत निर्माण कार्यों हेतु अपेक्षित धनराशि अवमुक्त कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

[जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी, आसपुर देवसरा, मंगरौरा में पूर्वान्चल निधि के राज्यांश से वर्ष 1996-97 से 2002-03 तक जो मार्ग, पुल आदि के निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं उन्हें पूर्ण कराने हेतु अवशेष एवं अपेक्षित धनराशि अवमुक्त न हो पाने के कारण सभी कार्य अपूर्ण होने से लोगों का क्षतिग्रस्त मार्ग पर चलना मुश्किल हो गया है। आये दिन दुर्घटना से बहुत से ग्रामीण परेशान हैं जिससे शान्ति व्यवस्था की समस्या पैदा हो गयी है और सैकड़ों क्षेत्रवासियों का हित प्रभावित हो रहा है जिससे जनता में गहरा आक्रोश है।

अत: लोकमहत्व जनहित से जुड़े विषय पर शासन द्वारा समयबद्ध कार्यवाही हेतु ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद जालौन की कालपी तहसील में पी0ए0सी0 केन्द्र स्थापित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा--

[जनपद जालौन में पी0ए0सी0 केन्द्र की स्थापना प्रस्तावित है। इसके लिए मुख्यालय उरई के समीप किसानों की कृषि भूमि अधिग्रहीत किये जाने की योजना है। कालपी तहसील इस जनपद में दस्यु प्रभावित बीहड़ क्षेत्र है। इस तहसील में नेशनल हाइवे 25 के समीप ग्राम शाहजहांपुर तथा ग्राम भदरेखी में पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। रेलवे स्टेशन भी समीप है। ग्राम सभा की इस भूमि का कोई मुआवजा भी नहीं देना होगा और न ही किसानों की रोजी-रोटी छिनने का खतरा है। कालपी में पी0ए0सी0 की स्थापना होने से दस्यु प्रभावित क्षेत्र के ग्रमीण-किसानों में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी तथा ग्रामीणों का पलायन रोकने में मदद मिलेगी। इस मांग को लेकर क्षेत्रीय ग्रामीण धरना-प्रदर्शन भी कर चुके हैं।

मैं अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस विषय को सदन के संज्ञान में लाकर कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद पीलीभीत के पूरनपुर में मुहल्ला कायस्थान निवासी श्री छेदा लाल की हत्या के फलस्वरूप हत्यारों की गिरफ्तारी न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 विनोद तिवारी--

[मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र 44 विधान सभा पूरनपुर की एक महत्वपूर्ण जानकारी नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

श्रीमान् मेरे विधान सभा क्षेत्र पूरनपुर में मोहल्ला कायस्थान निवासी छेदालाल पुत्र श्री रोहन लाल 44 वर्षीय की 03 मई, 2006 की मध्य रात उस समय हत्या कर दी गयी थी जब वह मोहल्ले के समीप ही अपने खेत की रखवाली कर रहा था बदमाश उसके तीन बैल भी लूट कर ले गये थे एक बैल तो थोड़ी ही देर में ही उसके घर पहुंच गया था दो बैल पुलिस ने क्षेत्र के एक स्थान से बरामद किये थे मृतक के पिता की ओर से पुलिस को लिखित तहरीर दी गई लेकिन साढ़े तीन माह के बाद भी पुलिस घटना का खुलासा करना तो दूर घटना का कारण भी नहीं जान सकी है और न ही हत्यारों को गिरफ्तार कर सकी मृतक का पिता रोहन लाल अपने बेटे के हत्यारों को जेल भिजवाने को अधिकारियों के चक्कर लगाते-लगाते थक गया उक्त केस की जांच कर रहे जांच अधिकारी श्री भास्कर केस डायरी बन्दर द्वारा उठा ले जाने की बात कहकर मृतक के पिता को टरका देते हैं इससे जाहिर होता है स्थानीय पुलिस द्वारा मुल्जिमानों से सांठ-गांठ कर ली गयी है ऐसे में इस बेचारे गरीब को न्याय मिल पाना सम्भव सा नहीं लगता है।

अत: आपसे अनुरोध है कि उक्त विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का कष्ट करें।]

जनपद अम्बेडकर नगर में अकबरपुर इल्तिफातगंज मार्ग के तिलहरा घाट पर निरुआ नाले पर बन रहे पुल के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री लालजी वर्मा--

[जनपद अम्बेडकर नगर में अकबरपुर इल्तिफातगंज मार्ग से तिलहरा घाट पर निरुआ नाले पर पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश सेक्टर से लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड अम्बेडकर नगर द्वारा पुराने पुल को तोड़कर नया पुल बनाया जा रहा है था परन्तु मात्र (दीवाल खड़ी करके निर्माण कार्य रोक देने से तथा पुराने पुल को तोड़ देने से लगभग दर्जनों ग्रामों की आम जनता का आवागमन बाधित हो रहा है जिससे आम जनता में आक्रोश व्याप्त है।

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अस्तु इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये उक्त पुल का निर्माण पूर्ण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद आजमगढ़ के लालगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रामपुर बढ़ौना एवं रेवसा में अधूरे बने पुल को पूर्ण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुखदेव राजभर--

[मेरे विधान सभा क्षेत्र लालगंज, जनपद आजमगढ़ में ग्राम रामपुर बढ़ौना एवं ग्राम रेवसा वि0 खं0 लालगंज, आजमगढ़ में नदी में जनहित में पुल बनाने हेतु क्षेत्रीय जनता की मांग चली आ रही थी। इस परिपेक्ष्य में लगभग 5-6 साल पहले पुल निर्माण हेतु दोनों स्थानों पर कुछ धनराशि स्वीकृत हुई मगर इतना लम्बा समय गुजर जाने के बाद अभी तक दोनों जगह केवल नदी में पीलर ही खड़ा है छत नहीं बनी है, क्षेत्रीय जनता को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है पुल का अधूरा कार्य पूरा न होने के कारण क्षेत्रीय जनता में काफी असन्तोष व्याप्त है जनता आन्दोलित है। किसी भी क्षण स्थिति विस्फोटक हो सकती है।

अत: आपसे अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय एवं लोकमहत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करने की मांग करता हूं ताकि तत्काल जनहित में अधूरे कार्य को पूरा कर पुल का निर्माण कराया जाए।]

जनपद आजमगढ़ के मेंहनगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा मिनहापुर में विगत वर्ष स्वीकृत स्टेडियम निर्माण हेतु धन स्वीकृत करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विद्या चौधरी--

[मेरे विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर, जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत ग्राम सभा मिनहापुर में बच्चों को खेलने के लिए स्टेडियम स्वीकृत वर्ष 2003-2004 में हुआ था। सारी औपचारिकताएं पूर्ण होकर जिलाधिकारी आजमगढ़ के कार्यालय से युवा कल्याण निदेशालय में लम्बित है, लेकिन आज तक स्टेडियम निर्माण के लिए धन स्वीकृत नहीं हुआ है। स्टेडियम निर्माण न होने से क्षेत्रीय जनता काफी आक्रोशित है।

अत: इस लोकमहत्व के अविलंबनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए स्टेडियम निर्माण हेतु धन स्वीकृत कराये जाने की मांग करती हूं।]

जनपद मऊ के नत्थूपुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय गांवों को घाघरा की कटान से बचाने हेतु बन्डाल व ठोकर की व्यवस्था किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कपिल देव यादव--

[अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत देवारागंज क्षेत्र के बिनटोलिया, पचपेड़वा, चक्की मुसाडोही के सड़कों पर घाघरा के भीषण कटाव के कारण नदी में विलीन हो गये जिसके कारण हजारों लोग तबाह व परेशान होकर खुले आसमान के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए घाघरा के कटान को रोकने हेतु तत्काल बन्डाल व ठोकर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। साथ में उक्त लोगों के खान पान व पशुओं के चारे की व्यवस्था तत्काल किया जाय व घर से बेघर हुए लोगों को सटी ग्राम सभा दुवारी में जमीन आवंटित कर बचाने की व्यवस्था की जाय।

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतएव इस अविलम्बनीय लोकहित के महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए घर से बेघर हुए परिवारों को उक्त व्यवस्था की मांग करता हूं।]

आजमगढ़ के 33 के0वी0ए0 विद्युत् सब स्टेशनों पर लखनऊ कन्ट्रोल रूम से समान रूप से बिजली सप्लाई न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री आलमबदी--

[मैं आप द्वारा मा0 ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान उपरोक्त विषय की ओर आकर्षित कराते हुए यह बताना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित 33 के0बी0ए0 के सब स्टेशन सूफीपुर, रानी की सराय व मोहमदपुर को केवल 5 घन्टा बिजली लखनऊ कन्ट्रोल रूम की व्यवस्था पर प्राप्त हो रही है। दूसरी तरफ फूलपुर व चन्डेसर 33 के0बी0ए0 सब स्टेशन को 12 से 14 घन्टा बिजली सप्लाई दी जा रही है।

लखनऊ कन्ट्रोल रूम द्वारा यह असमानता क्यों ? असमानता की स्थित जनपद के अन्य सब स्टेशनों पर भी उत्पन्न है इस गम्भीर समस्या को लेकर जनता व किसानों में व्यापक आक्रोश है। धान की फसलें पानी के अभाव में सूख रही है। विभागीय अधिकारी आये दिन चक्का जाम व प्रदर्शनों के चलते किसी अनहोनी को लेकर भयभीत है।

कृपया 33 के0बी0ए0 हर सब स्टेशन को समान रूप से बिजली सप्लाई की व्यवस्था की जाय।]

जनपद हरदोई के कस्बा बिलग्राम व सांडी में मानक के अनुरूप विद्युत् आपूर्ति करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विश्राम सिंह यादव --

[मान्यवर, हरदोई के कस्बा बिलग्राम तथा सांडी में सरकार तथा शासन के आदेशानुसार जो इन दोनों कस्बों में जो कि नगर पालिका परिषदें हैं को विद्युत् विभाग के सेडूल्य (घोषित समयानुसार) तथा घोषित घंटों के आधार पर विद्युत् आपूर्ति नहीं होती है तथा प्रतिदिन आती भी नहीं है और आती भी है तो 2, 4 घंटे ही आती है जबकि कस्बा बिलग्राम तहसील मुख्यालय है तथा कस्बा सांडी पर्यटन केन्द्र है जिससे क्षेत्रीय जनता में घोर असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अत: अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस विषय को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर मानक के अनुसार विद्युत् आपूर्ति की जाने की मांग करता हूं।]

आजमगढ़ सदर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय विद्युत् सब स्टेशनों पर विद्युत् आपूर्ति ठीक न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव--

[मान्यवर, मैं प्रक्रिया नियमावली के नियम 301 के अन्तर्गत सदन का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र सदर आजमगढ़ के अन्तर्गत हो रही विद्युत् कटौती की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद में सीतापुर, बनकट, गोरा व तेरही सब-स्टेशनों से क्षेत्र में मात्र 5-6 घण्टे ही विद्युत् आपूर्ति हो रही है।

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिससे इस भीषण गर्मी में यहां की जनता त्रस्त है। यहां के ग्रामवासी भी अत्यधिक परेशान हैं वह अपने खेतों में बराबर सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। आजमगढ़ जनपद में ही फूलपुर, कोलसा और जहानागंज सब-स्टेशन पर 14 घण्टे विद्युत् आपूर्ति हो रही है किन्तु उक्त क्षेत्रों में सरकार की मंशा के अनुरूप विद्युत् की आपूर्ति नहीं हो पा रही है जिस कारण क्षेत्रीय विकास बाधित हो रहा है। जनपद आजमगढ़ के उक्त क्षेत्रों में जनता की आवश्यकता को देखते हुए विद्युत् आपूर्ति को ठीक कराया जाना अति आवश्यक है।

अत: मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए चर्चा की मांग करता हूं।]

जनपद लखनऊ के विकास खण्ड मलिहाबाद एवं माल में उपभोक्ताओं को 24 घण्टे विद्युत् आपूर्ति करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कौशल किशोर--

[मान्यवर, अवगत कराना है कि लखनऊ जनपद के वि0 ख0 मलिहाबाद व माल में विद्युत् आपूर्ति लखनऊ में स्थित सेस खण्ड द्वारा की जाती है। माल व मलिहाबाद पावर हाऊसों के अन्तर्गत लगभग 250 किमी0 तार लोहे का लगा है और ट्रान्सफार्मर अति जर्जर अवस्था में है अधिकतर फुंक जाते हैं। दो पावर हाऊसों पर मात्र एक जू0इ0 नियुक्त है जबकि दो अन्य जू0इ0 की आवश्यकता है। आम फल पट्टी घोषित क्षेत्र के बावजूद तथा मलिहाबाद क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा 24 घण्टे विद्युत् आपूर्ति का बिल वसूलने के बाद भी 24 घण्टे विद्युत् आपूर्ति नहीं की जाती है। यह अत्यन्त लोकमहत्व का मामला है।

अत: आपसे आग्रह है कि इस लोकमहत्व के प्रश्न को नियम 301 में ग्राह्य करके आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।]

नगर पूर्व बस्ती क्षेत्रान्तर्गत लगड़ी पम्प कैनाल में स्वतंत्र फीडर निर्माण के लिए धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम करन आर्य--

[मेरे विधान सभा नगर पूर्व बस्ती में लगड़ी पम्प कैनाल कुआनों नदी पर है। इस पम्प कैनाल का पहले से अलग से फीडर था। जब अलग फीडर था तो पानी हेड से टेल तक जाता था। पिछले 15 वर्षों से इसी फीडर से पूरे इलाके की बिजली सप्लाई होने लगी जिससे पम्प प्रभावित हो गया। वर्तमान में अलग से स्वतंत्र फीडर के लिए एक करोड़ दस लाख रुपये का इस्टीमेट बना है और स्वीकृत भी हो गया है, मगर शासन से धन अवमुक्त नहीं हुआ है जिससे पम्प चल नहीं पा रहा है। इससे किसानों के फसल की सिंचाई नहीं हो पाती है। इसलिए शासन द्वारा धन अवमुक्त होना जरुरी है ताकि स्वतंत्र फीडर बन सके।

अत: इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर स्वतंत्र फीडर निर्माण के लिए एक करोड़ रुपया अवमुक्त करने के लिए शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।]

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर द्वारा विधायकों से एक प्रपत्र के माध्यम से गनर/शैडों हेतु शस्त्र लाइसेंस एवं आपराधिक मामलों की सूचना मांगे जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 22-08-06 को नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित पांच सूचनाएं प्राप्त हुई :--

पहली सूचना, श्री हुकुम सिंह की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर द्वारा एक प्रपत्र के माध्यम से शस्त्र लाइसेंस एवं आपराधिक मामलों की सूचना मांगे जाने के संबंध में है।

इस पर बैठक हो चुकी है मैंने खुद निर्देश दिया है कि इसे न मांगा जाय। आवश्यकता होगी तो नेता सदन से इस पर बात कर लेंगे।

*श्री हुकुम सिंह--

जो परिपत्र लिखा है उसका थोड़ा सा अवलोकन कर लें यह विधायकों से मांगा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष--

मैंने सारा पत्र पढ़ा है। इस पर नेता सदन से बात करके इसका निस्तारण करा देंगे। इस पर अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं।

श्री हुकुम सिंह--

माननीय सदस्यगणों को जानकारी हो जाय कि विषय क्या है। मैं दो मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा।

श्री अध्यक्ष--

यह विषय 300 का नहीं है। आप बताइये कहां से यह 300 का है ?

श्री हुकुम सिंह--

अगर यह नियम 300 का नहीं है तो फिर कौन सा होगा। जहां मान्यवर, सम्मानित सदन के सदस्यों की प्रतिष्ठा का प्रश्न हो, जहां माननीय सदस्यों की गरिमा का प्रश्न हो और खुले आम अधिकारी उस गरिमा को खंडित करने में लगे हों उससे बड़ा और प्रश्न नियम 300 में क्या होगा ? मान्यवर, हमारे पास यह प्रोफार्मा भेजा गया है। मान्यवर, शासन की तरफ से हर विधायक को एक गनर और शैडो देने की बात है। किसी को आवश्यकता होती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपने विवेक से दे देते हैं और किसी को आवश्यकता नहीं होती है तो वो नहीं लेता है। मान्यवर, यह प्रोफार्मा भेजकर आज जिस तरह से हमसे अपना परिचय लिखकर देने को कहा जा रहा है। मान्यवर, इस प्रोफार्मा में लिखा है कि आप अपना आपराधिक इतिहास लिखिये कि कहां-कहां कौन-कौन से थाने में आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ ? अगर कहीं थाने में आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो ऐफिडेविट देकर उसको प्रमाणित कीजिये कि आपका कहीं किसी थाने में कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। मान्यवर, मेरा अनुरोध यह है कि एक विधायक होने के नाते हमको इस तरह से यह प्रमाण देना होगा एक गनर और शैडो लेने के लिये ? इससे तो अच्छा है गनर और शैडो

न लेना। किसकी बुद्धि की उपज है यह तो पता चले ? माननीय सदस्यों को पुलिस अधीक्षक के द्वारा पत्र भेजकर इस तरह से जानकारी मांगी जाय ? प्रोफार्मा में दिया हुआ है आवेदक का नाम, आवेदक के पिता का नाम, अपना फोटो लगाकर भेजें। फोटो तो हमारा आपके यहां पर लगा है। क्या घर-घर फोटो भेजना पड़ेगा ताकि सिपाही देखकर तसदीक करे कि हम ही गनर लेकर चल रहे हैं। आपके पास कितने गनर हैं ? कितना खर्चा दिया जा रहा है। इसके बाद हमारे पूरे पार्टिकुलर कि हम किस पते पर कहां-कहां रहते हैं, कहां-कहां नहीं रहते हैं। स्थाई और अस्थाई पता, वर्तमान में शासन और जिले से कोई सुरक्षा प्रदत्त है कि नहीं। इस तरह से पूरे कालम दिये गये हैं जिसमें सूचना देनी है। मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि नेता सदन भी बैठे हैं। मुझे पता नहीं किस परिप्रेक्ष्य में यह प्रोफार्मा बनाकर जिस तरह से विधायकों को सम्बोधित किया गया है, वह हम लोगों की गरिमा के अनुकूल नहीं है। माननीय नेता सदन इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

अध्यक्ष महोदय, माननीय हुकुम सिंह जी ने जो कुछ कहा उसको मैं स्वीकार करता हूं कि वह विधायकों की गरिमा के अनुकूल नहीं है। हम यह देखेंगे कि किस तरह से यह प्रोफार्मा आपके पास पहुंचा। जहां तक यह जांच करने का सवाल है, आप अखबार उठाकर देख लें तो देखेंगे कि कोई भी दल ऐसा नहीं है जिस दल ने अराजकता न की हो। गनर-शेडो गुण्डों और माफियाओं के पास पहुंच गये तो अखबार पढ़कर और आपके निर्देश का पालन किया गया है। सरकार इस बात की जानकारी कर रही है कि गलत लोगों के हाथ गनर न पहुंच जाय। इसी सम्बन्ध में यह प्रोफार्मा बना होगा, ऐसा मेरा सोचना है। लेकिन जो आपने पढ़ा उसको मैं गलत मानता हूं और उसके बारे में मैं अधिकारियों से बात करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ ? मैं मान रहा हूं कि यह एक नीति बनी थी कि विधायकों को गनर और शेडो दिये जायेंगे लेकिन जो कुछ जानकारी की जा रही है वह आपके सुझाव के अनुसार सरकार कर रही है। आपने कई बार कहा है, सबने कहा है और हमने भी स्वीकार किया था कि जांच करा ली जाय। इसमें हमारा आपका सहयोग रहेगा। हम अधिकारियों को निर्देश दे देंगे कि भविष्य में किसी भी विधायक के बारे में कुछ पूछना है तो हमसे पूछिये।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की कार पर पथराव के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

नरेन्द्र कुमार सिंह गौर जी की सूचना नियम 300 में नहीं आती है। कौन सा कार्य बाधित हो रहा है ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, सुन तो लीजिये।

श्री अध्यक्ष--

यह नियम 300 में नहीं आती है। कहीं कोई पथराव होता है तो वह कहां से नियम 300 में आ जायेगी ? यह तो कानून व्यवस्था से सम्बन्धित है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

हम आपसे सीखना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष--

तो आ जाइये हमारे चेम्बर में हम सिखाते हैं।

प्रदेश में दहेज मुकदमों में दोषी व्यक्ति के साथ उसके परिवार की महिलाओं और बच्चों को जेल में बन्द किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

सुखदेव जी की भी नियम 300 में नहीं आती। आप इसको 56 में क्यों नहीं लाते हैं ? आप तो खुद संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाएं।

श्री सुखदेव राजभर--

मा0 नेता सदन के संज्ञान में लाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष--

हम आपका पढ़ देते हैं। 'प्रदेश में दहेज मुकदमों में दोषी व्यक्ति के साथ उसके समस्त परिवारजन, जिसमें वृद्ध महिलायें एवं बच्चों वाली महिलायें तथा उनके बच्चे भी होते हैं, को जेल में बंद किये जाने के सम्बन्ध में, है। पुलिस बंद कर देती है तो यह नियम 300 में कैसे आएगा ? इसको नियम 56 में लाएं हम इसमें पूरी चर्चा करा देंगे। सरकार का पक्ष भी आ जाएगा।'

श्री सुखदेव राजभर--

जो हत्यायें हो रही हैं उसका हम विरोध कर रहे हैं। लेकिन यह परम्परा बन गई है कि सास-ससुर, जेठ जिठानी को जेल में भेज दिया जाता है। सबको मुलजिम बना दिया जाता है। सत्तर साल की वृद्ध महिला जेल में पड़ी है। महिलायें छोटे-छोटे बच्चों के साथ जेल में पड़ी हैं। यह परम्परा बन गई है। सबको मुलजिम बना दिया जाता है। यह कौन सा औचित्य है ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय पाल साहब आप औचित्य का प्रश्न उठाना चाहते हैं। सेक्शन-2 के बारे में बताया है आपने 72वें और 73वें अनुच्छेद में बताया है।

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं यह गम्भीर प्रश्न है जो राजभर जी ने उठाया है। पहले भी यह गम्भीर सवाल सदन में आया है। उसके बाद कुछ न कुछ बेहतर हुआ है। यह सही है इस तरह की रिपोर्ट दर्ज होती है पारिवारिक टेंशन के कारण या किसी और कारण से, ऐसे नाम दे दिए जाते हैं जहां जांच हुई है तो उसको सही नहीं पाया गया है। आपके कक्ष में एक बैठक सभी दलों के नेताओं को बुला ली जाए और इस पर विचार कर लिया जाए।

श्री अध्यक्ष--

कल माननीय नेता सदन रहेंगे कल ही बैठक कर ली जाय।

प्रदेश में स्थानीय निकायों एवं पंचायतों के चुनाव कराये जाने में हो रहे विलम्ब के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

पाल जी, अनुच्छेद 72 पढ़ें, जिन अनुच्छेदों को आपने दिया है वह पढ़ लें।

श्री जगदम्बिका पाल--

मुझे सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

जब गलत है तो क्यों सुन लें ?

श्री जगदम्बिका पाल--

मेरे पास संविधान है आप संविधान से सदन की कार्यवाही विनियमित करते हैं आपने औचित्य का प्रश्न उठाने की अनुमति दी है।

श्री अध्यक्ष--

जो आज की वस्तुस्थिति है वह संविधान के अनुच्छेद से संबंधित नहीं है। इसलिए इसको स्थगित करते हैं। कल व्यवस्थित ढंग से लिखकर दें तो विचार किया जा सकता है। आज इसको नहीं लिया जा सकता कल इसको लिखकर दे दें।

श्री जगदम्बिका पाल--

मा0 सुन लें आपने जो कहा मैंने सुन लिया। आप 72वें और 73वें अनुच्छेद की बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

आपने अनुच्छेद लिखा है।

श्री प्रमोद कुमार--

अनुच्छेद पढ़ रहा हूं आप संशोधन पढ़ें।

श्री अध्यक्ष--

आपने अनुच्छेद लिखा है ? तिवारी जी, आप इसे कल फिर से लिखकर दीजिए। इससे विसंगति हो जायेगी। आपकी नोटिस गलत है।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मैं आपकी विद्वता की तारीफ करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप अगर पढ़े होते तो ऐसा नहीं होता। होता यह है कि कोई टाइप कर देता है और कोई दस्तखत कर देता है, परम्परा यह हो गयी है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, जैसे ही संज्ञान में आया, मैंने आपके प्रमुख सचिव को अवगत कराया।

श्री अध्यक्ष--

यह मत कहिए कि गलती है, कल आप दीजिए।

श्री प्रमोद कुमार--

अगर हम गलती करेंगे तो सुधारेगा कौन ? आप ही तो सुधारेंगे।

श्री अध्यक्ष--

आप घुमाकर मत कहिए, कल सुधार कर दीजिए, मैं सुनूंगा। आपकी नोटिस गलत है।

जनपद बरेली में ग्राम सभा हरदासपुर में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के आवंटन में जनप्रतिनिधियों के प्रति प्रोटोकाल का पालन न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री धर्मपाल सिंह--

अध्यक्ष जी, मेरी बात सुन लीजिए, हमने एक अधिकारी से फोन पर बात करनी चाही, उन्होंने फोन से बात नहीं की।

श्री अध्यक्ष--

अगर कोई कार्य ऐसा हो रहा है, जो नियम से न हो, प्रोटोकाल का जो मामला है, वह अलग से दीजिए, मैं छानबीन कर लूंगा।

श्री धर्मपाल सिंह--

मान्यवर, इसकी ग्राह्यता पर सुन लेते तो अच्छा होता।

श्री अध्यक्ष--

यह जो प्रोटोकाल का मामला है, मैं अधिकारियों से पूछूंगा, अगर प्रोटोकाल का उल्लंघन हुआ है तो उसमें कार्यवाही होगी, अब आप बैठें।

उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अध्यादेश, 2006†

श्री अध्यक्ष--

अब मद संख्या-3 लेते हैं।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अध्यादेश, 2006 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-1 सन् 2006) को सदन के पटल पर रखता हूं।

---

*छपा नहीं गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अध्यादेश, 2006 †

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अध्यादेश, 2006 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-2 सन् 2006) को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2006 †

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-3 सन् 2006) को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2006 †

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-4 सन् 2006) को सदन के पटल पर रखता हूं।

डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान उत्तर प्रदेश (संशोधन) अध्यादेश, 2006 †

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान उत्तर प्रदेश (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-5 सन् 2006) को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2006 †

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-6 सन् 2006) को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अध्यादेश, 2006 †

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अध्यादेश, 2006 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-7 सन् 2006) को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मई, 2006 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 19 मई, 2006 को वापस प्राप्त हो गया।

---

† छपे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :--

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मई, 2006 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 19 मई, 2006 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालम नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :--

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मई, 2006 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 19 मई, 2006 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (2006-2007 का अनुपूरक) विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा--

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि :--

उत्तर प्रदेश विनियोग (2006-07 का अनुपूरक) विधेयक, 2006 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 15 मई, 2006 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 16 मई, 2006 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 19 मई, 2006 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2006 का उत्तर प्रदेश का तेरहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा--

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि :--

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपने दिनांक 16 मई, 2006 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 17 मई, 2006 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 23 मई, 2006 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2006 का उत्तर प्रदेश का चौदहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि :--

उत्तर प्रदेश किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 17 मई, 2006 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपने दिनांक 18 मई, 2006 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 23 मई 2006 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2006 का उत्तर प्रदेश का पन्द्रहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि :--

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 17 मई, 2006 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपने दिनांक 18 मई, 2006 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 23 मई, 2006 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2006 का उत्तर प्रदेश का सोलहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि :--

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2006 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपने दिनांक 17 मई, 2006 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 18 मई, 2006 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 मई, 2006 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2006 का उत्तर प्रदेश का सत्रहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि :--

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 17 मई, 2006 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 18 मई, 2006 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 31 मई, 2006 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2006 का उत्तर प्रदेश का अट्ठारहवां अधिनियम बन गया।

मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय विधेयक, 2005

प्रमुख सचिव, विधान सभा--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि :--

मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 18 मार्च, 2005 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 23 मार्च, 2005 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 16 जून, 2006 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2006 का उत्तर प्रदेश का उन्नीसवां अधिनियम बन गया।

22 अगस्त, 2006 ई0

श्री अध्यक्ष--

मद संख्या-12 में कुछ नहीं है।

मद संख्या-13 भी कुछ नहीं है।

विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 18 अगस्त, 2006 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 21 अगस्त, 2006 से 25 अगस्त, 2006 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :--

[1--दिनांक 21 अगस्त, 2006 को केवल निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना ली जाय, प्रश्नकाल न हो तथा नियम 51, 56, 300, 301 तथा 311 के अन्तर्गत सूचनाएं न ली जायं।

2--दिनांक 22 अगस्त, 2006 को भूतपूर्व विधान सभा के सदस्यों के निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना ली जाय।

3--दिनांक 21 अगस्त, 2006 से 25 अगस्त, 2006 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :--]

अगस्त, 2006

21 सोमवार — दिनांक 21 अगस्त, 2006 को केवल निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना ली जाय, प्रश्नकाल न हो तथा नियम 51, 56, 300, 301 तथा 311 के अन्तर्गत सूचनाएं न ली जायं।

अगस्त, 2006

22 मंगलवार — (1) भूतपूर्व विधान सभा के सदस्यों के निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना।

(2) औपचारिक कार्य, यथा-अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुर:स्थापन आदि, यदि कोई हों।

(3) असरकारी दिवस (आधा दिन) दिनांक 25 अगस्त, 2006 के स्थान पर।

(4) **4.00 बजे अपराह्न**

वित्तीय वर्ष 2006-2007 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण।

23 बुधवार — विधायी कार्य।

24 गुरुवार — (1) वित्तीय वर्ष 2006-2007 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्समबन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

(2) विधायी कार्य।

25 शुक्रवार — विधायी कार्य।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना मा0 अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री द्वारा रखा गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006†

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक, 2006†

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करता हूं।

---

†दिनांक 6-9-2006 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 22 अगस्त, 2006 को नियम 311 की तीन सूचना को नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम 56 के अन्तर्गत कुल 28 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गई । प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। इसमें पहली सूचना श्री लालजी टण्डन, श्री केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री हुकुम सिंह, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, कुंवर भारतेन्द्र सिंह, श्री उदयभान करवरिया, श्री मुन्शी लाल गौतम, डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा, श्री लल्लू सिंह, श्री प्रमोद कुमार, श्री जगदम्बिका पाल, श्री श्याम सूरत उपाध्याय, श्रीमती लुईस खुर्शीद, श्रीमती अमीता सिंह, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री दद्दू प्रसाद, श्री आर0 के0 सिंह पटेल, श्री बाबू लाल कुशवाहा, श्री शिवचरन प्रजापति, श्री घूराम चौधरी व डा0 सुशील चौधरी जी की, प्रदेश की बिगड़ती कानून-व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इसमें एक घण्टे की चर्चा स्वीकार हो गयी है।

*श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि दो-दो मिनट सबको सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

तिवारी जी, बात तय हो गयी है। आप तो प्रबुद्ध हैं और सम्मानित हैं अगर आप ही व्यवधान डालेंगे तो यह अच्छा नहीं लगेगा। इसमें चर्चा निर्धारित हो गयी है। अब आप बैठ जायें। दूसरी सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री जगदीश नारायण राय, श्री सुखदेव राजभर, श्री लालजी वर्मा, श्री रामहेत भारती व श्री राजेश कुमार जी की, जनपद मिर्जापुर में बिन्द जाति के परिवारों पर असामाजिक तत्वों द्वारा धारदार हथियार के हमले से एक महिला की हुई मृत्यु के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी व डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर जी की, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ की वर्ष 2005-2006 की वार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में भारी धांधली एवं अनियमितता के संबंध में है। चौथी सूचना श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद कुमार, श्री लालजी वर्मा, श्री सुखदेव राजभर व श्री उदयभान करवरिया की, प्रदेश में भीषण सूखे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इसे हम नियम 52 में परिवर्तित कर दे रहे हैं इसमें चर्चा लगा दी जायेगी।

स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोलेंगे। जनपद मिर्जापुर की घटना के सम्बन्ध में।

श्री दद्दू प्रसाद अहिरवार--

मान्यवर, हमने जनपद चित्रकूट की स्पेसिफिक सूचना दी है, लॉ एण्ड आर्डर में आप इसको इन्क्लूड न करें।

*श्री रंगनाथ मिश्र--

मान्यवर, हमने भी एक सूचना दी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शान्त होकर बैठ जायें, आप ही के नेता बोलने जा रहे हैं। आप लोगों ने जो भी घटनायें या सूचनायें दी हैं, उन सारी की सारी घटनाओं को कानून व्यवस्था से जोड़ दिया गया है, उसी में आप लोग बोल लीजियेगा। अब मौर्या जी को बोलने दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मान्यवर, हम लोगों ने नियम 311 के अन्तर्गत जनपद मिर्जापुर के ग्राम करहरतारा, थाना कछवा में बिन्द जाति के ऊपर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा हुये हमले के सम्बन्ध में एक सूचना दी थी जिसको मान्यवर, आपने नियम 56 में परिवर्तित करके सुनने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, घटना के क्रम में मैं केवल इतनी जानकारी देना चाहता हूं कि मान्यवर, इसी 06 अगस्त को करहरतारा, थाना कछवा, मिर्जापुर में बिन्द समाज पर कुछ अराजक तत्वों ने हमला किया, उस हमले में श्रीमती दुलारी देवी पत्नी दु:खी की मौत हो गयी और ठीक दूसरे दिन यानी 7 अगस्त को गांव वालों ने उन अराजक तत्वों की गिरफ्तारी की मांग को ले करके वहां पर कटका जी0टी0 रोड पर धरना और प्रदर्शन किया। वहां पर मान्यवर, प्रशासन सात-आठ घण्टे लेट पहुंचा, पुलिस एस0 पी0 वहां पर सात-आठ घण्टे लेट पहुंचे हैं मान्यवर, जब वहां पहुंचते हैं तो वहां पर क्षेत्रीय लोगों ने मांग की कि जो मृतक परिवार है उसको कुछ सहायता दी जाय और साथ ही साथ सात-आठ लोग उसमे घायल हुये थे निर्मला देवी जो उसकी बहू थी, रउला उसकी बहू थी, ताराशंकर जो उसका लड़का था, बिरजू पौत्र था, इन्दू पौत्री थी और इन्द्रबलि इसी तरीके से जो दुलारी देवी के बगल में लेटा हुआ था, जब गुण्डों ने उनको मारना शुरू किया तो वह वहां से भाग गया जान बचा करके । तो वहां लोगों ने केवल इतनी मांग की थी कि मृतक के परिवार को सहायता दिया जाय और जो घायल लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनके इलाज की व्यवस्था की जाय और साथ साथ जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाय। मान्यवर, धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों को प्रशासन ने अनसुनी कर दी। मान्यवर, अगर प्रशासन ने उनको धैर्य दिलाया होता, उनको सांत्वना दी होती या जो बीमार, घायल लोग थे ,जो आहत लोग थे उनके इलाज की कोई व्यवस्था की होती तो शायद यह घटना आगे नहीं बढ़ती, लेकिन लोगों की बात सुनने के बजाय कप्तान साहब ने वहां पर लाठी-चार्ज शुरू करवा दिया, जिसमें मान्यवर, राजेश नाम के एक युवक की मौत हो गयी। एक मौत पहले हुई थी 06 तारीख को और दूसरी धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करने वाले प्रदर्शनकारियों की मांग के फलस्वरूप लाठी-चार्ज हुआ और गोली चली, जिसमें राजेश नामक युवक की मौत हो गई ।

मायन्वर, हम इस सूचना के माध्यम से आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहते हैं और यह महत्वपूर्ण सूचना इसलिये है कि वहां पर हमारे जो जन प्रतिनिधि है विधायक रमेश बिन्द, मौके पर गये, पुलिस प्रशासन को सहयोग कर रहे थे और साथ ही साथ यहां तक कि धरना प्रदर्शन को हटवाने में भी सहयोग कर रहे थे, लेकिन पुलिस कप्तान जी ने वहां पर न तो उन प्रदर्शनकारियों की बात सुनी न विधायक की बात सुनी, उल्टे लाठी-चार्ज और गोली चलवा के राजेश की हत्या करा दी और विधायक को भी बुरी तरह से मारा-पीटा यहां तक कि फैक्चर हो गया और साथ ही साथ

उल्टे उनको राहत देने के बजाय विधायक सहित 2500, एक, दो, तीन, चार नहीं ढाई हजार अज्ञात लोगों के खिलाफ एफ0 आई0 आर0 दर्ज करा दी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं कि मुकदमा संख्या 657/6 जिसके माध्यम से लगभग ढाई हजार लोगों के ऊपर मुकदमा कायम कराके उनको बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है और साथ ही साथ उनकी आवाज को सदा सदा के लिए बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए महत्वपूर्ण सूचना है कि विधायक को मारा गया, इसमें एफ0आई0 आर0 हुई है। ढाई हजार लोगों को अज्ञात करके इसमें एफ0 आई0 आर0 दर्ज हुई है। इसमें पूरे मिर्जापुर और संत रविदास नगर के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसमें सदन की सारी कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा करा ली जाये जिससे कि लोगों को न्याय मिल सके।

श्री रंगनाथ मिश्र--

माननीय अध्यक्ष जी, मिर्जापुर जनपद की जिस घटना का उल्लेख किया गया है यह घटना जहां पर हुई वह स्थल भदोही और मिर्जापुर जिलों के बार्डर पर स्थित है। मान्यवर, 6-7 अगस्त की रात को कुछ बदमाशों ने बिन्द परिवार के घर पर धावा बोलकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी और 6-7 लोगों को घायल कर दिया। सुबह जब गांव वालों को घटना का पता लगता है, आस-पास के गांव वाले इकट्ठा होते हैं और प्रशासन को सूचना देते हैं और मुझे भी सूचना देते हैं। मैं उस समय दिल्ली में था इसलिये वहां नहीं पहुंच पाया। सुबह सूचना दी गयी और प्रशासन के लोग 12 बजे के करीब वहां पर पहुंचे। इसी बीच क्षेत्रीय विधायक को भी सूचना दी गयी। रमेश बिन्द जी वहां पर मौके पर पहुंचे । बारह बजे तक डी0 एम0 नहीं आये, दरोगा आये फिर एस0 पी0 आये। लोगों ने मांग की कि जो मृतक हैं उसको कुछ मुआवजा दिया जाय और अस्पताल में लोगों की समुचित चिकित्सा की व्यवस्था करायी जाय। मान्यवर, यह लोकतंत्र में अधिकार है जनता को यह मांग करने का। यह लोकतंत्र का तकाजा है। वहां कोई वायलेन्स नहीं था, न अराजकता थी। जैसा कि मौर्या जी ने अभी बताया कि इसमें ढाई हजार लोगों को अज्ञात करके मामला दर्ज किया गया है। प्रशासन ने इसकी लीपा पोती करने के लिये यह सब किया है। इससे प्रशासन को संजीदगी का पता लगता है। इससे भी स्थिति का पता लगता है कि जनता वहां कितनी संख्या में इकट्ठा थी । मान्यवर, आप सुन लें! यह गुण्डागर्दी की बात कह रहे हैं वहां कोई गुण्डागर्दी नहीं हुई थी। लेकिन यह कितनी विचित्र बात है कि आप सत्ता में रहकर भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई घटना नहीं थी लेकिन यह प्रशासनिक बर्बरता की पराकष्ठा है। माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं। मान्यवर, इस तरह के आन्दोलन और प्रदर्शन तो लोकतंत्र में जनता का एक हथियार रहा है। हमेशा उन्होंने भी इसका इस्तेमाल किया है। उसमें प्रशासन के प्रति किसी तरह का कोई गुस्सा नहीं था। कोई पत्थरबाजी नहीं हुई थी। लेकिन सिर्फ अपने अहम की तुष्टि के लिये एस0 पी0 ने वहां पर पहले लाठीचार्ज न कराके पहले गोली का चलवाने की शुरुआत करवा दी । मान्यवर, अगर वहां प्रशासन के लोग सूचना मिलते ही सुबह पहुंच गये होते तो शायद यह मामला हल हो गया होता। लेकिन जो प्रशासनिक लापरवाही है पूरे प्रदेश में अधिकारी जानबूझकर पब्लिक के कष्टों को दूर करने के बजाय उसको और परेशानी में डालने का काम करते हैं। उसका तकाजा यह देखने को मिलता है कि इस ढंग ये घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है प्रशासन के लोगों के द्वारा । विधायक वहां पर पहुंच गये क्या यही उसका आज अपराध है। फिर लोकतंत्र में विधायक

क्या काम करेगा ? आज ही आप इस पर निर्देश जारी कर दें। लेकिन इस घटना पर गोली चलवा दी गयी एक 22 साल के नौजवान व्यक्ति की उसमें हत्या हो गयी एक दिन पहले ही उसके लड़का हुआ था वह दवा लेने महाराजगंज बाजार जा रहा था। ए0 के0 47 से उसको गोली लगी है पेट में लगी और पीठ से निकल गयी। उसका पोस्टमार्टम भी बनारस की पुलिस द्वारा कराया गया क्योंकि वह वहां से नजदीक है। वहां पर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी थी। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी गयी। उसकी बाबत एफ0 आई0 आर0 की रिपोर्ट तक नहीं लिखी गयी है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उस पर जो गोली चलाई गयी है, एक निरीह व्यक्ति की हत्या हुई है व भदोही जनपद के विधायक की पिटाई हुई है इसकी अगर सी0 आई0 डी0 जांच करा दें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। सबसे ज्यादा खराब स्थिति तो उस दलित परिवार की है जिसका 22 साल का लड़का मरा है, बी0एस-सी 0 का छात्र था, उसकी पत्नी जो इतनी कम उम्र में विधवा हो गयी उसकी पत्नी इतनी बड़ी जिन्दगी कैसे काटेगी। इसलिये मैं इसमें 5 लाख रुपये मुआवजे की मांग करता हूं।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, पहले भी सदन में इस तरह की बातें कई बार आई हैं । मैंने खासतौर पर कहा है कि जब भी वारलेस आ जाता है तो सही बात भी गलत हो जाती है और उसी का यह नतीजा हुआ है। कहीं भी किसी तरह की कानून की तरफ से कोई ढील, कोई पक्षपात नहीं होगा इसका आश्वासन दिया जाता है सदन में, जहां कहीं कोई कमी रही होगी उस कमी को दिखवा लिया जायेगा।

मुख्यमंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

अध्यक्ष महोदय, अभी आपने स्वीकार भी कर लिया है चर्चा और भाषण भी हो रहा है लेकिन और जो जांच करानी होगी, हम करायेंगे किसी उच्च अधिकारी से और सहमत नहीं होंगे तो सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 से भी करा देंगे दूसरी बात जो मृतक है उनके आश्रितों को एक-एक लाख रुपया दोनों को देंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, मेरी सूचना पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक स्वस्थ्य परम्परा को स्थापित किया है उसमें मैं नेता सदन को धन्यवाद देता हूं।

श्री रंग नाथ मिश्रा--

मान्यवर, जो एक लाख रुपया दे रहे हैं उसे कम से कम दो लाख दे दें। एक लाख रुपया सामान्य प्रशासन देता है।

(श्री जगदम्बिका पाल और लाल जी वर्मा के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें।

माननीय डॉ0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी और डॉ नरेन्द्र कुमार सिंह गौर जी की सूचना चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ पर है।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा जगत के उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है उसके बारे में सदन में आपने बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के वर्ष 2005-06 के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन घोटाला ठेके पर कापी जांचने की पद्धति जो पिछले कई वर्षों से चल रही थी उसका विकृत रूप इस बार सामने आया है। अभी जांच में पता चला है कि पिछले 2 कुलपतियों के समय से इस प्रकार ठेके पर कापी जांचने की पद्धति चल रही है लेकिन इस बार सबसे गलत बात यह हुई है पिछली उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन घोटले का जो आरोपी ए0 पी0 गर्ग है उसी को कुलपति श्री सन्त प्रसाद ओझा जी ने परीक्षा समिति का संयोजक बनाया और मूल्यांकन समिति में निर्णय करने का संयोजक बना दिया। दुर्भाग्य से बी0 एल0 आर्या नये रजिस्ट्रार एक डेढ़ महीने पहले गये थे इस सारे षड़यंत्र का जनक अगर कहा जाय तो मुलजिम रजिस्ट्रार, ए0 पी0 गर्ग और कुलपति सन्त प्रसाद ओझा जी की भूमिका धृतराष्ट्र की है और उन्होंने अपनी कथित योग्यता और कथित प्रशासनिक क्षमता को आधार बनाकर एक लाख 78 हजार नौजवान लड़के और लड़कियों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। आज उन उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन मान लीजिये करा भी लिया जायेगा तो सारे देश में जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की वर्ष 2005-2006 की परीक्षाओं के सम्बन्ध में चित्र गया है उन बच्चों के भविष्य में नौकरियों, उच्च परीक्षाओं में जाने के लिये उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है।

मान्यवर, ए0 पी0 गर्ग, मूल्यांकन घोटाले के आरोपी थे, उनके विरुद्ध जांच चल रही थी तो फिर उनको क्यों बनाया गया। रजिस्ट्रार आर्या साहब के घर पर से और उनके लड़के के घर से करीब 92 हजार कापियां प्राप्त हुयी है। 40 हजार कापियां ए0 पी0 गर्ग के मायक्रोबायलोजी विभाग के गोदाम से प्राप्त हुयी। इसके अलावा फिरोजाबाद सहित विभिन्न रेलवे स्टेशनों और खेतों में कापियां मिल रही है। तो मैं सदन से निवेदन करना चाह रहा हूं कि इससे छात्रों में व्यापक असंतोष है, छात्र सड़क पर है और छात्रों का पुलिस का टकराव हो रहा है, जो नहीं होना चाहिये। यह पुलिस और छात्रों के टकराव का विषय नहीं था। अभी तक इतने गंभीर विषय पर सरकार के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया है। होना इसमें यह चाहिये था कि उत्तर पुस्तिकाओं का केन्द्रीय मूल्यांकन पद्धति से मूल्यांकन कराकर रिजल्ट घोषित करना चाहिये और जिन छात्रों की उत्तर पुस्तिकायें अभी तक प्राप्त नहीं हुयी है, उनको दो विकल्प दिये जाने चाहिये। एक तो यह कि वह पुन: उस विषय की परीक्षा दे लें और दूसरा यह है कि अन्य विषयों में प्राप्त अंकों के आधार पर उसके औसत के अनुसार उनको अंक प्रदान कर दिये जायें और इसमे छात्र को ही विकल्प चयन का अधिकार होना चाहिये। इससे पहले रजिस्ट्रार आर्या और उनके पुत्र आर0 पी0 सिंह तथा ए0 पी0 गर्ग को तत्काल गिरफ्तार करके रासुका लगाई जानी चाहिये तथा कुलपति को तत्काल बर्खास्त करके कार्यवाहक कुलपति बनाया जाना चाहिये जिससे छात्रों का असंतोष कम हो और इस पूरे मामले को सी0 बी0 आई 0 से जांच कराई जाय तथा किसी वरिष्ठ सचिव स्तर के अधिकारी को भेजकर इस मामले में कार्यवाही कराई जाये।

(डॉ नरेन्द्र कुमार सिंह गौर के खड़े होने पर)

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल--

मान्यवर, मेरे क्षेत्र का मामला है, मैं भी दो मिनट अपनी बात रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आपने तो लिखकर दिया नहीं है। आपको देना चाहिये था। आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल--

मान्यवर, एक मिनट हमारी सुन लें। मैं नया सदस्य हूं। हमारे क्षेत्र का मसला है।

अध्यक्षे--

गौर साहब या तो आप बैठ जायें या यह बैठ जायें।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, माननीय सदस्य मेरे बाद अपनी बात कह लेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा और उच्च शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं भी विश्वविद्यालय से 33 वर्षों से जुड़ा रहा हूँ और शिक्षक रहा हूँ। लेकिन मैंने इतने वर्षों में कभी इतनी बड़ी धाँधली और अनियमितता नहीं सुनी। यह तो जरूर सुना कि किसी को ज्यादा अंक दे दिये, किसी को कम दे दिये, या पैसा ले लिया लेकिन चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ने वाले छात्रों से कराया गया, इससे ज्यादा चिन्ताजनक और निन्दनीय बात और कोई हो नहीं सकती। मान्यवर, जब छात्रों से पुलिस ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो तो उन्होंने बताया कि हम पत्रे देखकर नम्बर देते हैं और इसके हमें 5 रुपये मिलते हैं। मान्यवर, मूल्यांकन का एक आधार होता है, मूल्यांकन करने वाला यूनिवर्सिटी का टीचर या प्रोफेसर होना चाहिये । छोटे क्लासेज में जैसे सुलेख और अच्छा चित्र देखकर नम्बर मिलते है, उसी प्रकार इसमें नम्बर दे दिये गये। मान्यवर, अभी तो बहुत समय है...

श्री अध्यक्ष--

आपने पूरा विवरण रख दिया, बाजपेयी जी ने भी पूरे तथ्य रख दिये और कोई महत्वपूर्ण बात हो तो आप उसको रखें, आप तो पुनरावृत्ति कर रहे हैं।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, मैंने रिपीट नहीं किया है, आप उस पीठ पर बैठे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव--

अध्यक्ष महोदय, गौर साहब वरिष्ठ नेता है। जहाँ तक बाजपेयी जी का सवाल है, बाजपेयी जी तो ऐसे घुमाफिराकर बात को रखते हैं कि जो गलत बात हो उसको भी सही साबित करने की कोशिश हमेशा रहती है। क्या वहां पर गिरफ्तारी नहीं हो गई, गर्ग की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, रजिस्ट्रार फरार है, उसे निलम्बित कर दिया गया है। अगर सरकार नहीं सचेत होती तो यह सब कार्यवाही कैसे हो जाती। पूरी तरह से सरकार सचेत है, कार्यवाही हो रही है, गिरफ्तारियां हो गई है और चल भी रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके अन्दर कार्यवाही रुकवाने की मंशा हो। कुलपति

को बर्खास्त कर दो, कुलपति कोई चपरासी है, हमें भी जानकारी है एक वह समय था, जब कुलपति का कितना सम्मान होता था,. डॉ0 राधाकृष्णन जैसे महान राष्ट्रपति कुलपति रह चुके हैं, आचार्य नरेन्द्र देव जी जैसे लोग कुलपति रहे हैं, कैसे बर्खास्त कर दें ? हम समझते हैं कुलपति को कैसे बर्खास्त किया जाता है, आपका तो शायद शिक्षा से कोई मतलब रहा नहीं है। इसलिये हम कहना चाहते हैं कि कार्यवाही हो रही है, इससे और बड़ी कार्यवाही क्या हो सकती है, जांच-पड़ताल, नकल या और भी जो गलत तरीके हुए है, उसकी भी जांच चल रही है। आपको सारी बातें पता है, उसके बाद भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सदन में सही बाते रखी जायें, हम सही बात का सही उत्तर देते हैं, हमने कभी भेद-भाव नहीं किया है। अभी रंगनाथ मिश्र जी कह रहे थे दो लाख दे दीजिये, आप तो दो लाख रुपये देने को नहीं तैयार थे, देने की तो बात दूर, सुनने को भी नहीं तैयार थे।

(लक्ष्मीकान्त वाजपेयी के खड़े होने पर)

अध्यक्ष--

वाजपेयी जी, आप पूरी बात कह चुके हैं, बार-बार वही बात करने से क्या फायदा ?

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, हमने नोटिस दी थी।

श्री अध्यक्ष--

नोटिस का मतलब यह नहीं कि घंटों चर्चा कर लें, अगर आप पाँच-पाँच मिनट भी बोलेंगे, तब भी 25 मिनट हो जायेगा। बाजपेयी जी ने सारे तथ्य रख दिये हैं, मुख्यमंत्री जी ने जवाब दे दिया है, अब क्या रह गया है ?

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

आप पीठ पर हैं , जो चाहें निर्देश दे दें । मान्यवर, हमने इसके लिये नोटिस दिया है।

श्री अध्यक्ष--

आप ग्राह्यता पर बोल लिये हैं, हुकुम सिंह जी आप ही इन्हें समझाइये।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, मेरी बात सुन तो लें । मैं कुछ अलग हटकर कहना चाहता हूँ। मैं बोल रहा था, बीच में नेता सदन अपनी बात कहने लगे तो मैं बैठ गया था, मान्यवर, मेरी बात सुन तो लें। मान्यवर, शिक्षा जगत के अन्दर अगर इस तरह का भ्रष्टाचार होगा तो यह तो बहुत बड़ी बात है।

श्री अध्यक्ष--

यहाँ पर बहुत से शिक्षक होंगे, कोई इण्टर कालेज का होगा, कोई डिग्री कालेज का होगा, तथ्य सभी समझते हैं, बाजपेयी जी ने कोई बात छोड़ी नहीं है, पूरी बात कही है और मुख्यमंत्री जी ने जवाब दे दिया है। चलिये अच्छा कोई नयी बात हो तो बता दीजिये।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं, वह सदन में बैठे हैं, मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि जो धाँधली हो रही है, वह भविष्य में ठीक होगी। मेरा सम्पर्क विश्वविद्यालय से रहा है, मैं परीक्षक रहा हूँ, मंत्री भी रहा हूँ इसलिये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि अगर इक्जाम्नर को कापी भेजी जा रही है तो कुलपति को अच्छी तरह से पता होता है , इसलिये कुलपति का पूरा उत्तरदायित्व बनता है।

(जगदम्बिका पाल अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

आज प्रदेश के अन्दर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का केन्द्र मेरठ विश्वविद्यालय बन गया है।

[समय 1 बजकर 20 मिनट]

इसीलिये इसके पहले कुलपति थे उनको हटाया गया, वहाँ बी0 एड0 कालेज की मान्यतायें गलत तरीके से दी गयी थी, उनकी मान्यतायें समाप्त की गयी।

श्री अध्यक्ष--

इसमें बी0 एड0 की बात कहाँ से आ गयी ? उत्तर पुस्तिकाओं की बात कीजिये। कोई तथ्यपूर्ण या सुझाव हो तो बताइये।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, मेरा सुझाव है कि वहाँ परीक्षा में धाँधली हुई है इसमें कुलपति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। वैसे नहीं हटाया जा सकता लेकिन इसके लिये नियम-कानून है। यूनिवर्सिटी एक्ट के अन्दर व्यवस्थायें हैं। परीक्षाओं में धाँधली हुई है तो कुलपति के विरुद्ध नियम-कानून के हिसाब से कार्यवाही की जाये।

श्री मुलायम सिंह यादव--

अध्यक्ष महोदय, कोई भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। जब मैंने यह कह दिया तो अब रह क्या गया, गिरफ्तारियां हो रही हैं, अब क्या चाहते हैं ?

(डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर के पुन: खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

गौर साहब बैठिये, आपकी विद्वता का लोहा सब मानते हैं क्यों अति कर रहे हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान लीजिये कुलपति दोषी है तो जांच में यह बात आ जायेगी।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि क्या चाहते हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि इसमें माननीय सदस्यों की एक उच्च-स्तरीय समिति बना दी जाये जो इसकी जांच कर ले और भविष्य में इस तरह की घटनायें न हों।

(जगदम्बिका पाल अपने स्थान पर खड़े हुये ।)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, 6 जुलाई को रजनीकान्त उपाध्याय ने यह कहा कि....

श्री अध्यक्ष--

बाजपेयी जी , आसन ग्रहण करिये, सारी बात आ गयी।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, इस तरह से सदन चलेगा ?

डॉ0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--

अध्यक्ष जी, बस केवल एक बात और बताना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय बाजपेयी जी, चर्चा नहीं हो रही है, इस सूचना की ग्राह्यता पर आपने कह लिया, सारी बात आ गयी, अब बार-बार क्या कह रहे हैं ?

डॉ0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--

मान्यवर, एक तथ्य आपके माध्यम से आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आपको कोई दिक्कत हो तो लिखकर दे दीजिये अगर हम जरूरी समझेंगे तो इस पर विस्तार से चर्चा भी कराने पर विचार करेंगे।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, 6 जुलाई को कापी जांचने वाले व्यक्ति रजनीकान्त उपाध्याय ने यह कहा कि इतनी कापियां जांच दे रहे हैं 11.25 लाख अग्रिम दिला दिया जाये, 7 जुलाई को विभाग ने नोटिंग की कि 8.25 लाख का भुगतान कर दिया जाये। 26 जुलाई को रजिस्ट्रार ने रजनी कान्त उपाध्याय कोआर्डिनेटर नियुक्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उसी दिन कुलपति जी ने स्वीकृति दी।

कुंवर भारतेन्द्र सिंह--

मान्यवर, सत्य प्रकाश अग्रवाल जी मेरठ के स्थानीय विधायक हैं, वह कुछ कहना चाहते हैं, उनको सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष--

मुख्यमंत्री जी ने सब कह दिया, जांच हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है। अब क्या कहियेगा ? अब केवल इतना ही है कि अखबार में नाम छप जायेगा। आपका नोटिस में नाम भी नहीं है। अगर इतने जागरुक हैं तो क्यों नहीं नोटिस दिया ? अब मुख्यमंत्री जी ने जवाब भी दे दिया कि जांच हो रही है।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल--

अगर स्थानीय विधायक को भी नहीं सुनेंगे तो बेकार है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष--

विधायक के बोलने का एक तरीका होता है।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल--

आपने टिप्पणी कर दी कि अखबार में छापने के लिये बोलना चाह रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, 1 लाख 78 हजार छात्रों के जीवन का प्रश्न है, उनके भविष्य का क्या होगा ? सरकार इसके प्रति चिन्तित नहीं है। सरकार के इस रवैये के खिलाफ हम सदन का त्याग करते हैं।

(श्री हुकुम सिंह भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया।)

(श्री ददू प्रसाद के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आपका ददुआ का मामला था उसने 2 आदमी मार दिये, आँख निकाल लिया। यह नोटिस कानून व्यवस्था से सम्बन्धित थी, यह उसी में जोड़ दिया है।

श्री ददू प्रसाद--

मेरे जीवन को खतरा है। मेरी स्पेसिफिक सूचना है।

(शोर)

*श्री जगदम्बिका पाल--

अध्यक्ष जी, एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर मैं आपके माध्यम से संपूर्ण सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं आज समाचार पत्रों से मालूम हुआ है कि पूरे उत्तर प्रदेश में सामान्य वर्षा के सापेक्ष 15 प्रतिशत भी वर्षा नहीं हुयी है जिसके कारण पूरे प्रदेश में अवर्षण की स्थिति पैदा हो गयी है।

(सदस्यों के आपस में बात करने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय रिजवी साहब आप अपनी सीट पर बैठ जायं। बात करनी हो तो लाबी में जाकर बात करिये।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, पूरे प्रदेश में लगभग 60 लाख हेक्टेयर भूमि पर धान की रोपाई हुयी है। मैं समझता हूं कि आज पूरे प्रदेश के किसानों के समक्ष और पूरे प्रदेश की जनता के समक्ष जो सूखे की स्थिति उत्पन्न हुयी है उसके बारे में कोई उपाय नहीं किये गये हैं। यह अत्यन्त लोकमहत्व का विषय है, अविलम्बनीय है और तात्कालिक है। मान्यवर, एक तरफ तो अवर्षण की स्थिति है और दूसरी तरफ विद्युत की अघोषित कटौती के कारण नहरों में टेल/ (इंड) तक पानी न पहुंचने के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कारण, नहरें न चलने के कारण, नहरों में पानी न आने के कारण किसान आज अपने धान की सिंचाई का इंतजाम नहीं कर पा रहा है। जून में 60 लाख हेक्टेयर पर धान की फसल की रोपाई हुयी है। जून में 99 मि0 मी0 सामान्य वर्षा होनी चाहिये उसके सापेक्ष 92.9 मि0मी0 वर्षा हुई है जो लगभग 97.8 प्रतिशत होती है। इसी के नाते किसान ने धान की रोपाई बड़े उत्साह से किया। जुलाई में 280 .9 मि0 मी0 वर्षा होनी चाहिये जिसके सापेक्ष 245.3 मि0 मी0 वर्षा हुई है जो 87.3 प्रतिशत होती है। जून और जुलाई में सामान्य वर्षा होने के कारण पूरे प्रदेश में धान की रोपाई अधिकतम हुयी है और 60 लाख हेक्टेयर में हुयी। अगस्त में सामान्य वर्षा 275.6 मि0 मी0 होनी चाहिये थी लेकिन आज 22 अगस्त हो गया है और 22.5 मि0 मी0 वर्षा हुयी है जो केवल 14.9 प्रतिशत होती है। एक तरफ तो इतनी कम वर्षा हुई है लेकिन दूसरी तरफ जिलों को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया है। 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने पर सूखाग्रस्त घोषित किया जाता है। छात्रों की फीस माफ की जाती है, वसूलियों को रोका जाता है और खाद्यान्न योजनायें चलाई जाती है और युद्ध स्तर पर तमाम राहत कार्य चलाये जाते हैं। लेकिन अभी तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है।

अगस्त माह में सामान्य से कम वर्षा होने के कारण किसानों के खेतों में लगा हुआ धान पीला पड़ रहा है। महिलायें परम्परागत तरीके से हल चला रही हैं, मेघ देवता को प्रसन्न करने के लिये आज गांवों में बच्चे कीचड़ में काच कचोटी खेल रहे हैं पानी डाल करके कि किसी तरह से उस काच कचौटी से मेघ देवता प्रसन्न हो जायं और बारिश हो। आज किसान जो मानसून और प्रकृति पर निर्भर करता था, मानसून के न आने आज पूरे उत्तर प्रदेश में किसान निराश हो चुका है। प्रदेश के किसानों की फसल को बचाने के लिये सरकार द्वारा अगर समय रहते कोई कार्य योजना नहीं बनेगी, कोई उपाय नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनो आप अपने क्षेत्र गये थे आपको भी जानकारी होगी कि किस तरह से पूरे प्रदेश में सूखे की स्थिति है। कृषि निदेशक का बयान आया है कि प्रदेश में स्थिति बहुत खराब हो गयी है। मौसम विभाग के निदेशक श्री आर0 के0 वर्मा का बयान है कि मानसून बंगाल की खाड़ी से उड़ीसा, महाराष्ट्र की ओर जा रहा है यू0 पी0, बिहार में नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष--

आप ग्राहयता पर बोले।

श्री जगदम्बिका पाल--

मैं विषय वस्तु को ही रख रहा हूँ और इस पर चर्चा की मांग करूंगा। आप कृपा पूर्वक इसे स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष--

पहले से जान लिया कि स्वीकार करेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल--

मैं निवेदन कर रहा हूं कि यह लोक महत्व का विषय है। आज प्रदेश का 60 प्रतिशत किसान केवल मानसून की बारिस पर निर्भर रहता है दूसरी तरफ जिस तरह से बिजली की कटौती हो रही है

उससे प्रदेश के किसानों के समक्ष सिंचाई का संकट पैदा हो गया है अभी तक प्रदेश सरकार द्वारा कोई कार्य योजना नहीं बनाई गई है कि प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करें। पूर्वांचल में स्थिति अत्यन्त भयावह है बस्ती, सिद्धार्थनगर में खेतों में दरारें पड़ गई हैं मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा लोक महत्व का विषय और नहीं हो सकता है। मैं चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाय।

श्री प्रमोद कुमार--

माननीय अध्यक्ष महोदय, पाल साहब ने विस्तृत रूप से आंकड़े प्रस्तुत कर दिये हैं इस सच्चाई से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि वर्षा का औसत जो होना चाहिये उतनी वर्षा नहीं हुई केवल 15 प्रतिशत वर्षा 22 अगस्त तक हो पायी है। फसल अगर जिन्दा भी रह जायेगी तो भी उत्पादन में कमी आयेगी। इस समय फसलों को बचाने के लिये तीन काम करने पड़ेंगे एक तो विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करनी पड़ेगी ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी कीमत पर विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित की जाय जिससे फसलों को बचाया जा सके जो ट्रान्सफार्मर खराब हैं उन्हें ठीक कराया जाय जो राजकीय नलकूप बिगड़े पड़े हैं उन्हें चलाया जाय सिंचाई क्षमता के लिये नहरों में भरपूर पानी छोड़ा जाय और टेल तक पानी पहुंचाया जाय। जहां पर बेहन नहीं लगी है वहां पर कम समय में पैदा होने वाली फसल लगवाने की व्यवस्था की जाय। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है अगर कृषि में तबाही होगी तो प्रदेश की तबाही होगी। इसके साथ ही साथ छात्रों की फीस माफी की जाय लगान की वसूली बन्द की जाय। सारे अनुदानों की वसूली पर रोक लगाई जाय। मैं इस पर चर्चा करने के लिये बल देता हूं।

*श्री लाल जी वर्मा--

अध्यक्ष महोदय सूखे के कारण भयावह स्थिति हो गयी है इसके साथ ही साथ प्रदेश में सरकार द्वारा कोई राहत कार्य नहीं हो रहा है। विद्युत की कटौती हो रही है जिसके कारण ट्यूबवेल नहीं चल पा रहे हैं। दूसरी तरफ लिफ्ट कैनाल है जैसे हमारे यहां जनपद अम्बेडकर नगर में मेरे क्षेत्र में महरीपुर लिफ्ट कैनाल है वह इसलिये नहीं चल रही है क्योंकि लिफ्ट कैनाल को बिजली आपूर्ति होनी चाहिये वह नहीं हो पा रही है जिस कारण किसान परेशान है। इसी के साथ जहांगीरगंज रजवहा, शारदा सहायक कैनाल है तो इसका पानी हमारे यहां के एक मंत्री जबरदस्ती अपने क्षेत्र में ले जा रहे हैं और पूरे टाण्डा क्षेत्र की नहरें सूखी है उसमें पानी नहीं दे रहे हैं। हमने अधीक्षण अभियन्ता से बात की तो उन्होंने बताया कि हमें मंत्री जी ने निर्देश दिये हैं कि सारा पानी हमारे जिले में जाना चाहिये एक भी जगह पानी की कमी होगी तो आपके खिलाफ कार्यवाही करेंगे सूखे की स्थिति पूरे प्रदेश में चल रही है मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राहत के कार्य होने चाहिये, बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाय। नहरों को पूरी क्षमता के साथ पानी छोड़ने का काम किया जाय। यह स्थिति नहीं आती निश्चित रूप से जैसा कि पाल साहब ने कहा कि किसानों ने रोपाई का कार्य कर लिया । रोपाई का कार्य करने के बाद सूखा पड़ गया। आज सूखा पड़ गया है किसान ने अपनी सारी पूंजी लगा दी लेकिन आज स्थिति यह है कि जितनी उसकी लागत है वह भी उसको नहीं मिल पा रही है और वह भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। आज वह सूखे की चपेट में पूरी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तरह से आ गया है। मैं आपके माध्यम से इस पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं ताकि हम इस पर विस्तार से अपनी बात रख सकें और साथ ही साथ सरकार जो भी राहत का काम किसानों के लिये करना चाहती है उसको तत्काल चलाया जाय।

श्री सुखेदव राजभर--

मान्यवर, आज सूखे की मार से किसान किस तरह से प्रभावित हो रहा है, इस सम्बन्ध में जो विचार पाल साहब, तिवारी जी और वर्मा जी ने रखे हैं, उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, यह सत्य है कि आज किसान किस तरह से सूखे से प्रभावित होकर भुखमरी के कगार पर खड़ा है। इस बरसात के मौसम में जो सब्जियां होती थी वो आज नहीं हुई हैं। कहीं पर यदि कुछ हुई भी हैं तो आज उसके दाम 10 से 25 रुपये किलो छोटे मार्किट मे बिक रही है। इतना ही नहीं पशुओं के लिये जो चारा पहले उत्पन्न होता था वह भी इस बार नहीं हो पाया । इंसान तो इंसान पशुओं के लिये समस्या पैदा हो गयी है। आज जानवरों को खाने के लिये चारा नहीं मिल पा रहा है। जिस हिसाब से बरसात होनी चाहिये थी नहीं हुई थी और स्थिति यह हो गयी है आप देखिये लखनऊ में ही भयंकर गर्मी से संक्रामक रोग भी उत्पन्न हो गये हैं। सरकार की तरफ से इसको रोकने के लिये भी कोई कारगर कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। हमारे राजस्व मंत्री जी बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि वे कोई लीपापोती न करें।

श्री अध्यक्ष--

अभी वो कहां बोल रहे हैं ?

श्री सुखदेव राजभर--

मान्यवर, बलिया में लोग नंगे नहा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

क्या आप गये थे देखने जब वे नंगे नहा रहे थे ?

श्री सुखदेव राजभर--

अखबार में ही पढ़ा है। जिस तरह से सूखे की बात पढ़ रहे हैं उसी तरह से इसको भी समाचार पत्र में पढ़ा है। मान्यवर, यह गम्भीर प्रश्न है। मैं चाहता हूं कि इस पर विस्तार से चर्चा हो जाय और एक अच्छा निर्णय किसानों के हित में हो जाय जिससे किसानों को राहत मिल सके।

*श्री उदयभान करवरिया--

मान्यवर, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में सूखे की स्थिति पैदा हो गई है। बरसात के कम होने से नहरों में पानी भी नहीं पहुंच पाया है। विद्युत आपूर्ति न होने से भी नहरों में पानी नहीं पहुंच सका है और नहरों में पानी न होने के कारण भी सूखे की स्थिति पैदा हो गई है। पिछली बार भी किसानों की खेती ठीक से नहीं हुई थी। इतनी उपज नहीं हुई जितनी कि होनी चाहिये थी। उस बार भी सरकार देर से चेती थी जिस कारण किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गये थे। इस बार भी सरकार सूखे से पीड़ित किसानों के राहत के लिये कुछ प्रयास नहीं कर रही है। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो नहरें हैं उनमें पानी टेल तक नहीं पहुँचा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र से नहरें निकलकर जमुनापार इलाहाबाद जाती हैं। मैंने अधिशासी अभियन्ता से बात की तो उन्होंने बताया कि विद्युत आपूर्ति न होने के कारण नहरें नहीं चल पा रही है। देखने को तो बड़ी-बड़ी नहरें हैं लेकिन उनमें पानी न होने के कारण किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। आज स्थिति यह है कि पूरे प्रदेश में ईश्वर को प्रसन्न करने के लिये नाना प्रकार के धार्मिक कृत्य किये जा रहे हैं । अभी एक अखबार में निकला था कि एक छोटी बालिका द्वारा भूख हड़ताल की गई थी और सातवें दिन वहां के अधिकारियों ने उसको हटाया। सूखे से प्रभावित किसानों के लिये कोई कार्य योजना सरकार ने अभी तक नहीं बनाई है। अब एक माह बीत जाने के बाद यदि कोई कार्य योजना प्रारम्भ की जाती है तो उससे किसानों को कोई लाभ होने वाला नहीं है। किसान जो अपनी खेती की उपज से उस गर्मी में अपने लड़की लड़कों की शादी करता आज उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। आज किसान की हालत कितनी खराब हो रही है जब तक आप इसकी कल्पना नहीं करेंगे उसके लिये कोई राहत नहीं दे पायेंगे।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि इस विषय पर कम से कम दो घंटे की चर्चा रखी जाय। उस चर्चा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहें ताकि तत्काल कोई कार्य योजना और निर्णय हो जिससे किसानों को कुछ राहत मिल सके। कम से कम जो किसान है। जो गरीब आदमी है वह किसान खेती कर सके, उपज लग सके, मंहगाई पर तभी रोक लगेगी जब खेती ठीक होगी।

श्री अध्यक्ष--

आपकी बात आ गयी है ग्राह्यता पर बोल रहे हैं। बाकी जब चर्चा हो तब बोलें । सरकार का उत्तर आने दीजिये।

श्री उदयभान करवरिया--

चौधरी साहब ने इशारा किया है थोड़ा सा और बोल लें।

श्री अध्यक्ष--

जब चर्चा होगी तब कहें।

श्री उदयभान करवरिया--

यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

आप चर्चा में भाग नहीं लेना चाहते हैं ?

श्री उदयभान करवरिया--

प्रदेश में सूखे की स्थिति है। किसानों की भुखमरी की आशंका है। किसानों के आत्मदाह करने की आशंका है इसमें हम चाहेंगे कि सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाए।

श्री अध्यक्ष--

जमीन कब्जे की बात नोटिस में है।

*राजस्व मंत्री (अम्बिका चौधरी)--

प्रदेश में सूखे की गम्भीर स्थिति के बारे में जो सूचना माननीय जगदम्बिका पाल जी और प्रमोद तिवारी जी ने, मा0 लालजी वर्मा जी ने, मा0 करवरिया जी ने, मा0 सुखदेव राजभर जी ने एवं अन्य माननीय सदस्यों ने दी है और जो इस गम्भीर प्रश्न पर चिन्ता व्यक्त की है इसमें दो बातें सदन के सामने रखना चाहता हूं। यह सही है कि सूखे की इतनी गम्भीर स्थिति नहीं है लेकिन बारिश न होने के कारण पूरे प्रदेश पर प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रदेश में स्थानीय तौर पर छोटे-बड़े हिस्से ऐसे हैं जहां खरीफ की फसल बारिश न होने के कारण प्रभावित हुई है। लेकिन जिस तरह से इसको रखा है मैं सदन में इस बात को कहना चाहता हूं सम्मानित सदस्यों ने जो चलताऊ ढंग से, जो बातें असमान्य ढंग से कही जाती हैं इसको इस ढंग से रखने की आवश्यकता नहीं है। पाल साहब ने बहुत आंकड़े रखे मैं उसमें जाना नहीं चाहता । मानसून अपने प्रथम चरण में आया तो पूरे प्रदेश में पानी की कमी नहीं थी औसत जितनी बारिश है वह प्रदेश में हुई । प्रदेश में प्रथम चरण में औसत बारिश हुई । जिस टाइम बारिश की जरूरत थी उस टाइम बारिश नहीं हुई तो यह नेचर है इसमें हम और आप नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। पानी कितने अंतराल में बरसेगा इस पर किसी सरकार का नियंत्रण नहीं हो सकता है। आमतौर पर कई माननीय सदस्यों ने कहा बारिश नहीं हुई फसल बोई नहीं गई । एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा नाम नहीं लेना चाहता हूं कहा, कि बेहन नहीं लगाई क्या बेहन लगाने के समय प्रदेश में पानी की कमी थी ? किस हिस्से में पानी नहीं था बेहन के समय, रोपाई के समय। शुरुवात में पानी भरपूर था उसके बाद पानी नहीं बरसा। दूसरा भू वैज्ञानिकों ने कहा कि मानसून कमजोर पड़ सकता है इससे खरीफ के उत्पादन पर फर्क पड़ सकता है। आगे मानसून कमजोर पड़ेगा तो क्या करेंगे इसके अलावा बाकी मा0 सदस्यों ने बात रखी है कि अघोषित विद्युत की कटौती होती है। बिजली नहीं मिल रही है टेल पर पानी नहीं पहुंच रहा है। लालजी वर्मा ने कहा पानी नदी में है मंत्री जी के क्षेत्र में जाता है। श्रीमन्, अब उस चश्में को बदलना पड़ेगा। अगस्त, 2003 के पहले यह बीमारी थी कि अमुक क्षेत्र में पानी जायेगा और अमुक क्षेत्र में नहीं जायेगा। सड़क अमुक क्षेत्र में बनेगी, अमुक क्षेत्र में नहीं बनेगी।

(बसपा के कुछ सदस्यों के बोलने पर)

श्री अम्बिका चौधरी--

अब अगर सुनने में इतनी कठिनाई है तो यह साबित करता है कि आपका विश्वास लोकतंत्र में कितना है , वह जमाना चला गया।

(कुछ सदस्यों के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष--

आपस में वार्तालाप न करें। माननीय सदस्य उत्तर तो सुन लें। जब आप बोल रहे थे तो राजस्व मंत्री जी सुन रहे थे।

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, लोक निर्माण मंत्री जी बैठे हैं, 5 कि0मी0 सड़क सभी सदस्यों के यहां, 10 अम्बेडकर गांव सभी सदस्यों के यहां....

(कई सदस्यों के बोलने पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्बिका चौधरी--

आपको सुनना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग मंत्री जी की बात को सुनिए। माननीय ओम प्रकाश जी, राजस्व मंत्री जी की बात तो सुनिये। आपके जब नेता लोग बोल रहे थे, तब वह सुन रहे थे, उनकी बात भी सुनिये, ओम प्रकाश जी बैठिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

अध्यक्ष जी, मैं मा0 राजस्व मंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि सूखा जैसे गम्भीर विषय पर गम्भीर बातें रखें। जिस प्रकार से बात का बतंगड़ बनाकर इस गम्भीर विषय से लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं, वह उचित नहीं है। मैं अपेक्षा करूंगा कि आप भी किसान के बेटे हैं, आप भी खेत-खलिहान से आये हैं, यह किसान की एक प्रदेशव्यापी समस्या है इसलिये कोई रास्ता निकालने का काम करें।

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, जब कोई आदमी सोते-सोते अचानक जाग जाता है तो वह उसी सपने में जीने लगता है। वह पुराना सपना तो टूट गया, जब प्रदेश में विकास का कार्य भी निश्चित क्षेत्र में हो और राहत का कार्य भी निश्चित क्षेत्र में हो।

स्वामी प्रसाद मौर्य--

यह लोक निर्माण मंत्री का गुणगान कर रहे हैं जिससे और सड़क दे दें।

श्री अध्यक्ष--

वर्मा जी की शिकायत है कि एक मंत्री ने आदेश दे दिया है कि पानी कहीं न रुके, मेरे क्षेत्र में जाएं, इसलिये राजस्व मंत्री जी यह बात कह रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा--

मान्यवर, आप इसकी जांच करा लें।

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, यह किसी मंत्री या विधायक का प्रश्न नहीं है, उत्तर प्रदेश के किसानों का प्रश्न है, यह अवर्षण के कारण, सूखे के कारण उसकी फसलों के नुकसान होने का मामला है। इसमें आपको जो सूचना है, जितनी गम्भीर है उतनी गंभीरता से बात भी उस पर होनी चाहिये, यदि बिजली नहीं है, नहरों में पानी नहीं है। लेकिन आप इसे राजनीतिक रंग देना चाहते हैं इसलिये मेरी मजबूरी थी कि आपको याद दिलाऊं, मेरी बाध्यता थी कि मैं आपको आईना दिखाऊँ कि जो आपने किया वह इस राज्य में नहीं हो सकता है। दूसरी जो बात है, मैं स्वीकार करता हूं कि बिजली की कमी इस प्रदेश में है। हम इसको छिपाते नहीं हैं। अगर बिजली की कमी रहेगी तो नहरों को चलाने के लिये पम्पों और ट्यूबेल के पम्पों को बिजली कैसे मिलेगी। यह सही है । मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने इतना प्रयत्न करके चाहे 6 रुपये 80 पैसे प्रति

यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदनी पड़ी हो, उन्होंने बिजली खरीदकर प्रदेश में बिजली देने का प्रयास किया। मान्यवर, लेकिन अगर हम थोड़ा ज्यादा बिजली ले लेते हैं तो हम पर दण्ड लगाया जाता है। जब हम ग्रिड से बिजली लेकर किसान के खेत को सिंचाई के लिये देना चाहते हैं तो केन्द्र सरकार हम पर दण्ड लगाने का काम करती है कि आपने इतनी बिजली क्यों ले ली। आज की तारीख में हमारे जितने भी पावर हाउस हैं एक भी यूनिट हमारी बन्द नहीं है। एन0 टी0 पी0 सी0 की यूनिट से हम अनुरोध कर रहे हैं कि वह उसे जल्द से जल्द मरम्मत करके चलाने का काम करें।

मान्यवर, 2000 मेगावाट बिजली की कमी से प्रदेश में सिंचाई के लिये कठिनाई है। इसके लिये हम कार्ययोजना भी तैयार कर रहे हैं। कल ही ए0 पी0 सी0 महोदय ने सभी सम्बन्धित विभागों को बुलाकर इसकी गहन समीक्षा करके एक कार्य योजना पर विचार कर रहे हैं ताकि सम्भावित सूखे की स्थिति से निपटा जा सके। मान्यवर, आज 22 अगस्त, 2006 तक उत्तर प्रदेश में एक भी तहसील ऐसी नहीं है जहाँ पर 50 प्रतिशत से अधिक फसलों को नुकसान होने की शिकायत आयी हो । मान्यवर, हम कार्ययोजना बना रहे हैं। मान्यवर, यह नियम 56 में नहीं आती है। अत: आपसे अनुरोध है कि इसको अग्राह्य करने का कष्ट करें।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय ग्रिड से उसके हिस्से से ज्यादा बिजली दी गयी है। सवाल सूखे का है। हर विषय पर राजस्व मंत्री जी केवल केन्द्र सरकार पर आरोप लगाकर उत्तर प्रदेश के किसानों के समक्ष जो सूखे की स्थिति उत्पन्न हुयी है उस पर अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकते।

श्री अध्यक्ष--

पाल साहब, जब चर्चा हो तब आप पूरी बात कहियेगा।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, अगर आज यह पूरे प्रदेश को सूखे की स्थिति में नहीं मानेंगे तो कब मानेंगे ? हम अगस्त की बात कह रहे हैं कि पौने 300 मिली0 बारिश होनी चाहिये थी लेकिन नहीं हुयी।

श्री अध्यक्ष--

आपकी बात आ गयी।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, यह सरकार किसान विरोधी है। इसलिये इस पर मैं और हमारा दल सदन का बहिर्गमन करता है।

(श्री जगदम्बिका पाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया।)

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश को पैकेज दिया है और राजनीतिक कारणों से केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश की दुश्मन है। श्रीमन् हम यह कहना चाहते हैं कि अगर उसकी कोई रंजिश माननीय मुलायम सिंह यादव या हमसे है तो हम लोगों से दुश्मनी करें। वह क्यों उत्तर

प्रदेश के किसानों से दुश्मनी करने का काम कर रही है ? इस सवाल पर केन्द्र सरकार जो भेदभाव कर रही है और किसानों के विपरीत आचरण कर रही है उस पर पाल साहब का मैं सहयोग मांग रहा था, लेकिन वह सदन से चले जा रहे हैं, इस बात को सुनना नहीं चाहते हैं। हमने सूखे के बारे में आदेश नहीं दिया है। केवल ए0 पी0 सी0 की अध्यक्षता में सम्बन्धित विभागों की बैठक बुलाकर यह विचार-विमर्श करने का काम किया कि क्या कार्य योजना लागू की जाय। यह सूचना दी है । यह कार्य स्थगन का आधार नहीं बनता है इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि इसे अग्राह्य किया जाय।

स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, कांग्रेस इनका समर्थन कर रही है तो यह इनके घर का मामला है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायें मुझे निर्णय दे देने दें।

श्री मुंशी लाल गौतम--

मान्यवर, यह तीनों, कांग्रेस, सपा और बसपा किसानों को बेवकूफ बना रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायें। जो दूसरी सूचना श्री दद्दू प्रसाद जी की है, मैंने उसको पहले वाली सूचना में जोड़ दिया है। कल कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक होगी उसमें परसों के लिये चर्चा में स्वीकार कर लेंगे। उस समय आप अपनी बात कह दीजियेगा।

स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, इनको जान से मारने की धमकी दी गयी है।

श्री अध्यक्ष--

इनको अगर जान से मारने की धमकी दी है तो उस पर यह बोल लें। लेकिन जो घटना हुई है उस पर यह उसी दिन बोलें।

(श्री घूराराम के खड़े होकर बोलने पर)

माननीय नेता बसपा यह परम्परा रही है कि कार्य-स्थगन पर दो बार कोई नहीं बोल सकता । लेकिन घूराराम जी कुछ भी होता है उस पर दस्तखत कर देते हैं। अपने पर भी किया है, कानून व्यवस्था पर भी किया है, तो यह उचित नहीं है। दद्दू प्रसाद जी, आप अपनी बात कहें। पहले में नियम 56 के बारे में निर्णय दे दूँ। इसमें पहली और दूसरी सूचना पर चर्चा लगी हुई है। तीसरी सूचना, जो कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ की है, इसे मैं अग्राह्य करता हूं। इसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि जांच करा रहे हैं। चौथी सूचना, जो कि सूखे पर है, उसमें एक घंटे की चर्चा स्वीकार कर ली है जिससे सम्पूर्ण तथ्य सामने आ जायेंगे। शेष सूचनायें अस्वीकार करता हूं श्री दद्दू प्रसाद जी केवल अपना व्यक्तिगत बोलें।

(इस समय 2 बजकर 1 मिनट पर अधिष्ठता श्री जगदीश नारायण राय पीठासीन हुये।)

श्री दद्दू प्रसाद--

मान्यवर, दिनांक 8 अगस्त, 2006 को ग्राम गरचबा, मानिकपुर में....

कुंवर भारतेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मेरी भी नियम 56 में सूचना थी इसे अग्राह्य करने का क्या कारण था ?

श्री अधिष्ठाता--

इसमें मा0 अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दे दी है अब बोलने का इसमें कोई औचित्य नहीं है। अगले दिन दे दीजियेगा। अब इसमें प्रश्न उठाना उचित नहीं है।

माननीय दद्दू प्रसाद जी, जब माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि कानून व्यवस्था के साथ आप इस पर बोलियेगा तो इसको आप पीछे रखिये।

श्री लाल जी वर्मा--

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी ने दद्दू प्रसाद को अपनी जान के खतरा के सम्बन्ध में बोलने की अनुमति दी है।

श्री दद्दू प्रसाद--

मान्यवर, मुझे जान का खतरा है, इसलिए माननीय अध्यक्ष जी ने मुझे बोलने की अनुमति दी है। मान्यवर, गढ़चपा गाँव में थाना मानिकपुर, जिला चित्रकूट में 08 अगस्त को हमारे बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी व क्षेत्र पंचायत सदस्य, श्री शम्भू राम व श्री राम स्वयं को दस्यु ददुआ गिरोह ने 30-35 साथियों के साथ जाकर बांसों से मार-मार कर के पसार दिया। आठ जगह से हड्डियां तोड़ दिया, गुर्दा, किडनी खराब कर दिया, उसकी पीठ की चमड़ी निकाल दिया, खाल उधेड़ दिया है और 08 अगस्त को ही ग्राम कोटाकदला के पूर्व प्रधान श्री जिमींदार को मार-मार कर पसार दिया और उसकी पीठ की चमड़ी छील दिया है, दोनों आँखें फोड़ दिया, उसकी आँखें निकालने का काम किया है और 11 अगस्त को मऊ गुरदरी गांव, थाना मानिकपुर के श्री मुन्नी लाल मिश्रा और श्री हरीश चन्द्र मिश्रा जी को उन्होंने गोली मार कर के जिन्दा जलाने का काम किया। इसी प्रकरण को मैंने 18 अगस्त को जिला कचहरी कर्वी में उठाने का काम किया, 20 हजार लोगों ने धरना दिया और मैंने विभिन्न माध्यमों पर माननीय राज्यपाल महोदय से, माननीय मुख्य मंत्री महोदय से इस प्रकरण में न्याय दिलाने के लिए अनुरोध किया। इससे कुपित होकर के दस्यु ददुआ गिरोह ने मुझे जान से मारने की धमकी दिया है। मुझे जान का खतरा है और इसलिए भी कि सरकार की तरफ से दस्यु ददुआ को खुला संरक्षण दे दिया गया है। पी0ए0सी0 जिन गांवों में लगी हुई थी, 20 गाँवों में पी0ए0सी0 लगी हुई थी, उन सभी गांवों से पी0ए0सी0 हटा ली गयी है, तीन महीने से और पूरा कोहराम मचाने की खुली छूट दे दी गयी है, तो इसलिए मुझे चूँकि मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा के द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए संविधान के द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए विभिन्न मंचों पर मैं जनता के हित के लिए जनता को न्याय दिलाने के लिए, जनता को सुरक्षा दिलाने के लिए मैं मांग करता हूँ , तो इसलिए मान्यवर, इससे कुपित होकर उसने मुझे जान से मारने की धमकी दिया है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि मेरी सुरक्षा का व्यापक प्रबन्ध किया जाय। मान्यवर, समीक्षा करा ली जाय, एल0आई0यू0 की रिपोर्ट मंगा ली जाय, इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि मेरी सुरक्षा के ऊपर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ मेरे क्षेत्र की जनता की सुरक्षा के लिए जिन गांवों में पी0ए0सी0 पहले से लगी हुई थी वह गांव रानीपुर, गिदुत्थ, चमरहुंवा, सकरहुंवा, ऊँचाडीह, कोटाकदला और हरिजनपुर, सुखरामपुर, हरदीदाढ़ी, शंखापुर और मान्यवर गदचपा, हनुवा, मारकुण्डी, छीटूपुर आदि इन गांवों में पी0ए0सी0 पहले से लगी हुई थी, परन्तु तीन महीने पहले से वहां के पुलिस अधीक्षक को हटा दिया गया तथा पी0ए0सी0 हटा ली गयी।

श्री अधिष्ठाता--

कृपया संक्षेप में कहें।

श्री ददद् प्रसाद--

मान्यवर, संक्षेप में ही कह रहा हूँ, मान्यवर, सब जगह से पी0ए0सी हटा करके उसको स्वछन्दता से घूमने का, जनता को परेशान करने का मौका दे दिया गया है, इसलिए मान्यवर, जनता को बड़ा-भारी खतरा है, दो लोगों की हत्या कर दी गयी है अभी और अनेकों हत्यायें करने का वह दावा कर रहा है और मुझे स्वयं जान का खतरा है। मेरी सुरक्षा के लिए, मेरे क्षेत्र की जनता की सुरक्षा के लिए सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें।

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)--

श्रीमन्, इस सदन में जब हम लोग विपक्ष में बैठते थे तो मुझे याद है कि कुँवर रेवती रमण सिंह जी ने एक बार इन्हीं ददुआ के खिलाफ बात उठाई थी क्योंकि उनके भाई इनके खिलाफ लड़े थे और कुँवर रेवती रमण सिंह जी इस सदन के सदस्य थे और कहा था कि मेरी जान को खतरा है तो शायद आप ही समर्थन कर रहे थे इधर बैठ कर, मैंने वह भी सीन देखा था और आज आप अपने प्राण के खतरे की बात कर रहे हैं मैं इसको मजाक में नहीं कह रहा हूँ, न इस पर कोई कटाक्ष कर रहा हूँ, लेकिन इस बात पर पिछली बार चर्चा भी हुई थी कि राजनीति में अपराधीकरण की रोक होनी चाहिए, इस पर चिन्ता व्यक्त करनी चाहिए और सबसे ज्यादा अगर डकैतों का सफाया किसी सरकार में हुआ है तो हमारी सरकार में हुआ। पूरे भिण्ड से लेकर इटावा तक के पूरे बीहड़ में जितने भी डकैतों का सफाया हुआ और एक नहीं किया एक तरफ से, जितने अपराधियों का एन्काउण्टर इस सरकार ने किया शायद किसी सरकार ने नहीं किया। ये सरकार अपराधियों के खिलाफ है। पिछली बार जब चर्चा हुई थी तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हम किसी एक अपराधी को टिकट नहीं देंगे, यह भी कह देते इधर से खड़े होकर। हम तो कहते हैं कि इस पर सामूहिक चर्चा हो जाय कि अपराधियों को कोई भी दल टिकट न दे। शायद यह समस्या पैदा न हो। हम लोग इसके पक्षधर हैं। जैसा कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने भी यहां खड़े होकर कहा था। मान्यवर, आज अपराधी पैसा देकर टिकट पा जाय और फिर बैठ जायें सदनों में आकर तो यह फिर चिन्ता का विषय हो जायेगा। वैसे सरकार ने इसे गम्भीरतापूर्वक लिया है। मा0 सदस्य को हम विश्वास दिलाते हैं कि हम पूछ लेते हैं वहां के अधिकारियों से, सीधे पूछ लेंगे कि कहीं कोई सुरक्षा में कमी है, कहीं कोई खतरा है, तो उस पर विचार कर लेंगे। हमारी सरकार में किसी सदस्य को अपनी बात कहने में खतरा पैदा हो, यह नहीं होगा। आवाज इसलिए रोकी जाय कि अपराधियों का बोलबाला है यह नहीं हो सकता।

श्री अधिष्ठाता--

मा0 सदस्य की सुरक्षा की बात है आप विशेष ध्यान दें।

श्री राजेश कुमार--

मान्यवर, हमारे यहां लखीमपुर खीरी में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत काम चल रहा है उसमें पैसा हड़पा जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता--

वह आपकी सूचना आज अध्यक्ष महोदय ने अग्राह्य कर दी है। आप कल दे दीजिएगा।

श्री राजेश कुमार--

[x x x]

श्री अधिष्ठाता--

कुछ नहीं लिखा जायेगा। आप बैठ जायें।

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में खेती की पैदावार को आधुनिकतम तकनीक से बढ़ाने हेतु कारगर एवं नई प्रोत्साहन नीतियां अपनाई जाय तथा कृषकों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्रदान कराया जाय।" के सम्बन्ध में डा0 अजय कुमार द्वारा दिनांक 22 नवम्बर, 2005 को प्रस्तुत किये गए संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन।"

श्री अधिष्ठाता--

मद संख्या 21 पर जो डा0 अजय कुमार के संकल्प पर चर्चा निर्धारित है उसमें उनका अनुरोध प्राप्त हुआ है कि वे आज इस चर्चा के समय सदन में उपस्थित नहीं रहेंगे। इसलिए यह जो इनका संकल्प है उस पर चर्चा स्थगित की जाती है।

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में नौजवान शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने हेतु ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जाय।" के सम्बन्ध में श्री कौशल किशोर द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा।

*श्री कौशल किशोर--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूँ--

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में नौजवान शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने हेतु ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जाय।"

मान्यवर, यह जो संकल्प है यह जनहित का है और लोकमहत्व का है क्योंकि आज पूरे प्रदेश के अन्दर शिक्षित बेरोजगारों की एक फौज खड़ी होती जा रही है। आज जो हमारी सरकार है वह इस बात से परिचित है।

नोट:--[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मान्यवर, यह सिर्फ प्रस्तुतीकरण की मद है इस पर कार्यमंत्रणा समिति समय सुनिश्चित करेगी।

श्री अधिष्ठाता--

ठीक है इसको प्रस्तुत हुआ मान लिया गया है।

मद संख्या-22(2) डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल। श्री अग्रवाल नहीं हैं।

"इस सदन का सुविचारित मत है कि वाराणसी में प्रहलाद घाट तिराहे पर जल निगम द्वारा अधिष्ठापित बड़े नलकूप को जनहित में अविलम्ब चालू किया जाये।" के सम्बन्ध में श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा।"

श्री श्याम देव राय चौधरी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूँ।

'इस सदन का सुविचारित मत है कि वाराणसी में प्रहलाद घाट तिराहे पर जल निगम द्वारा 2002 में अधिष्ठापित बड़े नलकूप को जनहित में अविलम्ब चालू किया जाय।'

*राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मान्यवर, इसमें कार्यमंत्रणा समिति में इसका समय तय होगा।

श्री अधिष्ठाता--

चर्चा करना चाहें तो करें। इसमें कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय के निर्धारण की आवश्यकता नहीं है।

श्री लालजी वर्मा--

मान्यवर, अभी दो घन्टे का समय है इसका सदुपयोग हम लोग कर सकते हैं, इस पर चर्चा करने की अनुमति दे दें।

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, अगर आप अनुमति दे दें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में नौजवान शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने हेतु ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जाय।" के सम्बन्ध में श्री कौशल किशोर द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (क्रमागत)

श्री कौशल किशोर--

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में बेरोजगारों की एक बड़ी फौज है और हमारी सरकार भी इस बात को मानती है और इसलिए तमाम नौजवानों को रोजगार और बेरोजगारी भत्ता भी देने की बात कही है और दिया भी है लेकिन जो एक ठेकेदारी प्रथा है वह एक ऐसी प्रथा है जिसकी वजह से तमाम बेरोजगार नौजवानों को जो काम मिलना चाहिए और उनको जो एक सेवा करने का मौका मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है क्योंकि प्रत्येक विभाग में बड़े पैमाने पर ठेकेदारी प्रथा है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तमाम विभाग है जिसमें संविदा पर, ठेके पर लोगों को रखा जाता है। शिक्षा मित्रों को भी ठेके पर संविदा पर ही रखने का काम किया गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो ठेकेदार हैं उनको जो काम दिया जाता है विभाग की तरफ से, उसमें एक-एक ठेकेदार सैकड़ों मजदूरों को, कर्मचारियों को यहाँ तक कि इंजीनियर्स को भी अपने पास रखता है और उनसे काम लेने का काम करता है। इंजीनियर्स, पढ़े लिखे लोग जिनको नौकरी नहीं मिली है उनको कम पैसे में, कम रेट देकर उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें काम पर रखता है और उससे बहुत ज्यादा रुपये कमाता है तथा उनका शोषण करने का काम करता है। अगर इस प्रथा को खत्म कर दिया जाय तो बेरोजगारों का शोषण नहीं होगा। सीधी सी बात है ठेकेदार जिस काम को कराते है वह सरकार का काम है। चूँकि सरकार उस काम को एक व्यक्ति को दे देती है ठेका देकर तो वह ठेकेदार तो अपने हाथ से काम नहीं करता है। मजदूरों को, कर्मचारियों को अपने यहाँ रखकर काम कराने का काम करता है। अगर सीधे सरकार विभाग से काम कराये और ठेकेदारी प्रथा को खत्म कर दे तो बेरोजगार नौजवानों को काम मिलेगा और जो लाभ ठेकेदार ले जाता है मेरी समझ में उससे ज्यादा फायदा बेरोजगार नौजवानों को होगा। जो लोग ठेकेदार के अण्डर में मजदूरी पर काम करके कम पैसा पाते हैं और उस कम पैसे में अपना जीवनयापन करते हैं उनको ज्यादा फायदा होगा और प्रदेश में जो बेरोजगार हैं जो बेरोजगारों की फौज है उसमें भी बड़े पैमाने पर काम मिलेगा। मेरा मतलब इस संकल्प को रखने का यही था। इसलिए मैंने इसको रखा है।

मान्यवर, तमाम विभाग में बड़े पैमाने पर ठेकेदारी प्रथा पर काम करते हुए लोग आपको मिलेंगे मेरी समझ में जितने लोग ठेकेदारी में काम करते हैं ठेकेदार उनका शोषण करने का काम करते हैं और इससे सरकार की भी बदनामी होती है और यह लगता है कि सरकार सबको रोजगार नहीं दे पा रही है। अगर इस प्रथा का खत्म कर दिया जाय और सीधे विभाग में रखकर इनसे काम लेने का काम किया जाय तो मेरी समझ में एक सुदृढ़ व्यवस्था होगी और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और दूसरे जो ठेकेदार लाभ कमाने के चक्कर में काम की गुणवत्ता में फर्क करता है वह कम होगा और विकास का काम भी ठीक तरह से होगा। इसलिए मैंने इस सदन में इस संकल्प को प्रस्तुत कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि इस पर चर्चा हो जाय और इस संकल्प को मंजूर करने का काम किया जाय।

*श्री मुन्शी लाल गौतम--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने माननीय सदस्य श्री कौशल किशोर जी द्वारा रखे गये संकल्प पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, आज बड़े-बड़े कारखानों में जो शिक्षित बेरोजगार नौजवान हैं वह रोजगार के लिए इधर-उधर भागे घूम रहे हैं। जब इधर-उधर घूम रहा है तो ठेकेदारों के माध्यम से उसे सिक्योरिटी गार्ड आदि की नौकरी मिल जाती है। वह जाकर वहाँ अपना आवेदन-पत्र देता है और उसका आवेदन-पत्र लेने के बाद उसको नौकरी के तहत ड्रेस वगैरह दे दी जाती है और 1-2 हजार रुपये रिश्वत ले ली जाती है और उसे अल्पवेतन पर काम पर लगा लिया जाता है। उससे 12 घण्टे काम लिया जाता है और केवल 8 घण्टे का पारिश्रमिक दिया जाता है। जो 4 घण्टे वह एक्स्ट्रा काम करता है, उस चार घण्टे का पैसा ठेकेदार

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के पास चला जाता है, जिन्होंने उसको काम पर लगाया। एक व्यक्ति जो मजदूरी कर रहा है और एक जो बैठा हुआ है, मौज उड़ा रहा है, चाहे वह कहीं चीनी मिल हो, सूत मिल हो, चाहे खुर्जा में पाटरी के धन्धे हों, चाहे नोएडा या गौतम बुद्ध नगर के फैक्ट्री, कारखाने हों, सब जगह ठेकेदारी प्रथा जोरों पर चल रही है। ठेकेदारों के माध्यम से कम पैसे में लोगों को काम पर लगाया जा रहा है और इस पारिश्रमिक से इन बेरोजगारों का केवल पालन पोषण हो पा रहा है बेरोजगार इस कगार पर आ गये हैं कि वह दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। उन्हें 12 घण्टे मेहनत करने के बावजूद मात्र 8 घण्टे का पैसा मिल रहा है और 4 घण्टे एक्स्ट्रा काम करने का पैसा उनको न मिलकर वह ठेकेदार की जेब में जा रहा है, इसलिये ठेकेदारी प्रथा खत्म कराई जाये क्योंकि कहीं न कहीं परोक्ष-अपरोक्ष रूप में सरकार का धन इन कारखानों में लगा हुआ है। चाहे वह जमीन खरीद की कीमत में छूट के रूप में हो, चाहे आयकर में छूट के रूप में हो या मशीनों को खरीदने में टैक्स की छूट मिली हो, बिल्डिंग के निर्माण में व सड़कों, पानी, वाहन आदि में सरकार से मदद मिलती हो चाहे वह केन्द्र सरकार से हो, चाहे प्रदेश सरकार से। यह सब कमाई में से उन गरीब दलित शोषित, पीड़ित, पिछड़े किसान मजदूरों का हिस्सा भी है, जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई से टैक्स के रूप में सरकार को दिया है। उसका लाभ उन्हें भी मिलना चाहिये। लेकिन ठेकेदार इस लाभ के पैसे को खा रहे हैं।

सभी फैक्टरियों और कारखानों में ठेकेदारी प्रथा खत्म करके आरक्षण व्यवस्था लागू कर देनी चाहिये। जिससे शिक्षित बेरोजगार, नौजवान को रोजगार मिल सके। मेहनत करने के बाद कई-कई दिनों तक की गयी मजदूरी को जब वह माँगने जाता है तो ठेकेदार मजदूरी देने के लिये उसको परेशान करता है, जिस कारण कई नौजवानों ने आत्महत्या भी कर ली है, जब उनके परिवारीजन एफ0आई0आर0 कराने जाते हैं तो फैक्ट्री मालिक तो बच जाता है और वह यह कहता है कि ऐसा कोई व्यक्ति हमारे यहाँ काम नहीं कर रहा है जिसका कोई रिकार्ड यहाँ पर नहीं है। इसके बारे में किसी ठेकेदार से मालूम करें और ठेकेदार के यहाँ पर भी इस प्रकार का कोई रिकार्ड इसलिये नहीं होता कि सारी कम्पनी उसकी अपनी है और वह रिकार्ड पहले ही गायब कर देते हैं ताकि उनको क्षतिपूर्ति न देनी पड़े और उसकी मेहनत का जो बचा पैसा है, उसको भी वह हजम कर लेते हैं। इसलिये मैं इस संकल्प के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाय और शिक्षित बेरोजगारों को हर स्थान पर सीधे रोजगार दिलाया जाय, जिससे बेरोजगारी खत्म हो सके। मैं इस संकल्प पर बल देता हूँ।

[समय 2 बजकर 20 मिनट]

श्रीमती कृष्णा पासवान--

मान्यवर, जनपद फतेहपुर में .....

श्री अधिष्ठाता--

देखिये अध्यक्ष जी ने अगली मद संख्या ले ली थी, इसलिए अब इसका कोई औचित्य नहीं है। आप कल फिर से दे दीजिएगा।

श्री ददु प्रसाद --

मान्यवर, एक लोकहितकारी प्रस्ताव इस संकल्प के माध्यम से लाया गया है, निश्चित रूप से इसमें कोई दो-राय नहीं होनी चाहिए कि अगर यह ठेकेदारी प्रथा, कान्ट्रेक्ट वेस को समाप्त कर

दिया जाए तो निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर नौजवानों को सीधे रोजगार के अवसर और लाभकारी मूल्य मिल सकेंगे और इसका जीता-जागता उदाहरण है कि एक जमाना था जब उत्तर प्रदेश में आबकारी का ठेका पूरी तरह से माफियाओं के हाथों में था, अब छोटी-छोटी दुकानें कर दी गई हैं, जिससे माफियाओं का सफाया हुआ है। इसी पैटर्न पर जो कान्ट्रैक्ट वर्क है चाहे वह पी0डब्ल्यू0डी0 में हो चाहे आर0ई0एस0 में हो, इन सभी जगहों पर अगर छोटे-छोटे बेरोजगार नौजवानों को काम करने का अवसर दिया जाए तो इससे बड़े पैमाने पर बेरोजगारों की बेरोजगारी कम होगी और उन्हें लाभ के अवसर मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

*श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, कौशल किशोर जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प शिक्षित बेरोजगारों के सम्बन्ध में है, यह एक ऐसा प्रश्न है कि इस पर हर व्यक्ति को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। हम यह नहीं कह सकते हैं कि हर राजनीतिक दल इस पर विचार नहीं करता है, करता भी है, जिसकी जितनी सोच होती है, उस हिसाब से प्रयास भी करता है। लेकिन यह जो शिक्षित बेरोजगार हैं, उनकी दशा यह है कि एक तो हम लोग कायदे से उन्हें शिक्षित ही नहीं होने देते हैं, जो वर्तमान सरकार है, वह उन्हें शिक्षित ही नहीं होने देती श्रीमन् डिग्री सार्टिफिकेट्स ठेके पर लिखवा करके उनके घर पहुँचा देती है, उनमें हीन भावना पैदा हो गई है। कभी-कभी हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम पद पाने के लिए कितना गिर सकते हैं, हम पद पाने के लिए वोट पाने के लिए दूसरों के बच्चों को कहाँ तक धकेल सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षाएं हो रही हैं, विगत कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ, मान्यवर, शिक्षा जगत से जुड़े होने के कारण यह एक संवेदना समझ में आती है कि इन परीक्षाओं को पास करके निकला लड़का केवल पुलिस और मिलिट्री में ही भर्ती होने की तैयारी करता है, किसी कम्पटीटिव परीक्षा पास करने की उसमें हिम्मत नहीं है, उसके पास इस तरह की परीक्षाओं के लिए वातावरण ही नहीं है। आज स्कूलों, कॉलेजों की हालत ऐसी हो गई है कि इन स्कूलों से जो बेरोजगार निकलकर आ रहे हैं, उनसे पूरा का पूरा अराजकता का माहौल पैदा हो गया है। महानगरों में हम कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार है सबको शिक्षा का समान अवसर मिलना चाहिए। लेकिन मान्यवर, जब हम विचार करें तो गम्भीरता पूर्वक सीने पर हाथ रखकर सोचें कि एक तरफ महानगरों की वह शिक्षण संस्थाएं जो क्लास के अलावा चलती है, चाहे वह गैर संवैधानिक ही हों, उनमें एक लाख रुपये, डेढ़ लाख रुपये में इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट एम0सी0ए0 के स्टूडेण्ट तैयार किये जा रहे हैं। एक तरफ यह सोच पैदा की जा रही है और दूसरी ओर गांवों में बेरोजगारों की गर्दन में हाथ लगाकर उन्हें धकेला जा रहा है, चले जाओ बंगाल की खाड़ी में डूबते हुए।

मान्यवर, गांव के इण्टर कॉलेज, हाई-स्कूल के छात्रों को न तो कम्प्यूटर का ज्ञान है न कुछ, आज यदि हमें कम्प्यूटर की शिक्षा दे दी जाती तो हम स्वरोजगार पैदा कर लेते, आज हिन्दुस्तान में तीन लाख कम्प्यूटर इंजीनियर की डिमांड है। हम गांव के लिए क्या कर रहे हैं, अगर विधायकों से दबाव पड़ता है, अगर हम उन्हें कम्प्यूटर खरीद करके दे भी देते हैं तो गांवों में बिजली ही नहीं है आखिर कम्प्यूटर चलेगा कैसे ? आज शिक्षित बेरोजगारों का बहुत बुरा हाल है, जो असंगठित क्षेत्र के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बेरोजगार हैं वह थोड़ा बहुत अपनी जिन्दगी को चला ले रहे हैं। हमने अगर एम0ए0, बी0ए0 कर लिया है, ट्रक चलाना चाहते हैं तो दो सिपाही हर चौराहे पर बैठे रहते हैं, हर चौराहे पर 25 रुपये देकर पार हो जाइये। पढ़े-लिखे लोग श्रम को अपमान की दृष्टि से देखते हैं, आज हमारे सामने गम्भीर समस्या है, ठेकेदारी केवल ठेकेदार ही नहीं कर रहा है, फैक्ट्री मालिक ही नहीं कर रहा है गवर्नमेंट भी कर रही है। गवर्नमेंट भी शिक्षा मित्रों की नियुक्ति करके 10 महीने का मानदेय ठेके पर देती है। दो हजार रुपया महीने में कह दिया कि अपना पेट भर लो। इसी तरह से प्रदेश में विषय विशेषज्ञ 2300 के आस-पास हैं, उनको 5000 रुपया महीना दिया जा रहा है। यह शोषण है। किसके शोषण की चर्चा की जाए।

एक बार प्रदेश के लोगों को बैठ करके एक नीति बनानी चाहिए। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने 500 रुपया महीना बेरोजगारों को भत्ता दिया। हमने एक हफ्ता पहले कई डिग्री कालेजेज के छात्र नेताओं को बुलाया था। तीस हजार लोगों ने इण्टरमीडिएट की परीक्षा बलिया में पास की है और स्नातक के लिए बलिया में मात्र 6 हजार सीटें हैं, बाकी 24 हजार छात्र बलिया में रोड जाम करने का विचार कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि सदन में आपकी बात उठा दूँगा, सरकार माने या न माने। सरकार सभी छात्रों को दाखिला दिला दे और घर बैठे डिग्री आ जाए, छात्र गले में डिग्री बांधकर घूमें। मैंने छात्रों से पूछा कि जो 500 रुपया मिलता है इसका क्या कर रहे हैं ? मान्यवर, 500 रुपया महीना बेरोजगारों को, युवाओं को भत्ता दे रहे हैं इन युवाओं की भुजाओं में इतना बल है कि वे हिमालय की दिशा मोड़ दें। आज सरकार ने युवाओं को वृद्धा एवं विधवा पेन्शन की तरह भत्ता देने का काम किया है। हमने छात्रों से तर्क किया तो उन्होंने यह कहा कि हमें भत्ता नहीं काम चाहिए। 500 रुपया महीना अर्थात् साढ़े सोलह रुपये प्रतिदिन उनको मिल रहा है। मैंने पूछा कि इस पैसे का क्या करते हो ? तो उन्होंने बताया कि कुछ तो सिमकार्ड डलवा लेते हैं कुछ गुटखा में खर्च होता है। यह सरकार संवेदनहीन है। आज युवाओं को काम चाहिए, इस युवा पीढ़ी को डायवर्ट न करें। इस उम्र से वह वृद्धावस्था का पेंशन लेने लगे, जब उसकी उम्र 35 साल हो जायेगी जब असली खर्च आयेगा तो यह भत्ता बन्द हो जायेगा। जब उसके बेटा-बेटी की पढ़ाई का वक्त होगा, शादी विवाह का समय आयेगा तो उसके पास कुछ नहीं रहेगा। पूरी व्यवस्था असंतुलित है। आज सरकार युवाओं को अपमानित कर रही है, युवाओं के हाथों को काम दीजिए। लेकिन श्रीमन्, यह सरकार संवेदनहीन है। यह सरकार वोट के लिए लालीपॉप फेंकती है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य, संकल्प पर बोलिये।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, जितने मुद्दे उठाये हैं, सभी ठेकेदारी प्रथा से ही सम्बन्धित है।

श्री अधिष्ठाता--

कृपया संक्षेप कीजिए।

श्री राम इकबाल सिंह--

आज जो सबसे बड़ी त्रासदी है इस देश की युवा पीढ़ी की, जो टेक्निकल एजूकेशन भी लिये हैं किसी ठेकेदार के पास हैं तो 600 रुपये में काम करते हैं। आज लोग जो प्राथमिक विद्यालय

खोले हैं, जूनियर हाई-स्कूल, इण्टर कालेज, डिग्री कालेज, वह भी उन्हें ठेके पर रखते हैं कि साल भर में 6 हजार या 7 हजार रुपया देंगे। 6-7 हजार रुपये में बेचारे सुबह से लेकर शाम तक 10 बजे से लेकर 4 बजे तक पढ़ाते हैं, कहीं 7 बजे से लेकर 2 बजे तक पढ़ाते हैं। चारों तरफ युवा पीढ़ी शोषण का शिकार हैं, बेरोजगारी का शिकार हैं। शिक्षक बेरोजगारों का अपमान चारों तरफ मचा हुआ है। मान्यवर, ठेकेदार तो शोषण करता ही है फैक्ट्री में शोषण होता है लेकिन यह शोषण का सिलसिला शिक्षण संस्थाओं में भी है, कहीं प्राइवेट के रूप में, कहीं विषय विशेषज्ञ के रूप में, कहीं शिक्षा मित्र के रूप में। इस पर हमें गम्भीर चिंतन करना चाहिये और एक बेरोजगार नीति बननी चाहिये। इन शिक्षित बेरोजगारों का हक है कि उनको सम्मान जनक जिंदगी जीने के लिये सरकार अवसर मुहैय्या कराये और इसके लिये जरूरी है कि काम के अधिकार को मूलाधिकार में संशोधन करके शामिल किया जाय और जिसको जैसी डिग्री उसको वैसा काम, जैसा जिसका सर्टीफिकेट वैसा उसको काम मिलना चाहिये। उच्च शिक्षा प्राप्त लड़कों को किसी कल कारखाने में रखकर उसका शोषण कराना अच्छी बात नहीं है मैं मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों को एक सम्मान जनक जिन्दगी देने के लिये अगर उनके पास सर्टीफिकेट है और किसी के पास अगर उनका ठेकेदारी में काम हो रहा है तो उसी के अनुसार कुछ मानदेय तय कर दें। मान्यवर, हम आपके आभारी हैं कि आपने अवसर दिया।

*श्री नवाब सिंह नागर--

मान्यवर, इस चर्चा में भाग लेने के लिये आपने अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ । मैं संक्षेप में अपनी बात रखने के लिये खड़ा हुआ हूं। वास्तव में बेरोजगारी उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी समस्या है। देश में लगातार प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण और ठेकेदारी प्रथा बढ़ती जा रही है। प्राइवेट क्षेत्र में ठेकेदारी प्रथा बढ़ रही है और सरकारी क्षेत्र में भी बढ़ रही है। इसी कारण से बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार बढ़ते जा रहे हैं। इसके पीछे यह तथ्य भी है कि सरकारी नौकरी में जाने के बाद कोई भी व्यक्ति पूरे मनोयोग से काम करना नहीं चाहता है। इस कारण से कार्य बाधित होता है और लगातार कार्य बाधित रहने से सरकार भी सोचने के लिये बाध्य हो रही है कि धीरे-धीरे सरकारी नौकरियों को कम करके प्राइवेट में किया जाय। इसी के कारण जैसे शिक्षा मित्र की बात आयी कि जो सरकारी शिक्षक हैं उनको 10 हजार रुपये और शिक्षा मित्रों को दो-ढ़ाई हजार रुपये वेतन दिया जाता है और फिर भी वह काम करते हैं। लेकिन सरकारी नौकरी मिलने के बाद ऐसी सुनिश्चितता है कि वह काम करें या न करें उसकी नौकरी पक्की है। इस भाव के कारण कामचोर बड़ी संख्या में काम नहीं कर रहे हैं। इसमें मेरा सुझाव है कि सरकार इस ठेकेदारी प्रथा को धीरे-धीरे खत्म करने का प्रयास करे और जो यह बेरोजगारों की फौज बढ़ रही है इसको कम करने के लिये सरकारी नौकरियों को बढ़ाने का काम करें और नौकरियों के वेतन का सम्बन्ध उसके कार्य से हो। जो न्यूनतम वेतन है वह तो उनको मिले लेकिन उनके लिये कोई इंसेंटिव होना चाहिये कि जो काम करेंगे उनको अच्छा वेतन मिलेगा और जो काम नहीं करेगा उसको अच्छा वेतन नहीं मिलेगा। इससे रोजगार भी बढ़ेगा और सरकारी नौकरियों में सुरक्षा भी बढ़ेगी और काम करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। मान्यवर, इस दृष्टि से इस पर व्यापक विचार करके यह ठेकेदारी प्रथा खत्म होनी चाहिये और सरकारी नौकरों से काम कराने के लिये एक व्यापक दृष्टिकोण बनना चाहिये जिससे सरकारी नौकरी प्राप्त करने के बाद आदमी में काम करने की प्रवृत्ति बढ़ सके। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री राम करन आर्य--

माननीय अधिष्ठाता महोदय भाई कौशल किशोर जी का जो संकल्प आया है यह वह बहुत पवित्र मन से लाये हैं। लेकिन कौशल किशोर जी इस धारा के हैं जो शिकागो शहर से शुरू हुई थी, जब आदमी 18 घंटे काम करता था तो लाल झण्डे के लोगों ने कहा कि काम के घण्टे 8 होने चाहिये। यह किसी जमाने में बहुत बड़ी लड़ाई थी और फिर पूरी दुनिया में यह नारा लगा कि दुनिया के मजदूरों एक हो। आते-आते लड़ाई यहां तक पहुंच गयी कि हर जगह शोषण के खिलाफ खेत खलिहान की ठेकेदारी, फैक्ट्री की ठेकेदारी चारों तरफ इस पर संघर्ष हुआ यही कारण है कि 8 घण्टे से 6 घण्टे तक मामला आ गया हम इसको मानते हैं कि ठेकेदारी प्रथा बहुत खराब है ठेकेदारी प्रथा एक तरह से शोषण का जबरदस्त हथियार है जिस मुल्क में यह होती है वहाँ शोषण बहुत होता है। आज पूरी दुनियां में इसका विरोध किया जा रहा है। हमारे साथी राम इकबाल सिंह जी जो हमारी उम्र के हैं एक साल छोटे-बड़े हो सकते हैं आप एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय में पढ़े हैं आपने यूनिवर्सिटी की राजनीति की है मैं तो एक छोटे स्कूल से पढ़कर आया हूं। जिस तरह से उन्होंने माननीय मुलायम सिंह यादव जी के बेरोजगारी भत्ते का मजाक उड़ाया है वह कहाँ तक उचित है ? उन्हें शायद मालूम नहीं है वह बलिया के रहने वाले हैं मालूम होना चाहिए कि आज भी एक दलित परिवार गरीब परिवार के लिए 100 रुपये की क्या कीमत है। राम इकबाल के लिए भले ही 500 रुपये कुछ न हो लेकिन जो दलित घरों के लड़के हैं वह इन पैसों से अपनी माँ की साड़ी ला सकते हैं, बाहर परीक्षा देने जब जाते हैं उस समय यह पैसे बहुत काम आते हैं श्री राम इकबाल सिंह को इस तरह से इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए । नौजवानों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमारी सरकार का नारा था रोजी रोटी सस्ती होगी दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी उसी नारे के अनुरूप बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया गया। मैं कौशल किशोर जी से कहना चाहता हूं कि आप भी लाल झण्डे के नीचे काम करते हैं हम भी लाल झण्डे के नीचे काम करते हैं बस उसमें हरा रंग और शामिल है। हमने भी मजदूरों की लड़ाई लड़ी है, बेकारी प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, मजदूरों के शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। यह जो ठेकेदारी प्रथा है यह सही है कि यह नापाक प्रथा खत्म होनी चाहिए जो जितना काम करे उसे उतना दाम मिलना चाहिए लेकिन इस समय जो परिस्थितियाँ हैं उसमें हमारी सरकार धीरे-धीरे समस्याओं से निपटेगी और निश्चित रूप से निपटकर आगे जाएंगे। हमारी मंशा अच्छी है। कौशल किशोर जी की जो मंशा है उसी के अनुरूप समाजवादी पार्टी की सरकार कार्य करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपने हमें बोलने का मौका दिया आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

अधिष्ठाता जी, कौशल किशोर जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है 'इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में नौजवान शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने हेतु ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जाय' उसकी जो भावना है बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाए जाने के लिए। प्रकारान्तर से उनका शोषण हो रहा है उनसे ज्यादा काम लेकर कम मजदूरी दी जा रही है। उनका आशय यही है इसी केन्द्र बिन्दु को लेकर उन्होंने संकल्प रखने का काम किया है। इस संकल्प पर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चर्चा करते समय उन्होंने विषय पर ही सीमित रखा था और यह कहा कि विभिन्न सरकारी विभागों में ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर दी जाय और ठेकेदारी प्रथा समाप्त करके सीधे जो मजदूरी करते हैं उनके कार्य का उन्हें सीधे भुगतान किया जाय मूलतः यही संकल्प है। इस संकल्प पर चर्चा करते समय अनेक तरह के विचार आए हैं। अलग-अलग साथियों ने महत्वपूर्ण विचार रखे हैं लेकिन एक बात जो इसमें है उसको स्वीकार करने में किसी को संकोच नहीं होना चाहिए कौशल किशोर जी को और मुझे भी नहीं कि ठेकेदारी प्रथा में जो मजदूर काम करता है उसके हिस्से में जाने वाली रकम का बहुत बड़ा भाग ठेकेदार खा जाता है, बिचौलियों के कारण कई बार हेरा-फेरी होती है बिचौलिये न रहें। सीधे-सीधे मजदूर को मिले तो उसकी मजदूरी भी पूरी मिलेगी। माननीय कौशल किशोर जी इसी मूल भावना से इस संकल्प को लेकर आये और यही इसका मूल उद्देश्य रहा लेकिन इसके साथ-साथ दूसरी और चर्चाएं इसमें शामिल हो गई। फैक्ट्रियों के बारे में कुछ बात मुंशी लाल जी कहकर चले गये।

मान्यवर, यह बहुत अच्छा फैशन है कि हम लोग किसी बात को कहते हैं तो बहुत गम्भीरता से कहते हैं, उस विषय की गम्भीरता को रखते हैं और जब उस गम्भीर विषय पर उसके समाधान के लिये कोई बात आती है तो हमको लगता है हमने अपना भाषण कर दिया तो विषय काफी गम्भीर हो गया, बाद में हम उसको सुनने के लिये भी वहां पर उपस्थित नहीं होते हैं। मान्यवर, यह है गम्भीरता। हमको लगता है कि हमारा उस विषय को रखने तक ही उस विषय की गम्भीरता है। हमने अपनी बात कह दी उसके बाद उसकी गम्भीरता खत्म हो गई। हमने अपना भाषण कर दिया, काफी गम्भीरता हो गई, उसके बाद गम्भीरता का कोई प्रश्न ही नहीं है। उस पर कोई सुझाव हो, उसके समाधान की कोई बात हो, उस पर कोई बात दी जाय, हम सुने न सुनें। उन्होंने कहा था कि फैक्ट्री में सिक्योरिटी लगा लेते हैं उनको वर्दी सिलवा देते हैं और पैसे कम देते हैं। इसलिये वहां भी ठेकेदारी गड़बड़ हो रही है। तो इसके अलावा दूसरी बात उन्होंने नहीं की। इसी तरह से दद्दू प्रसाद जी ने कहा था। वे भी नहीं हैं। अपनी बात कहकर चले गये। एक्साइज में जैसे बड़े-बड़े कान्ट्रेक्टर थे, माफिया ठेकेदार थे बड़े-बड़े ठेके लेते थे। कई दुकानों के ठेके लेते थे। अब नीति बदलकर छोटे ठेकेदार कर दिये गये। इसलिये अब छोटे ठेकेदार किये जायें। संकल्प यह है कि ठेकेदारी प्रथा समाप्त करके मजदूरों को सीधे-सीधे दिया जाय। और इस संकल्प के पक्ष में बोलने वाले वो लोग हैं जो कहते हैं पेटी कान्ट्रेक्ट दिये जाएं। वे ठेकेदारी प्रथा समाप्त करना नहीं चाहते।

मैं कहना चाहता हूं मान्यवर, सरकारी काम होते हैं, आपको अनुभव है और हम सब जनप्रतिनिधि के नाते देखते हैं और जानते हैं कि काम किस तरह से कराये जाते हैं। कार्य के दो अंश होते हैं। एक तो श्रम का और दूसरा मेटीरियल का अंश। इन दोनों को मिलाकर कार्य का ठेका दिया जाता है। ठेकेदार जो ठेका लेते हैं वे इसमें मजदूरों को शामिल करके उनको मजदूरी देता है। और बाकी मेटीरियल का इंतजाम करके इस तरह से उस कार्य को पूरा करता है। कौशल किशोर जी का कहना है कि जो श्रम करने वाले हैं वो किसी ठेकेदार के मातहत न हों। और विभागीय तौर से उनसे कार्य कराया जाय जिससे श्रमिक का जो अंश है वह विभागीय तौर पर सीधे-सीधे उनको दिया जाय। विभाग ठेकेदार से कार्य न कराकर स्वयं अपने से कार्य कराये तो वह विभाग मेटीरियल अपने ढंग से इकट्ठा कर लेगा और श्रमिक को उसकी मजदूरी दे देगा लेकिन मान्यवर, यह विषय इतना गम्भीर है मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता क्योंकि सबका अपना-अपना ढंग है,

अपना-अपना चश्मा है, अपना-अपना नजरिया है देखने का। हमारे दूसरे विद्वान साथी हैं राम इकबाल जी, उन्होंने यह कहा कि अगर वह मोटर चलाना चाहता ड्राइवर है तो रास्ते में सिपाही है। एग्जाम देने जाता है परीक्षा की व्यवस्था खराब है। जहां जाता है वहां नकल हो जाती है। नकल से आता है तो एडमीशन नहीं होता। यह इतने विषय कम्प्यूटर कैसे चले ? बिजली आती नहीं है। बिजली कैसे आए ? पावर हाउस नहीं है। पावर हाउस क्यों नहीं ? कोयला नहीं है। इतनी सारी इस तरह की बातें जो हो सकती हैं कही गई हैं। मैं यह बात बगैर किसी पर आरोप लगाये कहना चाहता हूं मजदूर के सवाल पर इसको जितनी गम्भीरता से लिया जाना चाहिए था। जितनी गम्भीरता की आवश्यकता है उस तरह से सरकार ने उतनी गम्भीरता से लिया है हमने काम के बदले अनाज, खाद्यान्न के आधार पर चलने वाली जो योजनाएं हैं उसमें सुनिश्चित किया है। किसी पर जिम्मेदारी नहीं है विभागों को भी अधिकांश जगहों पर यह निर्देश दिये गये हैं कि जहां पर ठेकेदारी बाध्यता न हो वहां पर विभागीय तौर पर काम चलाया जाय।

मान्यवर, मैं आंकड़ों पर नहीं जाऊंगा क्योंकि आंकड़े फिर उलझाने वाले होते हैं। लेकिन मैं दोहराना चाहता हूं कि जहां विकास के कार्य ज्यादा हुए। विकास के कार्यों पर ज्यादा से ज्यादा धन की व्यवस्था की गई। पहले से अब ज्यादा विभागीय कार्य कराये जा रहे हैं खासतौर से सा0नि0वि0 में यह निर्देश है कि जो कार्य अधिकांशतः कराये जा सकते हों विभागीय अधिकारियों द्वारा उसे वे खुद करायें जिससे उसमें श्रमिक को सीधे-सीधे मजदूरी मिले। इसके आम निर्देश हैं। शत-प्रतिशत इसको लागू नहीं किया जा सकता। क्योंकि कई कार्य ऐसे हैं जो बड़े आकार के कार्य हैं और इन बड़े आकार के कार्यों को इस व्यवस्था में आमूलचूल बदले बिना ठेकेदारों की जिम्मेदारी सुनिश्चित कराये बिना नहीं करा सकते हैं। इसलिए श्रीमन् यह नहीं हुआ लेकिन पूरी तरह से हम चाहते हैं एक मजदूर को उसकी मजदूरी मिल सके और जिस सरकार में, मैं श्रीमन् समझ रहा था कि शायद इस तथ्य को स्वीकार करने का हौसला हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ जहां राज्य सरकारों ने पूरी तरह से नौकरी पर प्रतिबंध लगा रखा था और उत्तर प्रदेश के बाहर हिन्दुस्तान में जिन राज्यों में नौकरियों पर पाबन्दी लगा रखी है वहां वर्तमान सरकार के मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने चार लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया है। आगे भी रोजगार देने का प्रयास किया जाएगा। मैं समझता था कि हमारी सरकार की सराहना होगी। बेरोजगार नौजवानों का मजाक उड़ाने वाले लोग, बहुत अच्छा है आपको लगता है-पांच सौ रुपये में उसका क्या होगा एक पूरा परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार की वार्षिक आय 20 हजार रुपये है। 19 हजार 322 रुपये है या आज जो तय हुआ है उसमें 6 हजार रुपये उसके बेटे का योगदान हो सकता हो। मात्र इस 6 हजार के योगदान से उसकी आय आगे बढ़ सकती हो और उतने से वह अपने मां बाप पर बोझ नहीं बन रहा हो तो कितनी बड़ी राहत का काम उस बेरोजगार नौजवान के लिए हुआ है। वह लोग नहीं महसूस कर सकते जो रोज पांच सौ रुपये का गुटखा खा जाते हैं।

पांच सौ रुपये का गुटखा खा जाने वाले लोग या एक बैठक में गुटखे जैसी कुछ और चीज, जैसा उन्होंने कहा कभी कुछ और तो कभी कुछ और, अपनी एक शाम पर पांच सौ रुपये से ज्यादा खर्चा करने वाले लोगों की जमात का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग कभी उस नौजवान का दर्द महसूस नहीं कर सकते हैं जिसके पास अपना फार्म भरने के लिए कभी पचास रुपये के करने की नौबत आती है और टूटा हुआ बेरोजगार नौजवान जब घर पर आता है तो अपने माता-पिता से

यह कहने की स्थिति में नहीं होता है कि हम अपने रोजगार के लिए एक फार्म भरना चाहते हैं और हमें एक बैंक ड्राफ्ट लगाना है पचास रुपये का इंतजाम कैसे करें, ऐसे बेरोजगार नौजवान का दर्द आपको मालूम नहीं है और लोगों को नहीं मालूम हुआ इसीलिए हिन्दुस्तान में बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा तो बहुत लोगों ने किया। बेरोजगारी की लड़ाई लड़ने के लिए नारे बहुतों ने लगाए लेकिन अपने वायदे को पूरा करने का काम माननीय मुलायम सिंह यादव ने किया है पहली बार इतिहास में। यह वायदा किया था अपने चुनाव घोषणा पत्र में, कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे जिनको रोजगार नहीं दे सके उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे हम पुन: बधाई देना चाहते हैं अपने सूबे के मुखिया मा0 मुलायम सिंह यादव जी को, इन सारी कठिनाइयों को जाहिर करने वाले लोग नौकरी करने वाले लोगों को तनख्वाह नहीं दे पाते थे मुझे स्मरण है मैं इसी सदन में उस तरफ बैठता था महीने में आठ दिन से ज्यादा ट्रेजरी नहीं खुलती थी। तनख्वाह और पेंशन के अलावा किसी मद में भुगतान नहीं होता था एक महीने में लगातार आठ सालों की स्थिति है। लोग रोज कहते थे कि संसाधन नहीं है, संसाधन नहीं है रोने-गाने वाले लोग जिन लोगों ने डिग्री कालेजेज की सीटें बढ़वाई डेढ़ गुना की। यूनीवर्सिटी में सीटें बढ़वाई। दूसरी शिफ्ट चलवाई उस पर आसानी से टिप्पणी करने से काम चल जाएगा क्या ? आसानी से टिप्पणी कोई आलोचक बैठकर एकेडमिक क्लासेज में करे तो अच्छा लगता है राजनैतिक दलों से संबंध रखने वाले लोग राजनैतिक तौर पर सत्ता चलाने का अधिकार जनता के बीच मांगने वाले लोग राजनैतिक तौर पर सत्ता चलाने का अधिकार जनता के बीच मांगने वाले लोग अपने आचरण से परे हटकर ऐसी-ऐसी टिप्पणियां करें तो इनको शर्म आनी चाहिए मैं समझता हूं इतनी शर्म तो बाकी होनी चाहिए।

श्रीमन्, इंतजाम करना था लोगों ने नहीं किया और जिसने इंतजाम किया उसके इंतजाम की सराहना के स्थान पर बस खाली बैठकर आसानी से टिप्पणी करने से यह जिम्मेदारी पूरी होने वाली नहीं है हम जो कुछ एक-एक शब्द यहां कहते हैं और जो हमारा आचरण है उसको पूरे उत्तर प्रदेश की जनता देखती है देश की जनता देखती है। मैं इस समय यह बात कहना चाहता हूं कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम हमने किया हम इसकी चर्चा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि प्रश्न दूसरा था संकल्प दूसरा था लेकिन संकल्प दूसरा और उस पर टिप्पणी बेरोजगारी भत्ता देने पर। विरोध कीजिए मैं कहता हूं जो बेरोजगारी भत्ता देने का विरोध करना चाहते हैं वह विरोध करें राजनैतिक तौर पर कि वह बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का विरोध करना चाहते हैं। मैं उनके साहस को आमंत्रित करता हूं चुनौती देना चाहता हूं कोई राजनैतिक दल कहे कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। प्रकारान्तर से घुमफिरके लोगों ने अनेक बार अपने-अपने ढंग से कहने का काम किया है और श्रीमन्, बेरोजगारी भत्ता देने के लिए हमने शर्त यह नहीं रखी कि फलां जाति का हो, फलां धर्म का हो, फलां पार्टी की मेम्बरशिप का हो, नीले कपड़े पहन करआए या गेरुआ टोपी लगाकर आए, फलां का प्रमाण-पत्र लेकर आए, ऐसा हमने नहीं कहा।

दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, पड़ोस में उत्तरांचल है, वहां आन्दोलन शुरू हो गये हैं, पड़ोस में बिहार है, वहां इसके लिए आन्दोलन प्रारम्भ हो गया है। हमारे मुखिया ने कहा था कि हम आदर्श प्रदेश बनायेंगे, इसका मतलब यह है कि जो आदर्श हम प्रस्तुत करेंगे उसे दूसरे प्रदेश अपनायेंगे। मान्यवर, यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो बात उठायी गयी है, उसका उत्तर हमें देना

पड़ेगा ताकि उनके प्रश्न अनुत्तरित न रहें। इसलिए माननीय अधिष्ठाता महोदय, वे लोग जो बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं कर सके, उनके लिए गाल बजाने का काम कर रहे हैं, मैं उनकी भर्त्सना करता हूं। और मान्यवर, बेरोजगारी को हटाने का, प्रत्येक परिवार के एक बेरोजगार को रोजगार देने का और यदि रोजगार न दे सके तो उसे बेरोजगारी भत्ता देने का जो संकल्प हमारा था, वह पूरा किया है और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि आगे सरकार बनने पर यह बेरोजगारी भत्ता 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये देंगे। कन्या विद्या धन योजना में पहले हमने 200 करोड़ रुपये का प्राविधान किया, उसके अगले वर्ष 300 करोड़ और अब 600 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है। माननीय कौशल किशोर जी ने जो संकल्प रखा है कि नौजवान शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने हेतु ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जाए, उनकी भावना का हम सम्मान करते हैं, सरकार भी प्रयत्नशील है और जिन जगहों पर संभव होगा, इस प्रथा को कम करेंगे। मैं आग्रह करता हूं कि आप अपना संकल्प वापस ले लें।

श्री कौशल किशोर--

मान्यवर, संकल्प वापस लेना हो तो उसके रखने का औचित्य ही नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि ठेकेदारी प्रथा से बड़े पैमाने पर शोषण होता है और ठेकेदारी प्रथा में जब लोगों को ठेका दे दिया जाता है तो वह मशीनों से काम लेते हैं, बड़ी-बड़ी मशीनों से काम लेते हैं जिससे लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। इसीलिए मैंने बात रखी है कि केवल ग्रेजुएट ही नहीं, जो इण्टरमीडिएट हैं, जो हाईस्कूल पास हैं, वह भी शिक्षित हैं और बेरोजगार हैं, बेरोजगारी भत्ता देने के संबंध में मेरा सरकार से विनम्र अनुरोध है कि जो केवल ग्रेजुएट बेरोजगारों को ही भत्ता देने की बात है, मैं चाहता हूं कि उसमें संशोधन करते हुए कि जो भी इम्प्लायमेंट आफिस में रजिस्टर्ड हैं, वह चाहे किसी भी कक्षा तक शिक्षा प्राप्त किए हों, उन सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो तो ज्यादा ठीक होगा। इसलिए मेरा जो संकल्प है कि ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया जाए और शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, मैं अपना संकल्प रखता हूं और मैं इसे वापस नहीं करूंगा।

श्री अधिष्ठाता--

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में नौजवान शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने हेतु ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जाय ?"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता--

अब मद संख्या 22-(2) डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी नहीं हैं।

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि वाराणसी में प्रह्लाद घाट तिराहे पर जल निगम द्वारा अधिष्ठापित बड़े नलकूप को जनहित में अविलम्ब चालू किया जाय।" के संबंध में श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (क्रमागत)

श्री श्याम देव राय चौधरी--

मान्यवर, मैंने इसके लिए अपना संकल्प प्रस्तुत कर दिया है। मान्यवर, मेरा संकल्प कृपया आप देखने की कृपा करेंगे। मान्यवर, एक संकल्प यह होता है कि किसी योजना को लागू

किया जाये, किसी समस्या का समाधान करने की दिशा में सरकार की दृष्टि आकर्षित की जाये। लेकिन मेरा यह संकल्प अपने आप में अनूठा है। सन् 2000 के आसपास पूर्वांचल राज्यांश से मेरी अनुशंसा पर एक बड़ा नलकूप स्वीकृत हुआ लेकिन वहां पर विवाद हो जाने के कारण वहां पर नलकूप की बोरिंग नहीं हो सकी और साल-डेढ़ साल तक बोरिंग का काम प्रारम्भ नहीं हो सका। फिर मैंने उसे नए स्थान पर लगाने के लिए कहा और मेरे विधान सभा क्षेत्र में प्रहलाद घाट तिराहे पर जल संस्थान द्वारा उक्त नलकूप की बोरिंग उस स्थान पर करा दी गयी लेकिन उसे चालू नहीं किया गया। काफी दिन तक विभाग टालता रहा। मुझे कारण भी नहीं बताया गया और मैं लिखापढ़ी करता रहा कि उक्त नलकूप की बोरिंग कम्प्लीट हो गयी है पेयजल का संकट बरकरार है, लोग परेशान हैं इसलिए उक्त नलकूप को अविलम्ब चालू कर दिया जाये। बाद में मुझे मालूम हुआ कि जल निगम और नियोजन विभाग में कोई तकनीकी मामले को लेकर कुछ अड़चन हो गयी है इसलिए उस नलकूप के लिए शेष धन नियोजन विभाग नहीं दे रहा है। धन अप्राप्त होने के कारण नलकूप चालू नहीं हो पा रहा है, ऊर्जीकृत नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, इस प्रक्रिया में वर्ष 2004 में तीसरे सत्र में पहले शुक्रवार को मेरा एक अतारांकित प्रश्न संख्या 37 पर लगा था। उसमें मैंने इस प्रश्न को उठाकर यह मांग की थी कि उक्त नलकूप को अविलम्ब चालू किया जाये। माननीय मुख्य मंत्री जी का लिखित उत्तर मुझे मिला कि उक्त नलकूप को ऊर्जीकृत करने के लिए आगणन तैयार करवा लिया गया है और उक्त नलकूप को चालू करने के लिए जल निगम को निर्देश दे दिया गया है और उक्त आगणन की जो धनराशि है वह जमा करते ही उसे ऊर्जीकृत कर दिया जाएगा। मैं बड़ा खुश हुआ कि मुख्यमंत्री जी का आदेश है, मुझे लिखित मिल गया। अब मेरे क्षेत्र की जनता का जल संकट दूर हो जाएगा।

मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। मैंने जल निगम से पूछा तो उन्होंने कहा कि यहां पैसा कहां है, पैसा दिलवाइये तो आगे काम बढ़े। मैंने फिर पत्राचार किया मुख्य मंत्री के नाम, विधायक प्रकोष्ठ में गया। फिर उस प्रश्न के सदर्भ में पुन: प्रथम सत्र 2005 के पहले शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 98 में प्रश्न लगा और पुन: मुझे लिखित आश्वासन मिला। परिवर्तन सिर्फ इतना था कि पहली बार उन्होंने दिया कि जल निगम को निर्देश दिया है दूसरी बार उत्तर मिला कि जल संस्थान को निर्देश दे दिया है। मैंने सोचा कि शायद गलत निर्देश दे दिया गया होगा, वह कमजोर संस्था है, अब यह शायद पैसा जमा कर देगी लेकिन फिर भी नहीं लगा। न मुख्यमंत्री के लिखित आश्वासन की पूर्ति हुई, न ऊर्जीकृत हुआ और न चालू हुआ। फिर मैंने इन विसंगतियों पर दृष्टि आकर्षित करते हुए नियम 51 के अन्तर्गत सूचना दी। उक्त सूचना पर मुख्य मंत्री जी का आश्वासन मिला, पुन: आश्वासन मिल गया। मैंने सुना है और जनता बोलती है कि कचहरी में तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख लगती है, लेकिन इस विधान सभा में मैं देख रहा हूं कि आश्वासन दर आश्वासन, आश्वासन दर आश्वासन लेकिन आश्वासन की पूर्ति नहीं होती। नियम 51 का यह हश्र हुआ और मुझे आश्वासन मिला कि ऊर्जीकृत करा दिया जायेगा, चालू करा दिया जायेगा लेकिन फिर उसकी पूर्ति नहीं हुई और मैंने पुन: नियम 300 में औचित्य का प्रश्न

लगाया। मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय, इस औचित्य के प्रश्न पर पीठ पर उस समय मा0 अधिष्ठाता महोदय बैठे थे और जो आज की स्थिति है, कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है, राजस्व मंत्री जी केवल बैठे हैं, उस दिन भी यही स्थिति थी।

श्री अधिष्ठाता--

इस समय तीन चार मंत्री बैठे हैं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी--

मान्यवर, राजस्व मंत्री जी ने अपनी जितनी भी बुद्धि और कौशल है, उसका प्रयोग कर दिया और फिर एक आश्वासन दिया कि आपकी बात सही है, आप विद्वान हैं, वरिष्ठ हैं लेकिन फिर आश्वासन मिला कि हम दिखवा लेंगे और यह चालू हो जायेगा। मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय, पुनः उस आश्वासन की पूर्ति नहीं हुई।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य, कृपया शान्ति बनायें रखें।

श्री श्यामदेव राय चौधरी--

मान्यवर, मैंने फिर 2005 के तृतीय सत्र के पहले शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-1 में इन सारी चीजों को बताते हुए प्रश्न किया। उसमें लिखित उत्तर माननीय नगर विकास मंत्री जी का मिला कि 2000 में पूर्वांचल राज्यांश के द्वारा धन स्वीकृत किया गया था, 12 लाख अवमुक्त हो गया था, 19 लाख लागत थी, उसमें स्थान परिवर्तित हो गया। परिवर्तित स्थल पर नलकूप लगा दिया गया है। इतने वर्ष बीतने के बाद आश्वासन दर आश्वासन देते हुए इसकी लागत बढ़कर 28 लाख 04 हजार हो गयी है अब तक 12 लाख अवमुक्त हो चुका था। उन्होंने कहा कि अब 16 लाख 04 हजार रुपये की और आवश्यकता है, उसकी व्यवस्था होते ही उसको कार्यान्वित किया जायेगा। यह तृतीय सत्र, 2005 के पहले सोमवार के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या-1 के लिए माननीय नगर विकास मंत्री जी का उत्तर मिला। इसके बाद क्या होता है माननीय अधिष्ठाता जी आप देखिये। अब तक जितने भी आश्वासन बने, आपको स्मरण होगा माननीय अधिष्ठाता महोदय क्योंकि आपकी सरकारी आश्वासन समिति के चेयरमेन हैं।

मान्यवर, इन सारे आश्वासनों की पूर्ति न होने के कारण, माननीय मुख्यमंत्री जी के आश्वासन की पूर्ति न होने के कारण, माननीय राजस्व मंत्री जी के आश्वासन की पूर्ति न होने के कारण, माननीय नगर विकास मंत्री के आश्वासन की पूर्ति न होने के कारण, मैंने एक पत्र लिखा, आपको सम्बोधित करके कि सरकार के आश्वासनों का यह हस्र हो रहा है, आप कृपया आश्वासन की पूर्ति करायें और फिर आपने कृपा पूर्वक उस विषय को रखा, साक्ष्य लिया, आश्वासन संख्या 500/2004 यह आश्वासन बना और उस आश्वासन के संबंध में बैठक हुई सरकारी आश्वासन समिति की दिनांक 05-10-2005 को और उसमें जो निर्णय लिया गया साक्ष्य के आधार पर, उसमें यह हुआ कि 16 लाख 04 हजार रुपये के स्थान पर इसमें आ गया 16 लाख 54 हजार रुपये, अब यह फोगर सही है या मिसप्रिन्ट हो गया, जो भी हो। कार्यालय मुख्य अभियन्ता (नागर) लखनऊ का पत्रांक मिला दिनांक 05-10-2005 को जो निर्गत हुआ उसमें यह बताया गया कि साहब इतने

रुपये अब उसकी लागत आ गई है और जो उसका रेस्ट एमाउण्ट है 16 लाख 04 हजार रुपये अगर आप दे दें तो इसको चालू कर दिया जायेगा। और फिर उक्त पत्र के संदर्भ में उत्तर प्रदेश जल निगम के अधिशासी अभियन्ता षष्टम् निर्माण शाखा द्वारा भी पत्रांक मुझे इश्यू हुआ, पत्रांक संख्या 4232 और डेटेड 15-12-2005 उसमें भी यही बताया गया कि जो उसकी धनराशि है, 12 लाख मुझे मिला हुआ है और अगर 16 लाख 04 हजार रुपये आप दे दें तो इसको चालू कर दिया जायेगा।

मान्यवर, सबसे दुःखद स्थिति तो अब आ रही है, अब तक तो ठीक था कि मुख्यमंत्री जी का आश्वासन व्यर्थ गया दो-दो बार का, इस सरकार की जो क्रेडिबिल्टी है उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया। लेकिन अब जो पत्र मिला उससे मैं समझ गया कि इससे अब कोई निजात नहीं है और 16 लाख 04 हजार रुपये दिये बिना मेरे क्षेत्र की जनता के कष्टों का निवारण नहीं होना है और मैंने पत्र लिखा सी0डी0ओ0 को कि मेरे पूर्वांचल का जो जिलांश है उसमें 28 लाख 62 हजार रुपये मेरे अंश का है, जिसे आपने पत्र दिनांक फला-फला द्वारा मुझे सूचित किया है। उक्त धनराशि में से 16 लाख 04 हजार रुपये जल निगम षष्टम् निर्माण शाखा वाराणसी को आप अविलम्ब अवमुक्त कर दें ताकि मेरा नलकूप ऊर्जीकृत हो जाय। सी0डी0ओ0 को उसकी मूल प्रति दिया। दूसरी कापी दिया नोडल अधिकारी को, पूर्वांचल जिला अंश और राज्यांश के लिए लोक निर्माण विभाग को नोडल अधिकारी बनाया गया है। मान्यवर, तीसरी कापी दिया कार्यदायी संस्था, षष्टम् निर्माण शाखा जल निगम को। माननीय अधिष्ठाता महोदय मुझे पत्र मिला, उसके दस दिन बाद, पत्र का डेटेड इसमें है, लेकिन मुझे मिला बाद में।

मान्यवर, 26-12-2005 को ये तीनों पत्रों का जिनका मैंने उल्लेख किया, ये पत्र मुख्य विकास अधिकारी को, लोक निर्माण विभाग के नोडल अधिकारी और षष्टम् निर्माण इकाई को जो इसकी कार्यदायी संस्था है को लिख दिये। अभी मान्यवर, आप आश्वासन समिति की उप समिति की बैठक में 17-8-06 को वाराणसी वहां गये थे और जब यह आश्वासन वहां विचार-विमर्श के लिए आया तो मैंने आपके समक्ष इसकी बाबत अपने दुखड़े का इजहार किया था। जिलाधिकारी और तमाम अधिकारियों की उपस्थिति में अपनी बात रखी थी। मान्यवर, 26-12-2005 से लेकर के और उस दिन अर्थात् 17-08-2006 को यानी कई महीने गुजर जाने के बाद भी आज दुःखद स्थिति यह है कि मेरे पैसा दे देने के बाद भी काम नहीं हुआ है। मान्यवर, जब कि सूचना दी गयी कि 16 लाख 4 हजार रुपये मेरी निधि से मिल जाये और यह पैसा अवमुक्त हो जाये तो उक्त नलकूप को चालू कर दिया जायेगा। मान्यवर, प्रस्ताव दे देने के 5-6 महीने गुजर जाने के बाद भी आज तक मेरे क्षेत्र का वह नलकूप ऊर्जीकृत नहीं हुआ है और न ही चालू हुआ है।

मान्यवर, मैं सदन से यह पूछना चाहता हूं, माननीय राजस्व मंत्री जी आप विद्वान हैं, एडवोकेट हैं आपको बहुत लम्बा अनुभव है इसमें आप कोई वाकपटुता नहीं दिखायेंगे। मैंने जो नग्न चित्र है, सरकार की स्थिति है और जो मेरी स्थिति है उसका वर्णन किया है और राजनीतिक शब्दों का कहीं प्रयोग नहीं किया है। जो कच्चा चिट्ठा है सरकार की स्थिति का मेरी परिस्थिति का उसका उल्लेख किया है। मान्यवर, सरकार की एक विश्वसनीयता होती है उसके आश्वासन की कीमत होती है, उसका सम्मान होना चाहिए। इस परिस्थिति में जब मुझे यह सूचित किया गया कि 16 लाख 4 हजार रुपया आप दे दें तो फिर सारे आश्वासन की स्थिति क्या रही ? मान्यवर, मैंने यह

धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया। मैंने 26-12-2005 को जो पत्र दिया उसकी प्राप्ति मेरे पास है उसके बाद भी बहुत पत्राचार हुआ है। मान्यवर, आप वहां गये थे उसके बाद भी मेरा नलकूप क्यों नहीं ऊर्जीकृत हो रहा है ? जो भी अधिकारी/कर्मचारी इसके लिए दोषी है उनको दंडित किया जाय और सरकार की विश्वसनीयता को बनाये रखा जाये यह जरूरी है उसके सम्मान के रक्षा के लिए। मान्यवर, जनता के कष्ट के निवारण के लिए, इस धनराशि के अवमुक्त करने के संबंध में कोई शासनादेश निर्गत होना चाहिए और अविलम्ब इस नलकूप को ऊर्जीकृत कर चालू करा दिया जाय। मेरी आपके माध्यम से सरकार से यह प्रार्थना है कि लोकतंत्र और यहां की जो व्यवस्था है उसका मखौल नहीं उड़ाया जाना चाहिए। निश्चित रूप से मेरे नलकूप को अविलम्ब चालू कर दिया जाना चाहिए।

*राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मान्यवर, जो श्यामदेव राय चौधरी जी ने संकल्प के माध्यम से बात उठायी है उसके तकनीकी पक्ष में मैं नहीं जाऊंगा। फिर संकल्प में इस घटना का विस्तार से उल्लेख किया गया है जबकि संकल्प में कोई दूसरी बात है। तथ्य दूसरे रखे हैं और इसमें तकनीकी पक्ष महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात है एक नलकूप के ऊर्जीकरण कराये जाने की बात कही गयी है और उसके संबंध में जो उल्लेख आपने किया है कि माननीय नगर विकास मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी और दूसरे किसी माननीय मंत्री ने सरकार की ओर से उत्तर देते समय जो यहां आश्वासन दिया है उनको पूरा कराया जाना चाहिए। और उचित समय सीमा के अन्दर यह बात पूरी नहीं हुई इसका आपने उल्लेख किया है। उसके अतिरिक्त जो पत्र आपने लिखे उन पत्रों की प्राप्ति के फलस्वरूप जो उत्तर आपको दिया गया उस उत्तर में जो बात स्वीकार की गई उसको पूरा करने का कार्य समयानुकूल ढंग से नहीं हुआ। आश्वासन समिति में जब इन सारी बातों को रखा दिया और आश्वासन समिति के निर्देश के बावजूद भी यह नहीं हुआ।

अंतिम तौर पर जो आपने एक बात कही है कि आपने अपनी निधि से यह 16 लाख 4 हजार रुपये दे दिया, आपको इसके लिए धन्यवाद क्योंकि यह निधि हम लोगों को इसीलिए प्राप्त होती है कि जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है उसके लिए इसे दें। जिसके लिए संकल्प रखने का काम कर रहे हैं। मैं महसूस करता हूं कि वह आपके विधान सभा क्षेत्र में अत्यन्त महत्व का कार्य रहा है, इसीलिए पूर्वांचल विकास निधि के जिलांश में जिन प्रस्तावों को करने का अधिकार हमको दिया जाता है उनका प्रस्ताव किया उसके बावजूद अब तक वह कार्य नहीं हो सका है। चूंकि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी स्वयं नगर विकास विभाग के मंत्री हैं वह अपनी ओर से इस बात को कहेंगे लेकिन अधिकारिक तौर पर एक परम्परा से हटकर दूसरी बात कहते हुए कि आपने जितने तथ्यों को रखा है उन तथ्यों के आलोच्य में हम स्वीकार करते हैं कि ट्यूबवेल के ऊर्जीकरण का कार्य हो जाना चाहिए था। जिन किन्हीं कारणों से विलम्ब हुआ है निश्चित रूप से सरकार उसकी पड़ताल करायेगी और कोई भी जिम्मेदार कर्मचारी अगर है जिसके कारण सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों को पूरा करने में विलम्ब हुआ है तो उसके विरुद्ध कारंवाई की जायेगी। आपने प्रस्ताव कर दिया और पूर्वांचल विकास निधि से धन दे दिया गया है तो जल्द से जल्द यह कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा। आपने विस्तार में जो तथ्य रखे हैं, आपकी जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को हम स्वीकार करते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

22 अगस्त, 2006 ई0

श्री श्यामदेव राय चौधरी--

मान्यवर, आश्वासन जितने दिये गये उसकी पूर्ति नहीं हुई उसके विषय में आपने बड़े ही सुन्दर ढंग से कह दिया। मैंने जो यह कहा कि 26-12-05 को मैंने धन अवमुक्त करने के लिए सूचना को रिसीव करा दिया और 26 दिसम्बर से लेकर यह जनवरी, फरवरी, मार्च और आज 8वां महीना चल रहा है अब तक मेरे पैसा देने के बाद भी यह ऊर्जीकृत नहीं हुआ। इस पर मैंने कहा कि जो भी अधिकारी/कर्मचारी इसके लिए दोषी हैं उसको दंडित किया जाना चाहिए। अगर आप इससे सहमत हैं तो दंडित करिये नहीं तो पुरस्कृत कर दीजिए।

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, मैंने यही कहा, मैंने जो कहा कदाचित आपका इस ओर ध्यान नहीं था। मैंने आपकी बातों को शब्दश: सही माना। मैं किसी आंकड़े की पड़ताल के लिए नहीं कह रहा हूं कि अमुक डेट 25.12 है कि 26.12 है। मैंने यह भी नहीं कहा कि आपने यह प्रस्ताव नहीं किया। हम तो माननीय सदन में प्रत्येक माननीय सदस्य की विश्वसनीयता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते हैं, आप तो बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। हम तो माननीय सदस्य की बातों का सम्मान बहुत करते हैं। मेरा तो यह मानना है कि विधान सभा क्षेत्र की जो बात आप कह रहे हैं वह सत्य ही होगी। लेकिन उसी आधार पर हमने कहा कि जो भी दोषी है उसके लिए कि आपके द्वारा प्रस्ताव और धन दिये जाने के बाद भी इस कार्य को समयानुसार नहीं कराया गया। हम तो जितने ट्यूबवेलों का ऊर्जीकरण करा सकते थे सरकार ने अपनी योजनाओं में उसको किया है। अधिकाधिक धन का प्रबन्ध किया है किन्तु आपने पूर्वांचल विकास निधि के जिलांश के अन्तर्गत जो अपना प्रस्ताव दे दिया अब धन की भी कोई समस्या नहीं है तो हम इसको दिखवा लेंगे। तो हम बहुत गम्भीरता से माननीय संसदीय कार्यमंत्री की उपस्थिति में यह आश्वासन देते हैं कि यथाशीघ्र इसका ऊर्जीकरण भी कराया जायेगा और उसको दंडित भी किया जायेगा जिसके कारण इतना विलम्ब हुआ है, इस गर्मी के मौसम में पीने का पानी मिला होता।

श्री श्याम देव राय चौधरी--

मैं क्षमा के साथ इसमें व्यवधान डाल रहा हूं। आश्वासनों का जो हश्र हो सकता है वह मैंने देख लिया। अब नगर विकास मंत्री जी कहना चाहें अथवा राजस्व मंत्री जी, अब इस परिस्थिति में अगर वह उचित समझते हैं तो एक समयबद्ध कार्यक्रम बता दें कि 15 दिन के अन्दर, 10 दिन के अन्दर इस ट्यूबवेल को ऊर्जीकृत करके चालू करा दिया जायेगा और आठ महीना बीत जाने से, जो विलम्ब हुआ है, इस विलम्ब के लिए जो भी कर्मचारी/अधिकारी दोषी होंगे, उनको दण्डित किया जायेगा। मैं आपके माध्यम से सकार से यह अपेक्षा करता हूं, अब आश्वासन नहीं, मैं निश्चित समय-सीमा चाहता हूं।

[समय 3 बजकर 20 मिनट]

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य निश्चित समय-सीमा चाहते हैं ?

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, मुझे लगता है कि अम्बिका जी ने बहुत आश्वासन दिये और जितने आश्वासन उन्होंने दिये, उससे ज्यादा दिये भी नहीं जा सकते। मान्यवर, कहां गलती हुई है, जाहिर है, इसकी जांच भी होगी। इसमें कोई दो राय नहीं, कि बहुत ही बुरे हालात से हमारा विभाग गुजरा है, अब भी हम उसे ठीक नहीं कर पाये हैं और इस हद तक कड़ाई है कि एक शहर में कमी पायी गयी तो केवल सस्पेंड ही नहीं किया गया बल्कि अभी तीन रोज पहले एफ0आई0आर0 लॉज हुई है और सुपरिन्टेंडेंट इंजीनियर, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर इस लेबिल के अधिकारियों, बल्कि जो पहले सी0एण्ड डी0एस0 के निदेशक तक रह चुके हैं, उनके खिलाफ एफ0आई0आर0 हुई है, वारन्ट उनकी तलाश में है और वह लोग गांव से गायब हैं, इस हद तक सख्ती की जा रही है। इसमें भी कोई नरमी नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा तथ्यों को देखते हुये, अम्बिका जी ने भी आश्वासन दिया है, मैं भी आश्वासन दे रहा हूं, हम काम कराना ही चाहते हैं, हमारी नीयत में कहीं धोखा नहीं है और न ही नीयत में यह है कि काम की गुणवत्ता खराब हो। लेकिन क्योंकि आदत बहुत बुरी पड़ी हुई है, बहुत बिगड़ गयी है, पूरा विभाग बुरे हालात से गुजरा है, बदतरीन हालात से गुजरा है, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, कोई ईमानदारी के लिए विचार करने के लिए तैयार नहीं है, इन गुजरे हुए आठ-दस वर्षों में। इस बिगड़ी हुई हालात को हमने बहुत सख्ती से सुधारा है, सैकड़ों करोड़ के घाटे के जल-निगम को घाटे से निकाल कर नफे का निगम बनाया है, आज जल-निगम घाटे का निगम नहीं है, बल्कि नफे का निगम है, फायदा है आज उसमें। समय से तनख्वाह मिलती है, हर कर्मचारी को चौदह-चौदह महीने से अठारह महीने से तनख्वाहें नहीं मिली थीं, आपके शासन में। सैकड़ों करोड़ का कर्जदार था निगम, आपके जमाने में, इसीलिए यह हालात हुए। उन हालात को ठीक करने के लिए मान्यवर, पूरी तत्परता से काम किया जा रहा है और आश्वस्त करना चाहते हैं आपको, कि जहां भी कमी होगी, उसमें सख्त कार्रवाई होगी, बिल्कुल आश्वस्त कर रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता--

चौधरी साहब, आप अपना संकल्प वापस ले रहे हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मैंने अर्ज किया न कि बिगड़ा हुआ इतना था कि सुधारते-सुधारते अपने भी हाथ गले जा रहे हैं।

श्री श्याम देव राय चौधरी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय नगर विकास मंत्री जी का काफी सम्मान और आदर भी करता हूं और उनके शब्दों का वजन भी मानता हूं लेकिन अभी उन्होंने जो कुछ कहा अपने विभाग के विषय में यानि जल निगम के विषय में कहा। मेरा इन दौरों से गुजरते हुए जो अनुभव हुआ, उसमें कहीं जल-निगम मुझे दोषी प्रतीत नहीं हो रहा है। मेरा सिर्फ इस पर बल है कि 26-12-05 को मैंने लिख करके प्रस्ताव दे दिया कि धन जल-निगम षष्टम् निर्माण शाखा को दे दिया जाए। पैसा देने का अधिकारी नियमानुसार मुख्य विकास अधिकारी है और पूर्वांचल जिलांश और राज्यांश में चूंकि नोडल आफिस के रूप में आपने लोक निर्माण विभाग को बनाया है, इसलिए यह दोनों के बीच का मामला है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

देखिये, आप अगर अपनी बात के वजन को कम करना चाहते हैं तो बात को बढ़ाते रहिये, आपको बार-बार यह आश्वासन दिया जा रहा है, कभी-कभी आप बात को इतना खींच देते हैं कि बात की असलियत में कमी आ जाती है। आपसे अम्बिका जी ने भी और मैंने भी कहा। आपका कितना आदर, सम्मान है, आप जानते हैं और वाकई है। क्योंकि जिस तरह आप अपने क्षेत्र में काम करते हैं, वहां मैं जाता हूं तो लोग आपकी तारीफ करते हैं। कि आज भी आप इतने सीनियर विधायक होने के बाद बिल्कुल एक वर्कर की हैसियत से काम करते हैं, इसलिए आपकी कद्र है और ईमानदारी से करते हैं, यूं ही किसी वजह से नहीं है, इसीलिए आपके कामों को संजीदगी से महसूस किया जाता है और आपके कामों को करने के लिए दिल चाहता है, इसमें आप क्या समझते हैं कि जो आश्वासन दिया गया है, वह क्या फर्जी आश्वासन है, यह किया जाएगा, पूरी कोशिश की जाएगी। अब आप उसे बार-बार कहेंगे तो आप अपनी बात को खुद हल्का करेंगे।

श्री अधिष्ठाता--

चौधरी साहब, संकल्प वापस ले रहे हैं ?

श्री श्याम देव राय चौधरी--

मान्यवर, नगर विकास मंत्री और राजस्व मंत्री ने मेरी तारीफ करते हुए और सरकार का बचाव करते हुए पक्के तौर पर आश्वासन दिया है कि इस बार आश्वासन दर आश्वासन नहीं दिया जाएगा बल्कि आश्वासन की पूर्ति की जाएगी और 15 दिन में आश्वासन की पूर्ति हो जाएगी और विलम्ब के लिए जो भी जिम्मेदार हैं, उन्हें दण्डित किया जाएगा। इसको हम लोग बहुत हल्के ढंग से ले रहे हैं, ऐसा नहीं है, बात की बात है। सरकार के आश्वासन के अनुरूप में इस संकल्प को इस उम्मीद के साथ वापस ले रहा हूं कि 15 दिन में इसका कंप्लायंस हो जाएगा।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि प्रस्तुत संकल्प "इस सदन का सुविचारित मत है कि वाराणसी में प्रह्लाद घाट तिराहे पर जल निगम द्वारा 2002 में अधिष्ठापित बड़े नलकूप को जनहित में अविलम्ब चालू किया जाये।" सम्बन्धी संकल्प को वापस लेने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

अब मैं सदन को 3.57 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

(श्री अधिष्ठाता ने 3 बजकर 27 मिनट पर सदन की कार्यवाही 3 बजकर 57 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बजकर 57 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष--

अभी दो मिनट बाकी है इसलिए तब तक वक्तव्य ले लेते हैं।

जनपद झांसी के गरौठा क्षेत्र में जलस्तर नीचे चले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महाराज) द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, झांसी शहर में जलस्तर में लगभग 2 मीटर से 3 मीटर की कमी आयी है व वर्तमान में 1957 इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प अधिष्ठापित हैं .....

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

[जिनमें से मई, 2006 तक 55 हैण्डपम्प स्थायी रूप से खराब थे। झांसी शहर में ऐसा कोई भी हैण्डपम्प जानकारी में नहीं आया जिसका जल स्तर नीचे चले जाने से हैण्डपम्प द्वारा पानी छोड़ दिया गया है। झांसी नगर में जल संस्थान द्वारा 12 कुओं से भी पेयजलापूर्ति की जा रही है। सभी कुओं से जलापूर्ति चालू हालत में है। झांसी नगर को 63 एम0एल0डी0 पानी पाइप लाइन के माध्यम से वितरित किया जाता है। पेयजलापूर्ति वर्तमान में सुचारु रूप से चल रही है। झांसी नगर में 30 क्षेत्रों में जहां पर पेयजल की समस्या है, टैंकरों के माध्यम से जल संस्थान द्वारा पेयजल वितरित किया जा रहा है।

2--यह सही नहीं है कि जनता को प्रदूषित एवं पीला पानी पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। नगरवासियों को शुद्ध एवं क्लोरीनेटेड वाटर उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रतिदिन होने वाली लीकेजों की मरम्मत विशेष अभियान चलाकर जल संस्थान द्वारा युद्धस्तर पर करायी जा रही है। शहर के अस्थायी हैण्डपम्पों को ठीक कराने का कार्य जल संस्थान के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में कोई हैण्डपम्प अस्थायी रूप से खराब नहीं है। जब कोई हैण्डपम्प अस्थायी रूप से खराब होता है, उसको जल संस्थान द्वारा 24 घन्टे के अन्दर ठीक करा दिया जाता है। इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्पों की रिबोरिंग एवं नये हैण्डपम्प लगाने का कार्य उ0 प्र0 जल निगम द्वारा कराया जा रहा है। 5 हैण्डपम्प रिबोर कराये गये तथा 60 हैण्डपम्प नये लगाये गये। शहर के नये एवं रिबोर हैण्डपम्पों की अधिष्ठापन के कार्य प्रगति पर है। विद्युत् न होने पर जनरेटर की सुविधा वर्तमान में जल संस्थान द्वारा आंशिक रूप से 2 पम्पिंग स्टेशनों (दतिया गेट फिल्टर हाउस एवं सिविल लाइन पम्पिंग स्टेशन) पर उपलब्ध है। समस्त पम्पिंग स्टेशनों पर जनरेटर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। झांसी नगर में डाली गयी पाइप लाइनों के जोड़ने का कार्य प्रगति पर है।

बराठा बेसिन पेयजल योजना राइजिंग मेन में अत्यधिक लीकेज होने के कारण बन्द कर दी गयी। इसकी उपयोगिता एवं संचालन के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी द्वारा कमेटी का गठन किया गया। इस समिति में मुख्य अभियंता, जल निगम झांसी/महाप्रबन्धक, जल संस्थान, झांसी एवं उपजिलाधिकारी, झांसी सदस्य हैं। अतः उक्त स्थिति से स्पष्ट है कि जनता को शुद्ध एवं क्लोरीनेटेड वाटर उपलब्ध कराया जा रहा है और पेयजल की कोई समस्या नहीं है।]

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद देवरिया में दुग्धेश्वरनाथ मन्दिर और पोखरा पर न्यायालय के निर्णय के बाद भी भू-माफियाओं द्वारा कब्जा करने के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष--

मद संख्या-26 का वक्तव्य प्राप्त नहीं हुआ है।

जनपद आजमगढ़ की सगड़ी तहसील में घाघरा नदी के कटान से नष्ट हुए गांवों का पुनर्वास कराने के सम्बन्ध में श्री राम नरेश यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, माननीय सदस्य, विधान सभा श्री राम नरेश यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में कहा गया है कि जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी में घाघरा नदी के कटान के कारण ग्रामवासियों के समक्ष भीषण संकट उत्पन्न हो जाता है .....

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खां--

[गांवों में रहने वालों के लिये कोई भी व्यवस्था नहीं की जा सकी है। पुन: कटान कुछ स्थानों पर जारी है। बार-बार आश्वासन देने के बाद भी सरकार एवं प्रशासन उनके पुनर्वास सम्बन्धी कोई व्यवस्था नहीं कर सका है।

2--जिलाधिकारी, आजमगढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद आजमगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में महुला गढ़वल बांध के उत्तर सगड़ी तहसील में घाघरा नदी से कटान के फलस्वरूप किनारे की फसलें क्षतिग्रस्त होती हैं, गांवों की भूमि तथा आबादी नदी की धारा में विलीन हो जाती है। विगत वर्ष ग्राम गांगेपुर, चक्की हाजीपुर तथा हाजीपुर में घाघरा नदी के कटान से 175 व्यक्तियों के मकान तथा 76.663 हे0 कृषिगत भूमि कटकर नदी में विलीन हो गयी है। कटान से प्रभावित परिवार जिनके पास आवास हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है, उन्हें निकटवर्ती ग्रामों में पुनर्वासित करने की कार्यवाही की जा रही है अब तक कुल 55 परिवारों को आवास हेतु ग्राम सभा की भूमि उपलब्ध करायी जा चुकी है, शेष के पुनर्वासन हेतु यथाशीघ्र ग्राम सभा की भूमि उपलब्ध करा दी जायेगी।]

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री तरीकत अली थाना गढ़मुक्तेश्वर, जनपद गाजियाबाद की हत्या के संबंध में श्री रिजवान अहमद खां द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

[प्रकरण में मा0 विधायक द्वारा श्री तरीकत अली की मारपीट कर हत्या किये जाने तथा अभियुक्तगणों के घर में किसी के द्वारा आग लगा दिये जाने के मामले की निष्पक्ष जांच कराने का अनुरोध किया गया। उक्त के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद से आख्या प्राप्त की गयी। प्राप्त आख्यानुसार दिनांक 7-10-2005 को वादी श्री साजिद पुत्र हाफिज अख्तर, नि0 ग्राम दौताई, थाना गढ़मुक्तेश्वर, गाजियाबाद ने वादी के पिता के बकाया दूध के पैसे मांगने पर वादी के पिता श्री तरीकत के साथ मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने तथा गाली गलौज करने के संदर्भ में एन0सी0आर0 संख्या 167/2005 धारा 323, 504, 506 भा0द0वि0 दिनांक 7-10-2005 को वादी बनाम 1-हाफिज अख्तर पुत्र असगर नि0 ग्राम दौताई, थाना गढ़मुक्तेश्वर, गाजियाबाद 2--कलवा पुत्र हाफिज अख्तर, नि0 उपरोक्त 3--साजिद पुत्र हाफिज अख्तर, नि0 उपरोक्त दर्ज कराया। दौरान उपचार श्री तरीकत उपरोक्त की मृत्यु के उपरान्त उक्त अभियोग दिनांक 15-10-2005 को समय 7.10 में सामान्य दैनिकी पर चिक गैर दस्तन्दाजी संख्या 167/2005 धारा 323, 504, 506 भा0द0वि0 से मु0अ0सं0 417/2005 धारा 302 भा0द0वि0 में परिवर्तित किया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 15-10-2005 को अभियुक्त कलवा व साजिद उपरोक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचना के दौरान आरोप सिद्ध होने पर आरोप पत्र दिनांक 5-12-2005 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। शेष अभियुक्त हाफिज अख्तर द्वारा दिनांक 27-1-2006 को मा0 न्यायालय के समक्ष आत्म समर्पण किया गया। विवेचना में आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 4-2-2006 को न्यायालय प्रेषित किया गया।

मु0अ0सं0 416/2005 धारा 395, 397, 452, 436, 427, 323, 504, 506, 109, 117 भा0द0वि0 थाना गढ़मुक्तेश्वर के संबंध में यह अवगत कराया गया है कि दिनांक 13-12-2005 को वादिया श्रीमती अख्तरी बेगम पत्नी हाफिज अख्तर, नि0 ग्राम दौताई, थाना गढ़मुक्तेश्वर, गाजियाबाद बनाम-1 इस्लाम पुत्र वाजिद, नि0 ग्राम दौताई, थाना गढ़मुक्तेश्वर, गाजियाबाद 2--साहिद पुत्र तरीकत निवासी उपरोक्त 3--अफसर पुत्र फरियाद, निवासी उपरोक्त 4--रिजवान पुत्र फरियाद, नि0 उपरोक्त 5--रहीम पुत्र मौसम 6--शफीक पुत्र मौसम 7--जाहिद पुत्र जमशेद 8--खालिद पुत्र जमशेद 9--परवेश पुत्र यामीन 10--अब्दुल रहमान पुत्र सरफराज 11--हाफी फरकान 12--मुजाहिद तत्कालीन ग्राम प्रधान दौताई 13--अनवार ठेकेदार ग्राम अठसैनी निवासी उपरोक्त व ग्राम दौताई व अन्य के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्तों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य/प्रमाण पाये जाने के फलस्वरूप अभियुक्त 1--रहीम पुत्र मौसम 2--शरीफ पुत्र मौसम को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पुलिस महानिरीक्षक, मेरठ जोन, मेरठ के आदेशानुसार उक्त अभियोग की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक मोदीनगर के सुपुर्द की गई। विवेचना में धारा

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

395, 397 भा0द0वि0 का होना न पाये जाने पर अभियोग में धारा 147, 148, 149 की वृद्धि की गई एवं अभियुक्त शाहीद, खालिद व अब्दुल रहमान को दिनांक 17-1-2006 को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। अभियुक्त गालिब द्वारा दिनांक 24-1-2006 अफसर उर्फ पप्पू व रिजवान द्वारा दिनांक 19-1-2006 को मा0 न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया।

पुलिस उप महानिरीक्षक, मेरठ के आदेशानुसार उक्त अभियोग की विवेचना एस0आई0एस0 जनपद मेरठ स्थानान्तरित की गई । विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त रईस अहमद, शफीक अहमद, शाहिद व अफसर उर्फ पप्पू, रिजवान, गालिब, खालिद व अब्दुल रहमान के विरुद्ध धारा 147, 148, 149, 452, 436, 427, 323, 504, 506, 109, 117 भा0द0वि0 में आरोप पत्र दिनांक 14-5-2006 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया तथा शेष अन्य के विरुद्ध विवेचना प्रचलित है।]

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड राजगढ़ में हुई भूख से मृत्यु के संबंध में श्री अनिल कुमार मौर्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

[मा0 सदस्य विधान सभा श्री अनिल कुमार मौर्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में कहा गया है कि मिर्जापुर जनपद के विकास खण्ड राजगढ़ के अन्तर्गत दिनांक 16-5-2006 को राजेन्द्र कोल पुत्र स्व0 चिरकिट कोल उम्र 32 वर्ष अविवाहित की भूख से मृत्यु हो गयी तथा उसका दूसरा भाई भी मरणासन्न है। वह मजदूरी करके पेट पालता था। जनपद नक्सलवादी क्षेत्र है तथा मजदूरों द्वारा एक-एक वर्ष से काम किया गया है परन्तु उन्हें काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत अनाज नहीं दिया गया है। क्षेत्र में तमाम ऐसे गरीब मजदूर हैं जिनकी भूख से मौत हो रही है तथा इस विषय को लेकर जनता में काफी आक्रोश है।

जिलाधिकारी, मिर्जापुर द्वारा प्रेषित आख्या के अनुसार प्रकरण की जांच उप जिलाधिकारी, मड़िहान तथा अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व से करायी गयी। उक्त जांच में यह स्पष्ट हुआ कि राजेन्द्र पुत्र चिरकिट कोल की मृत्यु बीमारी के कारण हुई है, ना कि भूख से। मतक राजेन्द्र कोल के दो अन्य भाई भी हैं, जिनमें सबसे बड़ा भाई कुबेर शादीशुदा तथा अपने परिवार के साथ अलग रहता है। राजेन्द्र अविवाहित था तथा दूसरा भाई लक्ष्मन भी अविवाहित है। स्थलीय जांच में मृतक के भाई स्वयं लक्ष्मन पुत्र चिरकिट एवं उसकी बड़ी बहन श्रीमती प्रभावती ने जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपने बयान में पुष्ट किया है कि उसके भाई राजेन्द्र की मृत्यु बीमारी के कारण हुई है। मृतक के एक अन्य रिश्तेदार जवाहर ने बयान में कहा है कि राजेन्द्र बीमार रहता था, परन्तु दवा नहीं करता था। उक्त की पुष्टि जांच अधिकारी के समक्ष अन्य ग्रामवासियों ने भी लिखित बयान में की है। उपरोक्त तीनों भाइयों के नाम कुल 11 बीघा 11 बिस्वा भूमि है तथा खेती संयुक्त रूप से कुबेर द्वारा की जाती थी। मृत्यु के ठीक पश्चात् राजेन्द्र के कपड़े से 500 रुपये भी मिले। जांच आख्या में यह भी स्पष्ट हुआ था कि मृतक राजेन्द्र को अन्त्योदय राशन कार्ड भी बना

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

था तथा जिस पर दिनांक 5-5-06 को राशन भी वितरित किया गया था। मृतक राजेन्द्र को उसकी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण इन्दिरा आवास भी आवंटित किया गया था, जिसके लिए त्रिवेणी बैंक शाखा जौगढ़ में खाता सं0 9845, दिनांक 26-11-2005 को 250 रुपये से खुलवाया गया था।

इस प्रकार प्रकरण की सम्पूर्ण पृष्ठभूमि में स्पष्ट हुआ है कि जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड राजगढ़ के ग्राम सरसों निवासी राजेन्द्र कोल पुत्र चिरकिट कोल की मृत्यु भूख के कारण न होकर बीमारी के कारण हुई है।]

जनपद बागपत के छपरौली में आये भीषण चक्रवर्ती तूफान के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा0 अजय कुमार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

[माननीय सदस्य विधान सभा, डा0 अजय कुमार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में कहा गया है कि दिनांक 14/15 मई, 2006 की रात को जनपद बागपत में आये भीषण चक्रवर्ती तूफान एवं ओलावृष्टि से छपरौली विधान सभा क्षेत्र के ग्राम टाण्डा, बोढा, कुरडी नागल, तुगाना, रठोड़ा आदि अनेक ग्रामों में भीषण तबाही हुई, हजारों पेड़ टूट गये, मकान एवं दीवारें ढह गई और जानवर मर गये तथा दर्जनों लोग घायल हो गये साथ ही फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। तूफान का ज्यादा असर ग्राम टांडा एवं आसपास अधिक है। पेड़ों के टूटने से यातायात भी प्रभावित हुआ।

जिलाधिकारी, बागपत से इस संबंध में प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त तिथि को जनपद में आये भीषण चक्रवर्ती तूफान एवं ओलावृष्टि से तहसील बड़ौत में ग्राम बावली में आकाशीय बिजली गिरने से बाबूराम पुत्र समेर की एक भैंस की मृत्यु हो गयी, ग्राम तुगाना में पेड़ गिरने से हारून पुत्र करामुद्दीन की एक भैंस मर गयी ग्राम तिलवाड़ा साकौन, हेवा, तुगाना में हल्की ओलावृष्टि आंधी से छः पेड़ व विद्युत् तार टूट गये। ग्राम टांडा में जूनियर हाई स्कूल की चहारदीवारी का 40 मीटर भाग तेज आंधी से गिरा। इस्लामिया मदरसा बिल्डिंग की ऊपर की 06 मीटर एवं 14 मीटर लम्बी दीवार तेज आंधी से गिरी। इसी ग्राम के 11 व्यक्तियों तथा कब्रिस्तान की चहारदीवारी का हिस्सा गिरा। सत्यवीर पुत्र वीरपाल, इरफान पुत्र शहीद की छत पर दीवार की ईंट गिरने के कारण आवासीय मकान की दो-दो कड़ी टूटी। नीम का पेड़ गिरने से महरबान पुत्र दीनमोहम्मद का दो वर्ष का लड़का मर गया। ग्राम बरनावा में सूप में आंधी के कारण इस्लाम पुत्र अल्लमेहर की दीवार गिरने से तीन भैंसे मर गयी। ग्राम सूप में आंधी के कारण मनोज पुत्र धर्मपाल सिंह का लिंटर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया व बीरू पुत्र राम सिंह के पक्के मकान की दीवार आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी।

जिलाधिकारी, बागपत से प्राप्त आख्या के अनुसार आवासीय भवनों में हुई क्षति मानक के अनुरूप नहीं थी इसलिये उनके मालिकों को आर्थिक सहायता नहीं प्रदान की गयी। तहसीलदार बड़ौत ने अवगत कराया है कि दैवी आपदा से मृत पशुओं के पात्र मालिकों का स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार ग्राम योजना के अन्तर्गत नियमानुसार रु0 44,000 की धनराशि वितरित कर दी गयी है। क्षतिग्रस्त विद्युत व्यवस्था को ठीक करा दिया गया है।

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जूनियर हाई स्कूल, टांडा की पिछली दीवार उक्त चक्रवर्ती तूफान से धराशायी हो गयी थी, इसकी मरम्मत के लिये जिलाधिकारी, बागपत की मांग के सापेक्ष रु0 80,00 (रुपये अस्सी हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु उनके निवर्तन पर रख दी गयी है।]

जनपद कन्नौज में दलितों पर हो रहे कथित अत्याचार के संबंध में श्री राम प्रकाश त्रिपाठी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

[श्री राम प्रकाश त्रिपाठी, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दलितों पर अत्याचार होने, उदाहरणस्वरूप 23-3-2006 को परीक्षा केन्द्र निकवा थाना तालग्राम पर जिला विद्यालय निरीक्षक तथा उनके स्टेनों को लाठी डंडों व सरिया से मारपीट करने एवं इसी घटना के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जाति के नौजवानों द्वारा (दयाराम जाटव निवासी रसूलपुर थाना सौरिख द्वारा) आवाज उठाये जाने पर उसे धारा 216 भा0द0वि0 में जेल भेज दिये जाने आदि तथ्यों का उल्लेख किया गया है।

प्रकरण में पुलिस अधीक्षक, कन्नौज द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 23-3-2006 को रविनाथ सिंह इंण्टर कालेज निकवा, थाना तालग्राम, जनपद कन्नौज का जिला विद्यालय निरीक्षक, फर्रुखाबाद श्री कुंवर जी लाल द्वारा आकस्मिक निरीक्षण करने के दौरान वीडियोग्राफी करते देख जिला विद्यालय निरीक्षक व उनके स्टेनों श्री नीरज शर्मा के साथ लाठी डंडों से मारपीट कर घायल कर दिये जाने के संबंध में वादी श्री कुंवर जी लाल जिला विद्यालय निरीक्षक, फर्रुखाबाद द्वारा दिनांक 23-3-2006 को थाना तालग्राम पर मुकदमा अपराध संख्या-57/2006 धारा 147, 148, 149, 307, 323, 503, 506, 353,932 भा0द0वि0 व 10 परीक्षा अधिनियम व 7 क्रि0ला0 एमेण्डमेंट ऐक्ट का अभियोग विरुद्ध अजय पाल सिंह पुत्र रविनाथ सिह, अध्यापक, आदर्श शिक्षा सदन, अलीपुर, सौरिख हाल प्रबंधक रविनाथ इंटर कालेज निकवा व रविनाथ सिंह पुत्र गोपीनाथ यादव, निवासी राजा का नगला, कोतवाली फतेहगढ़, जनपद फर्रुखाबाद के पंजीकृत कराया गया। विवेचना के मध्य अभियुक्त राकेश कुमार पुत्र गेंदन लाल, निवासी नरमऊ, थाना तालग्राम, कन्नौज, इन्द्रपाल सिंह पुत्र रामपाल सिंह यादव, निवासी आदीनगर, थाना गुरसहायगंज कन्नौज व सतेन्द्र पुत्र मुंशीलाल यादव, निवासी निकवा तालग्राम प्रकाश में आये। प्रकाश में आये अभियुक्तों में से राकेश कुमार व इन्द्रपाल सिंह को दिनांक 24-3-2006 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

दयाराम जाटव को थाना सौरिख में दिनांक 21-4-2006 को गिरफ्तार किया गया है और इसका उपरोक्त प्रकरण से कोई संबंध नहीं है। सूचना मिलने पर कि रामदीन जाटव पुत्र श्री राम, निवासी ग्राम देई पुर, थाना एरवाकटरा, जनपद औरैया जो कि एक शातिर अपराधी है और ग्राम रसूलपुर में दयाराम जाटव के मकान के सामने चारपाई पर बैठा है, उपनिरीक्षक श्री पीताम्बर सिंह व हमराह फोर्स द्वारा प्रात: 9.00 बजे दबिश दी गई जिसमें दयाराम जाटव मौके से भागने में सफल

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रहा। इस संबंध में उपनिरीक्षक श्री पीताम्बर सिंह द्वारा थाना सांरिख पर मु0अ0सं0 130/2006 धारा 216 भा0द0वि0 पंजीकृत कराया गया। दयाराम जाटव अपराधियों को शरण देने के मामले में गिरफ्तार किया गया और उचित धारा में इसके विरुद्ध कार्यवाही की गई है।

जिला विद्यालय निरीक्षक के साथ हुई मारपीट की घटना में संबंधित अभियुक्तगण राकेश कुमार व इन्द्रपाल सिंह को दिनांक 24-3-2006 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। शेष अभियुक्त अजय पाल सिंह, रविनाथ सिंह व सतेन्द्र सिंह की गिरफ्तारी के सार्थक प्रयास प्रचलित है। इसी दौरान उक्त अभियोग की विवेचना शासन के आदेश दिनांक 19-5-2006 द्वारा सी0बी0सी0आई0डी0 लखनऊ को स्थानान्तरित की जा चुकी है। इस घटना से अनुसूचित जाति के लोगों में किसी प्रकार का कोई आक्रोश व्याप्त नहीं है। जिला विद्यालय निरीक्षक के साथ घटित घटना पर विधि संगत कार्यवाही तत्काल अमल में लायी गयी है व दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है।]

जनपद संतकबीरनगर स्थित कालिका प्रसाद महर्षि विद्या मन्दिर के भवन निर्माण हेतु विधायक निधि से स्वीकृत धनराशि के बाद भी निर्माण कार्य न कराये जाने के विषय में श्री जय प्रताप सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

[श्री जय प्रताप सिंह, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह उललेख किया है कि जनपद संतकबीरनगर की तहसील घनघंटा के ग्राम शिववखरी में कालिका प्रसाद महर्षि विद्यामन्दिर के नाम पर भवन निर्माण हेतु विधायक निधि से रु0 5.00 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई थी। किन्तु भवन में एक भी ईंट नहीं लगायी गयी है। मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस संबंध में तत्कालीन मण्डलायुक्त द्वारा मुख्य विकास अधिकारी को जांच के निर्देश दिये गये थे किन्तु न ही आज तक विद्यालय भवन का निर्माण किया गया और न ही दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।

2--मा0 सदस्य विधान सभा की सूचना में उल्लिखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आयुक्त बस्ती मण्डल से प्रकरण पर आख्या मांगी गयी थी। आयुक्त बस्ती मण्डल की आख्या में उल्लेख किया गया है कि कालिका प्रसाद महर्षि विद्यामन्दिर योगराज शिवबखरी हरिहरपुर में श्री राम आसरे पासवान, पूर्व राज्यमंत्री के प्रस्तावों पर विद्यालय के भवन निर्माण हेतु रु0 4.96 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। आयुक्त बस्ती मण्डल ने यह भी अवगत कराया है कि तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी, संतकबीरनगर ने तत्कालीन आयुक्त बस्ती मण्डल को भेजी गयी आख्या में रु0 1.231 लाख का कार्य कम होने तथा विधान सभा क्षेत्र से बाहर विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि का प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने के विषय में लिपिक, एकाउन्टेन्ट, अभियन्ता एवं परियोजना निदेशक को उत्तरदायी बताया था, जिनका स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने के निर्देश तत्कालीन मण्डलायुक्त द्वारा मुख्य विकास अधिकारी को दिये गये थे तथा विद्यालय के प्रबन्धक से भी

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रु0 1.231 लाख का अपव्यय किये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया था। आयुक्त बस्ती मण्डल की आख्या में उल्लेख किया गया है कि विद्यालय के प्रबन्धक के स्पष्टीकरण में प्राप्त धनराशि रु0 4.96 लाख से अधिक का कार्य कराये जाने का उल्लेख किया गया है किन्तु अन्य किसी कर्मचारी/अधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

3--जांच आख्या में प्रश्नगत प्रकरण में बरती गयी अनियमितताओं के लिये जनपद संतकबीरनगर के तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी परियोजना निदेशक, सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता, लेखालिपिक एवं उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक के साथ विद्यालय के प्रबन्धक को उत्तरदायी बताया गया है। इनके विरुद्ध अनियमितताओं हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।]

जनपद आजमगढ़ की तहसील बूढ़नपुर में किसानों का सूखा राहत का धन वितरण न करने के संबंध में श्रीमती विद्या चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

[माननीय सदस्य विधान सभा, सुश्री विद्या चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में कहा गया है कि जनपद आजमगढ़ की तहसील बूढ़नपुर में वर्ष 2004 में पड़े सूखे की राहत राशि किसानों को नहीं वितरित हो पाई है, जिसके फलस्वरूप किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है। वक्तव्य के साथ ही किसानों को सूखा राहत प्रदान करने की मांग की गयी है।

2--जिलाधिकारी, आजमगढ़ से प्राप्त सूचना के अनुसार तहसील बूढ़नपुर को विभिन्न तिथियों में कुल रु0 3,24,14,000 (रुपये तीन करोड़ चौबीस लाख चौदह हजार मात्र) की धनराशि आवंटित की गयी थी जिसके सापेक्ष रु0 3,12,92,310 (रुपये तीन करोड़ बारह लाख बान्नवे हजार तीन सौ दस मात्र) की धनराशि चेक द्वारा किसानों को वितरित की जा चुकी है। अवशेष धनराशि के चेक लाभार्थियों के बाहर रहने के कारण वितरित नहीं कराये जा सके हैं।]

वित्तीय वर्ष 2006-2007 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से वित्तीय वर्ष 2006-2007 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

अनुपूरक अनुदान की प्रतियां वितरित की जाएं।

(प्रतियां वितरित की गयीं।)

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लोकतांत्रिक बहुजन दल के कतिपय विधान सभा सदस्यों द्वारा दल बदल किये जाने तथा समाजवादी पार्टी के कतिपय माननीय विधान सभा सदस्यों द्वारा की गई क्रास वोटिंग के प्रकरण पर मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा निरर्हित घोषित किये जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष--

मुझे सदन को दो सूचनायें देनी हैं।

श्री योगेश प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा एवं मुख्य सचेतक, लोकतांत्रिक बहुजन दल द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के नियम-7 के अन्तर्गत मेरे विचारार्थ श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह (निर्वाचन क्षेत्र संख्या-94, सतांव जनपद-रायबरेली), श्री जयवीर सिंह (निर्वाचन क्षेत्र संख्या 325, घिरोर जनपद मैनपुरी), श्री रामकृष्ण (निर्वाचन क्षेत्र संख्या 66, मछरहटा, जनपद सीतापुर), श्री धर्मपाल (निर्वाचन क्षेत्र संख्या 375, हापुड़, जनपद गाजियाबाद) एवं श्री रामजी शुक्ला (निर्वाचन क्षेत्र संख्या 285, औरैया जनपद औरैया), सदस्यगण, विधान सभा के विरुद्ध दिनांक 05 अप्रैल, 2006 को याचिकाएं दी गयी थीं। उक्त याचिकाओं के संबंध में याची तथा प्रतिपक्षीगण को सुनने के उपरान्त मैंने अपने निर्णय दिनांक 10 जून, 2006 द्वारा सभी प्रतिपक्षीगण को दसवीं अनुसूची के पैरा-2 (1) के अन्तर्गत निरर्हित घोषित कर दिया है।

श्री शिवपाल सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा, प्रदेश महासचिव, समाजवादी पार्टी तथा मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के नियम-7 के अन्तर्गत मेरे विचारार्थ श्रीमती ओमवती देवी [निर्वाचन क्षेत्र संख्या-4, नगीना (अ0जा0) जनपद बिजनौर], श्री सुन्दरलाल [निर्वाचन क्षेत्र संख्या-77, सफीपुर (अ0जा0) जनपद उन्नाव], श्री कल्याण सिंह दोहरे [निर्वाचन क्षेत्र संख्या-292, कन्नौज (अ0जा0) जनपद कन्नौज] एवं श्री रतनलाल अहिरवार [निर्वाचन क्षेत्र संख्या 313, बबीना (अ0जा0) जनपद झांसी], सदस्यगण, विधान सभा के विरुद्ध दिनांक 23 जून, 2006 को याचिकाएं दी गयी थीं। उक्त याचिकाओं के संबंध में याची तथा प्रतिपक्षीगण को सुनने के उपरान्त मैंने अपने निर्णय दिनांक 19 अगस्त, 2006 द्वारा उक्त प्रतिपक्षीगण को दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1) (ए) के अन्तर्गत निरर्हित घोषित कर दिया है।

श्री हुकुम सिंह--

इसके बाद कोई और सूचना आनी है।

श्री अध्यक्ष--

इसके बाद हम फिर आपको सूचना देंगे।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं।

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 22 अगस्त, 2006 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 43 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना डा0 पी0 के0 राय की कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज स्थित पिपरा घाट पर नदी में नाव डूबने से हुई मृत व्यक्तियों के परिवार वालों को सहायता राशि दिये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत। दूसरी सूचना डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा की प्रदेश में स्नातक स्तर पर छात्रों के प्रवेश की समस्या के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत। तीसरी सूचना श्री प्रमोद कुमार की जनपद प्रतापगढ़ के थाना सांगीपुर में मुकदमें में नामजद श्री ज्ञानेन्द्र सिंह के खिलाफ कार्यवाही किये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत। चौथी सूचना श्री आलम बदी की जनपद आजमगढ़ में 33 के0वी0ए0 विद्युत सब स्टेशनों पर विद्युत की सप्लाई न दिये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत। पांचवीं सूचना श्री बाबू लाल कुशवाहा की जनपद बांदा स्थित बरियारपुर बांयर केन मुख्य नहर की मरम्मत कार्य में करोड़ों रुपये का गबन किये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत। छठी सूचना श्री हुकुम सिंह की जनपद मुजफ्फरनगर स्थित मेरठ करनाल मार्ग, पानीपत खटीमा मार्ग पर निर्मित ध्वस्त पुलों को ठीक कराये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत। सातवीं सूचना श्री रणवीर राणा की प्रदेश में दुग्ध का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत। आठवीं सूचना श्री भगेलू राम की जनपद सुल्तानपुर स्थित मुसाफिरखाना में ट्रक द्वारा 8 मृत मजदूरों के परिवार वालों को आर्थिक सहायता दिये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। नौवीं सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की जनपद देवरिया के विकास खण्ड सलेमपुर में सम्पूर्ण ग्रामीण योजना के अंतर्गत कराये गये कार्यों में हुए घोटाले के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। दसवीं सूचना श्रीमती नन्दिता शुक्ला की जनपद गोण्डा के ग्राम डिडियाथोक स्थित तालाब की जमीन का पट्टा किये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। ग्यारहवीं सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की इलाहाबाद स्थित बाघम्बरी गद्दी मौजा बक्शी उपरहार के नाम दर्ज पट्टे की जमीन को निरस्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई :--श्री सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री घूरा राम, श्री सुखदेव राभर, श्री बीजू पटनायक।

बीजू पटनायक जो आप दो सूचनाएं एक साथ देते हैं। दो सूचनाएं एक साथ नहीं दी जाती है। आप खुद दस्तखत करते हैं या नहीं इसको आप देखें। यह अच्छी बात नहीं है।

श्री श्याम देव राय चौधरी, प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर, श्री मदन चौहान, श्री रंगनाथ मिश्र, श्री राजेश कुमार, चौ0 महेन्द्र सिंह, श्री राम हेत भारती, श्री नवाब सिंह नागर, श्री द्वारिका प्रसाद, श्री राम शंकर पाल, श्रीमती माया प्रसाद, श्री प्रागी लाल अहिरवार, श्री लाल जी वर्मा, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री धर्मपाल सिंह, श्री विश्राम सिंह यादव, श्रीमती विद्या चौधरी, श्री राम करन आर्य,

श्री कौशल किशोर, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री आर0 एस0 कुशवाहा, श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी', श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, डा0 विनोद तिवारी, डा0 सुशील चौधरी, डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी तथा श्री मुंशी लाल गौतम की सूचनाएं अस्वीकृत हुयी।

अब हम उठते हैं। कल पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन सायंकाल 4 बजकर 5 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक 22 अगस्त, 2006।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0--एल 221 विधान सभा--23-11-06--813 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।